रजिस्ट्री संख्या डी एल—33001/93

REGISTERED NO. DL—33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13, 1993 (फाल्गुन 22, 1914)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13, 1993 (PHALGUNA 22, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	299
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	289
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	385
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों जिनमें (सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	241
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	179
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	10553
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	37
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 299

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court. 289

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence. 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 385

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION—4 Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 241

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 179

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners. . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 10553

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private bodies. 37

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi. *

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 9-प्रेज०/93—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री देव राज,
पुलिस निरीक्षक,
थाना जीरा ।

श्री सुरेन्दर सिंह,
पुलिस तिरीक्षक,
थाना—जीरा ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 8 सितम्बर, 1991 को यह सूचना प्राप्त होने पर कि कुछ आतंकवादी करनैल सिंह नामक एक व्यक्ति के फार्म हाउस में छिपे हुए हैं, श्री सुरेन्द्र सिंह, एस० एच० ओ०, थाना–जीरा और अन्य पुलिस कार्मिक घटनास्थल पर पहुंचे । पार्टियां बनाने के बाद, उन्होंने फार्म हाउस को घर लिया और तलाशी शुरू कर दी ।

लगभग 2.00 बजे अपराह्न, उग्रवादियों ने पुलिस बल की गतिविधियां देखीं । वे कमरों से बाहर आए और उन्होंने सभी दिशाओं से पुलिस पार्टियों पर अपने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलानी शुरू कर दीं । पुलिस कार्मिकों ने तत्काल मोर्चा संभाला और गोलियों का जबाव गोलियों से दिया । एक उग्रवादी श्री देव राज पर भारी गोलीबारी कर रहा था । मौका मिलने पर श्री देव राज ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से उग्रवादी पर गोली चलायी और उसे घटना स्थल पर ही मार गिराया ।

इस बीच श्री सुरेन्द्र सिंह, निरीक्षक और उसके दल ने तीन उग्रवादियों को उलझाए रखा, जिन्होंने नहर में मोर्चा सभाला हुआ था । सुरेन्दर सिंह, निरीक्षक को एक मौका मिला और उन्होंने उग्रवादियों के मोर्चे के स्तर से ऊपर उठकर अपनी ए० एल० आर० से शीघ्र गोली चलायी और उसके दल के कार्मिकों ने भी उग्रवादियों पर गोलियां चलायीं पुलिस कार्मिकों द्वारा भारी गोलीबारी करने के परिणामस्वरूप तीनों उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारे गए । मुठभेड़ 4 घंटे से अधिक समय तक चली जिसमें सभी 6 उग्रवादी मारे गए, बाद में जिनकी शिनाख्त एक इकबाल सिंह उर्फ बाला (2) बलकर सिंह (3) सुखमन्दर सिंह उर्फ छिन्दा (4) सरन सिंह उर्फ सम्मा (5) बलवंत सिंह और (6) जीत सिंह के रूप में की गई । मृतक उग्रवादी अनेक प्रमुख गोली कांडों, अपहरणों और लूट खसोट के जिम्मेदार थे । तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से 3 ए० के०–47 राइफलें, एक 7.62 बौर की एस० एल० आर०, एक 12 बौर की गन, एक .38 बौर रिवाल्वर और बड़ी मात्रा में गोलाबारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री देव राज, पुलिस निरीक्षक, और सुरेन्दर सिंह, पुलिस निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 सितम्बर 1991 से दिया जाएगा ।

निरीश प्रधान
निदेशक

सं० 10–प्रेज०/93—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रोहित चौधरी आई० पी० एस०
सहायक पुलिस अधीक्षक,
लुधियाना ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 2 सितम्बर, 1991 को सूचना प्राप्त हुई कि जन्माष्टमी के अवसर पर लुधियाना शहर क्षेत्र में अपराध करने के उद्देश्य से आधुनिक हथियारों से लस कुछ आतंकवादी

एक मारुति कार सं० पी० सी० एफ० 6591 में घूम रहे हैं । श्री रोहित चौधरी, सहायक पुलिस अधीक्षक, लुधियाना शहर, ने तुरन्त चुने हुए स्थानों पर नाकाबंदी का आयोजन किया तथा एक-एक करके सभी नाकाओं पर चैकिंग करने के लिए चल दिए । करीब 5.30 बजे उन्होंने देखा कि चिमनी रोड की ओर एक वाहन आ रहा है, उन्होने उसे रुक जाने का संकेत दिया, परन्तु रुकने की बजाए वाहन की पिछली सीट पर बठे युवक ने पुलिस दल पर गोलियां चलानी आरंभ कर दीं । श्री चौधरी ने आत्मसुरक्षा स्वरूप अन्य पुलिस कार्मिक के साथ गोलियों का जवाब दिया और उसके परिणामस्वरूप पिछली सीट पर बैठा युवक घायल हो गया और वे अपने वाहन को तेजी से भगा ले गये । पुलिस दल ने तुरन्त उग्रवादियों का पीछा किया । भाग रहे उग्रवादियों ने पीछा करते हुए पुलिस दल पर गोलियां चलाना जारी रखा । जन्माष्टमी के कारण वहां काफी यातायात था, जिसके कारण आतंकवादियों की गोलीबारी से दो नागरिक मारे गए तथा तीन घायल हो गए ।

ढोलेवाले चौक पर स्थित पालकी रेस्तरां के निकट पहुंचने पर आतंकवादियों के स्थिति का लाभ उठाते हुए कार वहीं छोड़ कर एक स्कूटर छीन लिया । इसी बीच पुलिस दल भी उनके पास पहुंच गया । स्कूटर की पिछली सीट पर बैठे आतंकवादी ने तुरन्त ही असाल्ट राईफल से पुलिस दल पर गोलियां चलाईं । श्री चौधरी ने सूझबूझ का परिचय दिया और जवाबी गोली चलाई । और इसके परिणामस्वरूप उग्रवादियों का स्कूटर गिर गया । आतंकवादी एक ओर कूद गए, स्कूटर को वहीं छोड़ दिया मोर्चा संभाला और गोलियां चलानी शुरू कर दीं । पुलिस दल ने भी मोर्चे संभाले और जवाब में गोलियां चलाई ।

अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया और गोलियों की बौछाड़ों के बीच आतंकवादियों की आंखों के सामने ही उनकी तरफ बढ़े । वे और आगे बढ़े और दोनों ओर से गोलीबारी होना जारी रहा । उन्होंने अपने साथियों को लेटकर मोर्चा लेने को कहा और वह स्वयं रेंगते हुए आगे बढ़े । जब वे आगे बढ़ रहे थे तो श्री चौधरी ने अपनी एसाल्ट राइफल से गोली चलाकर आतंकवादी को मार डाला । यह देखकर निरीक्षक गुरजीत सिंह अपने दल के साथ दूसरे आतंकवादी की ओर बढ़े और उसे मार गिराया । मृत आतंकवादियों की बाद में अवतार सिंह उर्फ तारी और पंजाब सिंह के रूप में पहचान हुई । तलाशी के दौरान मृत आतंकवादियों से 3 असाल्ट राइफल, बड़ी मात्रा में भरे/खाली कारतूसों सहित 2 माउजर बरामद किए गए ।

मुठभेड़ में श्री रोहित चौधरी, सहायक पुलिस अधीक्षक उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तगत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 सितम्बर, 1991 से दिया जायेगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 11-प्रेज/93—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जसबीर सिंह संधू
पुलिस अधीक्षक
(आपरेशन),
संगरूर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 2 अगस्त, 1991 को श्री प्रवजीत सिंह, पशु चिकित्सक, जो गांव हीरीकलां, पुलिस स्टेशन-भिखी, जिला भटिंडा में तैनात थे और जो श्री पी० एस० गिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मजीठा के भाई हैं, का अपहरण एक हरी मारुति कार में आए आतंकवादियों द्वारा कर लिया गया । यह कार गांव-उप्पली, पुलिस स्टेशन-कोतवाली, संगरूर में दिनांक 3 अगस्त, 1991 को प्रातः 7 बजे लावारिस खड़ी मिली ।

श्री जसबीर सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक, आपरेशंस, संगरूर को मामले की छान-बीन करने, तथा आतंकवादियों तथा अपहृत व्यक्ति को खोजने का काम सौंपा गया था जिनकी पास के गांवों में शरण लिए हुए होने की संभावना थी । श्री संधू ने अपने गनमैन तथा संगरूर कोतवाली के पुलिस दल के साथ तलाशी अभियान शुरू किया । गांव वालों का विश्वास जीतकर इस बारे में सुराग स्थापित किया गया, जो पुलिस दल को पहले तो नामोल गांव तक ले गए, इसके बाद पार्टी द्वारा उभेवाल होते हुए गांव भागा बड्ढी तक छानबीन की गई और श्री संधू के नेतृत्व में पुलिस दल करीब 11.00 बजे पूर्वाह्न वहां पहुंचा ।

श्री संधू ने चुनिंदा घरों की तलाशी शुरू की । यह पता चला कि आतंकवादी गांव के बाहर स्थित तथा ऊंची फसल से घिरे हुए एक ट्यूबवैल के ऊपर बने ढांचे में शरण लिए हुए थे । जैसे ही, गांव में कुछ घरों की तलाशी लेने के बाद श्री संधू अपनी जिप्सी पर गोलीबारी की और ये गोलियां हैड लाइट में लगी, इससे रेडिएटर को नुकसान पहुंचा और एक गोली दाहिनी तरफ के मडगाड को भेदती हुई उनकी सीट में धस गई । श्री संधू और उनका दल इस पहले हमले से चमत्कारिक ढंग से बच गए । वे वाहन से

कूद गए और पोजीशन लेकर, जवाबी गोलीबारी करने लगे। श्री संधू ने जमीन पर पोजीशन लेकर निडरता का परिचय देते हुए, अपनी एम० के० ए० के०-47 राइफल से आतंकवादियों के समूह पर तीन बर्स्ट फायर किए। इसके परिणामस्वरूप एक आतंकवादी गिर गया और वहीं पर मर गया। इस प्रकार आतंकवादियों के आक्रमण का प्रभाव नगण्य हो गया और बाकी तीन आतंकवादी धान के खेतों में इधर उधर भागने लगे। गोली चलाते हुए श्री संधू ने बेतार पर आतंकवादियों के हमले और उनके छिपने के स्थान के बारे में संदेश प्रसारित कर दिया। साथ ही, उन्होंने अपने जवानों से आतंकवादियों पर प्रभावकारी ढंग से गोलीबारी करने को कहा। परिणामस्वरूप एक और आतंकवादी मारा गया।

इसी बीच कोतवाली का पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंच गया और श्री संधू के नेतृत्व में उग्रवादियों पर गोलीबारी और तेज कर दी गई। इसके बाद जिला पुलिस मुख्यालय से भी कुमुक पहुंच गई, उस क्षेत्र को घेर लिया गया और ऊंची फसलों तथा धान के खेतों की व्यवस्थित तलाश शुरू की गई। आतंकवादियों के दो शव बरामद किए गए, जिनकी पहचान दयादीपक और हरबंस सिंह के रूप में की गई। बाकी दो आतंकवादी ऊंची फसलों की आड़ लेकर भागने में सफल हो गए।

इस मुठभेड़ में श्री जसबीर सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 अगस्त, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 12-प्रेज 93—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुखदयाल सिंह भुल्लर
(आई० पी० एस०),
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
संगरूर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 20 मई, 1991 को एक कमीशन एजेंट के पुत्र सुरेश कुमार का एक आतंकवादी समूह द्वारा अपहरण कर लिया गया और उन्होंने उसकी रिहाई के लिए 5 लाख रुपयों की मांग की।

दिनांक 22 मई 1991 को श्री सुखदयाल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संगरूर को एक गुप्त सूचना मिली कि कमीशन एजेंट से फिरौती की राशि वसूलने के लिए आतंकवादी गांव गग्गरपुर के स्कूल में आएंगे। इस पर श्री भुल्लर ने संगरूर के थाना प्रभारी को अन्य पुलिस बल के साथ सादे कपड़ों में स्कूल के चारों ओर तैनात कर दिया। करीब चार बजे अपराह्न तीन आतंकवादी जीप में सवार होकर असाल्ट राइफलों से सज्जित उस स्कूल में आए। पुलिस के पहुंचने की सूचना पाकर आतंकवादी खेतों में भाग गए। उनका पीछा, सी० आई० ए० तथा कोतवाली संगरूर के निरीक्षकों के नेतृत्व में सादी वर्दी वाले पुलिस दल द्वारा किया गया और मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके बाद आतंकवादी निर्माणाधीन गुरुद्वारे में घुस गए। उनमें से दो आतंकवादी करनैल सिंह नामक एक व्यक्ति के निकटवर्ती पक्के मकान में शरण लेने में सफल हो गए। पुलिस दल ने मकान को घेर लिया और उन्होंने इस स्थिति के बारे में संगरूर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचित कर दिया।

पुलिस कार्मिकों के साथ श्री भुल्लर घटना स्थल पर पहुंचे और उस क्षेत्र के चारों ओर दोहरी घेरे बंदी कर ली। इस घेरेबंदी को संगरूर के पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) तथा पुलिस अधीक्षक (आपरेशंस) की मदद से और मजबूत कर लिया गया। इसके बाद घर के निवासियों को बाहर आने का निर्देश दिया गया। श्री करनैल सिंह अपने परिवारजनों और मवेशियों के साथ बाहर आ गए।

श्री भुल्लर ने अपने दल के साथ मकान की आगे की छत पर पोजीशन ली और पुलिस अधीक्षक (आपरेशंस) ने बल के साथ "एल" के आकार में बने मकान के रिहायशी हिस्से की छत पर पोजीशन ली। इसके बाद आतंकवादियों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा गया लेकिन उन्होंने उत्तर में मकान के अन्दर से गोली चलायी। गोलीबारी करीब आधे घन्टे तक जारी रही। इसके बाद उस कमरे में आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे। इस पर एक आतंकवादी कमरे से बाहर आया और उसने सीधे श्री भुल्लर पर गोली चलायी। श्री भुल्लर ने अपनी स्वचालित राइफल से जवाब में गोली चलायी जिसके परिणामस्वरूप उस आतंकवादी को गोली लगी और वह गिर पड़ा। जब उसने उठने की कोशिश की तो श्री भुल्लर ने गोलियों की एक और बौछार की और उसे वहीं मार डाला। तथापि दूसरा आतंकवादी दूसरे कमरे में चला गया। जब आंसू गैस के गोले उसे बाहर निकालने में नाकाम रहे तो मकान के सभी कमरों में एच० ई० 36 हथगोले फेंके गए। आतंकवादी फिर भी कमरे बदलता रहा और अंत में वह सूखा चारा रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कमरे में घुस जाने में कामयाब रहा। जब हथगोले फेंकने से भी आतंकवादी को बाहर नहीं निकाला जा सका तो

एक बोरे को पैट्रोल में भिगोकर उसमें आग लगाई गई और उसे कमरे में फेंक दिया गया जिसके परिणामस्वरूप सूखे चारे में आग लग गई । दम घुटने और गर्मी के कारण आतंकवादी बाहर आया और उसने पुलिस दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया । छत्त के ऊपर पश्चिमी दिशा से पुलिस दल ने जवाबी गोलीबारी की और आतंकवादी को मार गिराया ।

तीसरा आतंकवादी जो कि गांव के एक अन्य घर में छिपा हुआ था एक भिन्न दिशा में बचकर भागने में सफल हो गया । श्री भुल्लर ने एक छापा पार्टी को इस आतंकवादी का पीछा करने और उसे पकड़ने के लिए तैनात किया । आतंकवादी को गांव-चाथे के क्षेत्र में करीब आधी रात को घेर लिया गया था । इसके बाद एक मुठभेड़ हुई जिसमें इस आतंकवादी को भी मार गिराया गया । तीनों मृत आतंकवादियों की शिनाख्त बाद में जसबीर सिंह करमजीत सिंह तथा मनजिन्दर सिंह के रूप में की गई । तलाशी के दौरान 2 ए० के०-47 राइफलें, एक माजर ए० के०-47 की दो मैगजीन और भारी मात्रा में सक्रिय/खाली कारतूस मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री सुख दयाल सिंह भुल्लर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 13-प्रेज/93—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री स्वर्ण सिंह
हैड कांस्टेबल
पुलिस स्टेशन-धर्मकोट ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 15 सितम्बर 1991 को निरीक्षक नछत्तर सिंह, थाना प्रभारी, थाना धरमकोट हैड कांस्टेबल स्वर्ण सिंह तथा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ आतंकवादियों के छिपने के संदिग्ध स्थानों पर छपा मारने जा रहे थे । करीब 3.45 बजे अपराह्न उन्हें सूचना मिली कि गांव झंडा बागियां के तारासिंह नामक एक व्यक्ति के फार्म हाउस में कुछ आतंकवादी शरण लिए हुए थे श्री नछत्तर सिंह तुरन्त वहां पहुंचे और उन्होंने फार्म हाउस को घेर लिया और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कर देने का आदेश दिया लेकिन आतंकवादियों ने घर के उत्तरी ओर से गोली चलाना शुरू कर दिया । पुलिस दल ने भी जवाबी गोलीबारी की और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजपुर एवं पुलिस उपाधीक्षक, जीरा को कुमुक भेजने के लिए बेतार संदेश भेज दिया ।

चूंकि आतंकवादी खाइयों में पोजीशन लिए हुए थे इसलिए उन्हें भारी नुक्सान नहीं पहुंचाया जा सका । श्री नछत्तर सिंह और हैड कांस्टेबल स्वर्ण सिंह अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उस दरबाजे तक हुंच गए, जहां आतंकवादी गोली चला रहे थे । उन्होंने कमरे में छिपे आतंकवादियों पर गोली चलाई । कुछ समय तक दोनों ओर से गोली चलने के बाद आतंकवादियों की ओर से गोली चलनी बंद हो गयी । तलाशी के दौरान चार आतंकवादी मृत पाए गए, जिनकी पहचान गुरमीत सिंह, गुरमेज सिंह, सुरजीत सिंह तथा बलकार सिंह के रूप में की गई । तलाशी में आतंकवादियों से एक ए० के० 56 राइफल, एक ए० के० 47 राइफल, एक 12 बोर की बन्दूक, एक रिवाल्वर, 4 डिटोनेट बिस्फोटक सामग्री के 5 पैकेट और भारी संख्या में जीवित/खाली कारतूस बरामद किए गए ।

मृत आतंकवादी, फिरोजपुर तथा फरीदकोट जिलों के हृद्दां वाली कसुआना, कालेर और थम्पांवाल गांवों में 30 पुलिस कर्मियों तथा उनके रिश्तेदारों की हत्या में अन्तर्ग्रस्त थे । उन्होंने इन दोनों जिलों में कई निर्दोष लोगों की हत्या भी की थी ।

इस मुठफेड़ में श्री स्वर्ण सिंह हैड कांस्टेल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (एक) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 14-प्रेज-93—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पता

श्री नछत्तर सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
थाना प्रभारी,
थाना धर्मकोट

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 15 सितम्बर, 1991 को निरीक्षक नछत्तर सिंह, थाना प्रभीरी, थाना धर्मकोट, हेड कांस्टेबल स्वर्ण सिंह तथा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ आतंकवादियों के छिपने के संदिग्ध स्थानों पर छापा मारने जा रहे थे । करीब 3.45 बजे अपराह्न उन्हें सूचना मिली कि गांव झंडा बगियां के तारा सिंह नामक एक व्यक्ति के फार्म हाउस में कुछ आतंकवादी शरण लिए हुए थे । श्री नछत्तर सिंह तुरन्त वहां पहुंचे और उन्होंने फार्म हाउस को घेर लिया और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कर देने का आदेश दिया लेकिन आतंकवादियों ने घर के उत्तरी ओर से गोली चलाना शुरू कर दिया । पुलिस दल ने भी जवाबी गोलीबारी की और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर एवं पुलिस उपाधीक्षक, जीरा को कुमुक भेजने के लिए बेतार संदेश भेज दिया ।

चूंकि आतंकवादी खाईयों में पोजीशन लिए हुए थे इसलिए उन्हें भारी नुक्सान नहीं पहुंचाया जा सका । श्री नछत्तर सिंह और हेड कांस्टेबल स्वर्ण सिंह अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उस दरवाजे तक पहुंच गए, जहां से आतंकवादी गोली चला रहे थे । उन्होंने कमरे में छिपे आतंकवादियों पर गोली चलाई । कुछ समय तक दोनों ओर गोली चलने के बाद आतंकवादियों की ओर से गोली चलनी बन्द हो गई । तलाशी के दौरान चार आतंकवादी मृत पाए गए जिनकी पहचान गुरमीत सिंह, गुरमेज सिंह, सुरजीत सिंह तथा बलकार सिंह के रूप में की गई । तलाशी में आतंकवादियों से एक एम० के०–56 राइफल, एक ए० के०–47 राइफल, एक 12 बोर की बन्दूक, एक रिवाल्वर, 4 डिटोनेटर विस्फोटक सामग्री के 5 पैकट और भारी संख्या में जीवित खाली कारतूस बरामद किए गए ।

मृत आतंकवादी, फिरोजपुर तथा फरीदकोट जिलों के हदाँवाली कसुआना, कालेर और थम्मांवाल गांवों में 30 पुलिस कर्मियों तथा उनके रिश्तेदारों की हत्या के अन्तर्गत थे । उन्होंने इन दोनों जिलों में कई निर्दोष लोगों की हत्या भी की थी ।

इस मुठभेड़ में श्री नछत्तर सिंह, पुलिस निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता का साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (एक) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाँक 15 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 15–प्रेज/93—राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हरेकान्त डेका,
पुलिस उप-निरीक्षक,
कामरूप
गोहाटी ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 31 मार्च, 1992 को करीब 8.45 बजे श्री हरे कान्त डेका को पुलिस नियंत्रण कक्ष, गोहाटी से संदेश प्राप्त हुआ कि हांडीक गर्ल्स कालेज, गोहाटी की एक छात्रा को एक मारुति जिप्सी में जबरदस्ती ले जाया गया था ।

पुलिस स्टेशन खेतड़ी के प्रभारी थानाध्यक्ष श्री डेका तुरन्त ही तैयार हुए और अपहृत लड़की को बरामद करने के लिए निकल पड़े । करीब 9.00 बजे रात पुलिस स्टेशन जोर वाट से संकेत प्राप्त हुआ कि नीले रंग की एक मारुति जिप्सी में, खाकी कपड़े पहने हुए कुछ लोग एक लड़की को ले जा रहे हैं और वे जागीरगढ़ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तथा वे तेजी से पुलिस के सिगनल को भी पार करके आगे निकल गए । वाहन को रोकने और अपहृत लड़की को बरामद करने के लिए आठ पुलिस कर्मियों के साथ श्री डेका खेतड़ी चैकगेट की ओर गए । उन्होंने सड़क को अवरूद्ध कर दिया और बहुत ही संकरा रास्ता छोड़ा । करीब 9.15 बजे अपराह्न उन्होंने मारुति जिप्सी को आते देखा और उन्होंने जोर वाट की ओर से आते हुए ट्रकों से सड़क को अवरूद्ध कर दिया। जिप्सी रूक गई और वाहन में बैठी लड़की सहायता के लिए चिल्लाई । अपने दल के साथ श्री डेका तुरन्त ही वाहन की ओर दौड़े और उन्होंने नागालैंड पुलिस की वर्दी पहने चार व्यक्तियों को देखा । बिना समय गंवाए श्री डेका ने लड़की को जिप्सी के बाहर खींच लिया । इस पर पिछली सीट पर बैठे एक अपराधी ने अंधाधुंध गोली चला दी और एक गोली उप-निरीक्षक डेका के बाएं पैर में लगी । पुलिस दल ने आत्मसुरक्षा में जवाबी गोलीबारी की । अपराधियों में से वाहन के सामने की सीट पर बैठे और पुलिस निरीक्षक जैसी वर्दी पहने एक अपराधी ने पुलिस दल पर गोली चलाने का प्रयास किया लेकिन उसके ऐसा कर पाने के पहले ही श्री डेका ने अपनी निजी सुरक्षा की बिलकुल परवाह किए बिना उसका रिवाल्वर छीन लिया । इसी बीच रात्रि सुपर डीलक्स बसों सहित कई वाहन जोर वाट दिशा से मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए थे । यात्रियों के बीच में से और अंधेरे का फायदा उठा कर अपराधी भागने में सफल हो गए । बाद में अपहृत लड़की की एक नौकरानी को भी वाहन में से छुड़ाया गया । उसकी मालकिन के साथ उसका भी अपहरण कर लिया गया था ।

उस वाहन में ही रखा गया था और मुठभेड़ में उसके कंधे में गोली लग गई थी । इस प्रकार श्री डेका ने कोई प्रयास नहीं छोड़ा और अपने जीवन के प्रति खतरा उठाते हुए भी कारवाई की और अपहृत व्यक्तियों को छुड़ा लिया ।

इस मुठभेड़ में श्री हरे कान्त डेका, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ठ वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतगत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 मार्च, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 16-प्रेज/93—राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पवन कुमार,
कांस्टेबल,
धर्मशाला ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 2 अगस्त, 1990 को श्री पवन कुमार, कांस्टेबल, अन्य पुलिस कार्मिकों सहित कांडवाल अवरोधक पर बसों की जांच करने के लिए ड्यूटी पर तैनात थे । लगभग 1.50 बजे अपराह्न पटानकोट डिपो की एच० आर० टी० सी० बस संख्या एच० आइ० के०-3085, कांगड़ा जिले के पालमपुर में गढ़जामूला जाती हुई बस अवरोधक पर पहुंची । श्री पवन कुमार ने तुरन्त बस में खड़े यात्रियों से उतर जाने का अनुरोध किया ताकि बस की अच्छी तरह से तलाशी ली जा सके । बस की तलाशी लेते समय श्री पवन कुमार को सीट संख्या 45 व 46 के नीचे एक प्लास्टिक का थैला मिला, जिसको किसी भी यात्री ने अपना नहीं बताया । थैले में रखे सामान के प्रति संदिग्ध होते हुए उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक परन्तु साहसपूर्ण ढंग से थैले को वहां से हटाया । उन्होंने पाया कि वह एक टाईम-बम था क्योंकि उसमें घड़ी से जुड़ा हुआ एक तार एक डिटोनेटर से होते हुए एक किलोग्राम के विस्फोटक के टीक के डिब्बे से जुड़ा था । यदि वह बम फट गया होता तो उससे काफी नुक्सान हो गया होता और भरी हुई बस में कई व्यक्ति मारे गए होते । श्री कुमार ने तुरन्त बस में बैठे शेष यात्रियों से बस से उतर जाने का अनुरोध किया । बस के आस-पास का क्षेत्र साफ करा लिया गया तथा उसको घेर लिया गया । भीड़भाड़ वाले रिहायशी इलाकों को ध्यान में रखते हुए यह समझा गया कि विस्फोटक से अधिक नुक्सान होगा । अतः सब को एक एकान्त स्थान पर ले जाया गया । श्री कुमार ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया, और बस में प्रवेश करके उस उपकरण को उठाया और उसमें से एक तार निकाल दी और इस प्रकार बिजली के सर्किट को तोड़कर बम को निष्क्रिय बना दिया । इस कार्य की सभी ने बहुत अधिक प्रशंसा की ।

इस मुठभेड़ में श्री पवन कुमार कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 अगस्त, 1990 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 17-प्रेज/93—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विजय शंकर द्विवेदी,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला—मुरैना ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 5 अप्रैल, 1991 को, अपने क्षेत्र की दैनिक गश्त के दौरान श्री विजय शंकर द्विवेदी, एस० एच० ओ०, थाना सिहोनिया, को सूचना मिली कि खूंखार डकैत शिव नाथ सिंह अपने 5-6 साथियों के साथ गांव माई और राउरिया के बीहड़ क्षेत्र में छिपा हुआ है और पास के गांवों में हत्या और अपहरण करने की योजना बना रहा है । श्री द्विवेदी ने पुलिस स्टेशन में उपलब्ध बल को तत्काल गांव भोला-राम-का-पूरा में एकत्रित किया और बल को दो भागों में विभाजित किया । श्री द्विवेदी ने, एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबलों के साथ एक सहायक उप-निरीक्षक को उत्तरी दिशा में तैनात किया और उन्होंने दो कांस्टेबलों के साथ स्वयं पश्चिमी दिशा में मोर्चा संभाला । डकैतों के भागने के ये दो संभावित रास्ते थे । लेकिन डकैतों को किसी प्रकार से पुलिस की उपस्थिति की भनक लग गयी और उन्होंने उत्तरी दिशा से भागने की कोशिश की । सहायक उप-निरीक्षक ने डकैतों को आत्म-समर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलायी । पुलिस दल ने आत्म रक्षा में जवाबी गोलियां चलायी । बाद में गिरोह ने पश्चिमी दिशा से भागने की कोशिश की, जहां पर

श्री द्विवेदी ने घात लगा रखी थी । श्री द्विवेदी ने डकैतों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा लेकिन उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलायी । पुलिस ने आत्म रक्षा में जवाबी गोलियां चलायी । डकैत पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहे दोनों ओर से हो रही गोलीबारी में श्री द्विवेदी का बायां हाथ गोली लगने से जख्मी हो गया । गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना डकैतों पर गोलियां चलाते रहे जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने गिरोह के नेता शिवनाथ सिंह भदोरिया को मार गिराया । अन्य डकैत गोलियां चलाते रहे और उन्होंने उत्तरी रास्ते से भागने की पुनः कोशिश की जहां पर दूसरे दल से उनका मुकाबला हुआ और दल ने डकैतों पर भारी गोलाबारी की, जिसमें गिरोह का एक सदस्य मुकेश मारा गया । तथापि, शेष डकैत असन नदी के बीहड़ क्षेत्र का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए । तलाशी लेने पर डकैतों से 12 सक्रीय कारतूसों सहित एक .12 बोर की गन और चार सक्रीय कारतूसों के साथ एक .315 बोर की देशी गन बरामद की गयी । गिरोह के नेता शिवनाथ सिंह भदोरिया को पकड़ने के लिए 3000/– रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई थी ।

इस मुठभेड़ में श्री वी० एस० द्विवेदी, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदभ्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 अप्रैल, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 18–प्रेज/93—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री ए० जी० कदम,
सहायक पुलिस आयुक्त,
उत्तरी क्षेत्र,
बम्बई ।

श्री वी० एस० देशमुख,
पुलिस उप निरीक्षक,
पुलिस स्टेशन दहीसर
बम्बई ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 24 फरवरी, 1991 को करीब 19.30 बजे विशेष दस्ते (आसूचना एकत्र करने तथा अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए गठित) के अधिकारियों एवं कार्मियों के आतंकवादी बलदेव सिंह को मकान में प्रवेश करते हुए देखा । उन्होंने उसे तुरन्त ही चारों ओर से घेर लिया और आत्मसमर्पण कर देने के लिए कहा । आतंकवादियों ने इसका जवाब, स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार करके दिया । चूंकि यह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र था, इसलिए पुलिस कर्मियों ने गोली के जवाब में सावधानी से गोली चलायी, निर्दोष लोग घायल न हो जाएं । पुलिस निरीक्षक एम० ए० काबी तथा पुलिस उप निरीक्षक वी० एस० देशमुख उस मकान के 15 मीटर पास तक रेंगते हुए पहुंचे जिसमें से पुलिस दल पर गोलियां चलाई जा रही थीं । उन्होंने आतंकवादियों की कार को पंचर कर दिया जिससे कि उनके बच कर भाग जाने की संभावना न रहे । गोलीबारी 24 जनवरी, 1991 को 2100 बजे से 25 जनवरी, 1991 को 0400 बजे तक जारी रही । इसके बाद आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी बन्द हो गई । तलाशी के दौरान आतंकवादियों के तीन शव बरामद किए गए मुठभेड़ स्थल से भारी संख्या में हथियार एवं गोली बारूद बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री ए० जी० कदम, सहायक आयुक्त तथा वी० एस० देखमुख, पुलिस उप निरीक्षक ने उ-कृष्ट वीरता का साहस तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (एक) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 जनवरी, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 19–प्रेज/93—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का वार प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पी० एल० डिसूजा,
पुलिस उप-निरीक्षक,
पुलिस स्टेशन, डी० एन० नगर,
बम्बई ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 24 जनवरी, 1991 को करीब 1930 बजे विशेष दस्ते (अधिसूचना एकत्र करने तथा अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए गठित) के अधिकारियों एवं कर्मियों ने आतंकवादी बलदेव सिंह को मकान में प्रवेश करते हुए देखा । उन्होंने उसे तुरन्त ही चारों ओर से घेर लिया और आत्मसमर्पण कर देने के लिए कहा । आतंकवादियों ने इसका जवाब, स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार करके दिया । चूंकि यह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र था, इसलिए पुलिस कर्मियों ने गोली के जवाब में सावधानी से गोली चलाई, ताकि निर्दोष लोग घायल न हो जाएं । पुलिस निरीक्षक एम० ए० का दो तथा पुलिस उप-निरीक्षक श्री एम० देशमुख उस मकान के 15 मीटर तक रेंगते हुए पहुंचे, जिसमें से पुलिस दल पर गोलियां चलाई जा रही थीं । उन्होंने आतंकवादियों की कार को पंचर कर दिया जिससे कि उनके बचकर भाग जाने की संभावना न रहे । गोलीबारी 24-1-1991 को 2100 बजे से 25-1-1991 को 0400 बजे तक जारी रही । इसके बाद आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी बन्द हो गई । तलाशी के दौरान आतंकवादियों के तीन शव बरामद किए गए। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार एवं गोली बारूद बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री पी० एल० डिसूजा, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता साहस तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (एक) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 जनवरी, 1991 से दिया जायेगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 20-प्रेज/93—राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एन० श्यामनन्दा सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
इम्फाल ।

श्री नगनगोम बुद्ध सिंह,
कांस्टेबल, इम्फाल ।

श्री लोंगजम बाबू सिंह,
कांस्टेबल, इम्फाल ।

श्री मो० अलीमुद्दीन,
कांस्टेबल, इम्फाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 18 मई, 1992 को लगभग 10.10 बजे पूर्वाह्न यह सूचना प्राप्त होने पर कि तीन सशस्त्र बदमाशों ने, जिन पर उग्रवादी होने का संदेह है, डोन बास्को स्कूल, चिंगमेईरोंग, के गेट पर स्कूल के हैडमास्टर फादर मेवसटियन के सिर पर गोली चलाई और एक नीली मोटर साइकिल पर खुराई की तरफ भाग गए, श्री एम० श्यामनन्दा सिंह, पुलिस अधीक्षक, इम्फाल, अपने मार्ग-रक्षक कांस्टेबल एल० बाबू सिंह, कांस्टेबल मो० अलीमुद्दीन और कांस्टेबल (ड्राइवर) नगनगोम बुद्ध सिंह, के साथ अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस जीप में तत्काल चल पड़े । जब पुलिस अधीक्षक और उसका दल कोंगवा नदी पर बने पुल के पश्चिमी किनारे पर पहुंचे तो उन्हें एक नीले रंग की मोटर साइकिल दिखाई पड़ी जिसमें तीन संदिग्ध व्यक्ति सवार थे, जो तिनसिड सड़क पर पूर्व की तरफ तेजी से जा रहे थे । उनकी गतिविधियों पर संदेह होने पर, पुलिस अधीक्षक ने ड्राइवर कांस्टेबल नगनगोम बुद्ध सिंह को मोटर साइकिल का पीछा करने के लिए कहा । उसके बाद जीप तेज रफ्तार से मोटर साइकिल के नजदीक पहुंची । पुलिस अधीक्षक ने संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने के लिए संकेत देना और चिल्लाकर उनसे रुकने के लिए कहना शुरू किया । चेतावनी के प्रति कोई ध्यान दिए बिना, मोटर साइकिल पर सवार व्यक्तियों ने मोटर साइकिल की रफ्तार तेज करना जारी रखा ।

पुलिस दल को आगे बढ़ने से आतंकित करने और रोकने के लिए मोटर साइकिल में सबसे पीछे बैठे उग्रवादी ने अचानक पीछे मुड़कर गोली चलाई जो जीप के विन्ड स्क्रीन पर लगी और स्क्रीन टुकड़े-टुकड़े हो गया, जिससे कम दिखाई देने लगा । कांस्टेबल ड्राइवर नगनगोम बुद्ध सिंह बहुत अधिक सतर्कता और साहस के साथ वाहन चलाते रहे और गोली चलाने के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने बायीं मुट्ठि से कांच के टूटे टुकड़ों को हटाया । श्री सिंह, पुलिस अधीक्षक ने जीप से गोलियों का जवाब गोलियों से दिया । श्री सिंह के दृढ़ निश्चय को भांपते हुए, उग्रवादियों ने पुलिस जीप की तरफ एक हथगोला फैंका, जो दौड़ रही जीप के ठीक सामने फटा । विस्फोट होने के एक सैकण्ड के भीतर, भाग रहे उग्रवादियों ने मोटर साइकिल रोकी और फायर की आड़ में सड़क के दक्षिण में नाले में कूद गये और गोली चलाते रहे । विचलित हुए बिना और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री सिंह, पुलिस अधीक्षक, कांस्टेबल एल० बाबू सिंह और कांस्टेबल मो० अलीमुद्दीन के साथ जीप से बाहर कूदे और गोलियों का जवाब गोलियों से दिया, जिससे पुलिस दल और उग्रवादियों के बीच काफी नजदीक से भीषण मुठभेड़ हो गई । एक उग्रवादी ने श्री एस० एन० सिंह की तरफ एक हथगोला फैंकने की कोशिश की । खतरे के बावजूद श्री सिंह हथगोला पकड़े हुए उग्रवादी पर गोलियां चलाते रहे और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । इसी बीच दो शेष व्यक्ति पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहे । कांस्टेबल एल० बाबू सिंह और मो० अलीमुद्दीन ने दृढ़ निश्चय के साथ आगे की ओर से हमला किया और उग्रवादियों पर गोलियां चलायीं, जिससे एक उग्रवादी घटनास्थल से निकल कर भागने पर मजबूर हो गया, जबकि दूसरे कांस्टेबल मो० अलीमुद्दीन ने मार गिराया । भाग रहे उग्रवादी को देखने पर कांस्टेबल एल० बाबू सिंह ने उसका तेजी से पीछा किया, हालांकि उग्रवादी बराबर गोलीबारी करता रहा । कांस्टेबल एल० बाबू सिंह ने गोलियों का जवाब

गोलियों से दिया और भाग रहे उग्रवादी की पीठ पर गोली चलायी, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया। कांस्टेबल एल० बाबू सिंह अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर उस उग्रवादी की ओर कूद पड़ा और उसे दबोच लिया। उन्होंने उग्रवादी को तत्काल निशस्त्र करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पार्टी ने उग्रवादियों से निम्नलिखित शस्त्र गोला बारूद वस्तुएं बरामद कीं :—

(1) 7 चक्र गोला बारूद के साथ एक एम०-20 पिस्तौल।

(2) 13 चक्र गोला बारूद के साथ एक .38 रिवाल्वर।

(3) एक 36—एच० ई० ग्रेनेड।

(4) एक चीन निर्मित हथगोला।

(5) 396 नं० की एक याहमा मोटर साइकिल।

(6) आर०पी०एफ०/पी०एल०ए० के उत्तेजक दस्तावेज।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार व्यक्ति ने अपने आपको पी० एल० ए० का एक खूंखार उग्रवादी क्षेत्रीमायूम इनोचा सिंह बताया जबकि मारे गए उसके दो साथियों की पहचान पी० एल० ए० के खूंखार उग्रवादी लाईश्रम सुनील सिंह उर्फ केशो और श्याम सिंह के रूप में की गयी।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एल० श्यामनन्दा सिंह पुलिस अधीक्षक नगनगोम बुद्ध सिंह लोंगजाम बाबू सिंह और मो० अलीमुद्दीन कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) तहत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 मई, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 21—प्रेज/93—राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री० एन० श्यामजय सिंह
पुलिस उप-निरीक्षक
मणिपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 22 जुलाई 1991 को करीब 12.30 बजे (अपराह्न) मोरेह जाने वाली बस संख्या एम० एन० पी०—9981 के चालक श्री ओईनम तोम्बा सिंह ने सूचना दी कि चार सशस्त्र यात्रियों ने बस का अपहरण किया और गहरे हरे रंग की वर्दी पहने हुए पांच अन्य सशस्त्र युवकों की सहायता से मुख्य मार्ग से आधा कि० मी० दूर एक अप्रयुक्त सड़क पर बंदूक की नोक पर ड्राइवर सहित सभी यात्रियों से नकदी और कीमती सामान लूट लिया।

श्री एन० श्यामजय सिंह ओ० सी० थेगनाथाल पुलिस स्टेशन थाने के ने भा० द० सं० की धारा 395/397 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) (क) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 9(7)91 टी० पी० एल० पुलिस स्टेशन दर्ज की तथा तुरन्त अपने पुलिस दल सहित घटना स्थल की ओर रवाना हो गये। घटना स्थल पर पहुंचने पर श्री सिंह को पता चला कि बस लूटने के बाद गिरोह के लोग घटना स्थल से 3.5 कि० मी० की दूरी पर स्थित गांव सैवियोम की ओर चले गए। सैवियोम गांव के बाहरी इलाके में पहुंचने पर पुलिस दल ने बगैर अपनी उपस्थिति के बारे में किसी को पता न लगने देने के विना युक्तिपूर्ण और सावधानी पूर्ण ढंग से गांव को घेरना आरम्भ कर दिया। जब श्री सिंह कुछ सशस्त्र कांस्टेबलों सहित स्कूल के भवन की एक पक्की दीवार के बहुत नजदीक पहुंच गए तो उन्होंने अन्दर से आदमियों की आवाजें सुनी इस भवन पर बाहर से ताला लगा हुआ था। साथ ही उन्होंने देखा कि गहरी हरी वर्दी पहने एक युवक स्कूल की खिड़की के पास खड़ा था। जब श्री सिंह उस दृश्य के करीब पहुंचे तो पाया कि बाहर खड़े व्यक्ति के पास बंदूक थी तथा 6 व्यक्ति स्कूल के भवन के अन्दर बंदूक लिए हुए धन की गणना कर रहे थे। जब श्री सिंह ने बाहर खड़े व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया तो अन्दर से एक उपद्रवी ने अचानक उन पर गोली चलाई और उसके बांये हाथ में गोली लगने से गहरा घाव हो गया। श्री सिंह ने अपने साथियों को भवन का घेरा डालने का आदेश दिया तथा अन्दर छिपे उपद्रवियों से आत्मसमर्पण करने को भी कहा। उपद्रवियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाए पुलिस दल पर गोलियां चलानी आरंभ कर दीं तथा खिड़की से भाग निकलने की कोशिश की। उपद्रवियों ने पुलिस दल पर हथगोले भी फैंके परन्तु कोई भी घायल नहीं हुआ। भीषण मुठभेड़ के दौरान श्री सिंह ने भीषण रूप से गोली लगने से घायल होने के बावजूद भी अपने दल की सहायता से उपद्रवियों के दल के दो सदस्यों को मार कर गिरोह पर नियंत्रण पा लिया तथा उनमें से तीन को पकड़ लिया। उनमें से एक भाग निकलने में सफल हो गया। इन उपद्रवियों की बाद में कुकी सुरक्षा बल, जो कि मणिपुर में सक्रिय एक भूमिगत सशस्त्र दल है, के सदस्यों के रूप में पहचान की गई। उनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्र और गोला बारूद तथा 21,453/— रुपये नकद और कुछ कीमती दस्तावेज बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री एन० श्यामजय सिंह उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 जुलाई 1991 से दिया जायेगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं॰ 22-प्रेज/93—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विजय कुमार,
सहायक पुलिस अधीक्षक
नैनीताल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

सहायक पुलिस अधीक्षक और सी॰ ओ॰ काशीपुर श्री विजय कुमार दक्षिण जमपुर रेंज के जंगली क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों को बाहर खदेड़ने के लिए छानबीन अभियान चला रहे थे। 16 जनवरी 1992 को लगभग 1400 बजे जब जंगली क्षेत्र की छानबीन की जा रही थी तो उन्होंने घने जंगल में दो व्यक्तियों को झाड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश करते हुए देखा। इन व्यक्तियों की रहस्यमय गतिविधियाँ देखने पर श्री विजय कुमार ने उन्हें बाहर आने और अपनी शिनाख्त बताने के लिए ललकारा लेकिन आतंकवादियों ने सामने आने के बजाय "खालिस्तान जिन्दाबाद" का नारा लगाया और स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायीं। सशस्त्र आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होने का आभास होने पर श्री कुमार और उसके कार्मिकों ने पेड़ों के पीछे मोर्चा संभाला और जवाब में गोली चलायी। आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलायीं और उन्हें आगे बढ़ने से रोका। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए श्री कुमार ने अपने बल को दो ग्रुपों में विभाजित किया। श्री कुमार के नेतृत्व में एक ग्रुप आतंकवादियों के मोर्चे की ओर रेंगते हुए गया और दूसरे ग्रुप ने गोलियां चलाकर आड़ उपलब्ध करायी। जल्दी ही श्री कुमार और उसके कार्मिक छिपे हुए आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे और उन पर गोलीबारी की बौछार कर दी। मुठभेड़ में, श्री विजय कुमार के सटीक निशाने से एक आतंकवादी मारा गया। यह देखने पर कि श्री कुमार ने उनके एक साथी को मार गिराया है, दूसरे आतंकवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। बाद में मृतक आतंकवादी की शिनाख्त कुख्यात आतंकवादी वासन सिंह उर्फ जफरवाला, के रूप में की गयी, जिसने क्षेत्र में आतंक फैलाया हुआ था। घटनास्थल से मैगजीन सहित एक ए॰ के॰ 47 राइफल, एक रिवाल्वर .38 बोर और अन्य गोला बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री विजय कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 16 जनवरी, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं॰ 23-प्रेज/93—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री श्रीकिशन,
हैड-कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 31 जुलाई, 1992 को करीब 10.00 बजे जिस समय हैड कांस्टेबल श्री श्रीकिशन, दो अन्य कांस्टेबलों के साथ नांगलोई थाने के अधीन गंदे नाले से लगे हुए निहाल विहार क्षेत्र में गश्त पर थे तो एक सफेद मारूति वैन, जिसकी पंजीकरण संख्या डी॰ एल॰-3 सी-बी-7112 थी, तथा जिसमें चार व्यक्ति बैठे थे, ने पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी से अपनी वैन आगे निकाली श्री श्रीकिशन ने गड़बड़ी की शंका करते हुए वैन का पीछा किया और गांव नांगलोई सैयद में अग्नि शमन कार्यालय के निकट वैन को रोक लिया। श्री श्रीकिशन तथा अन्य कांस्टेबल अपने वाहन से उतर गये और वैन की जांच करने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही पुलिस दल ने वैन में बैठे व्यक्तियों से, अपनी पहचान बताने के लिए कहा तो वैन के चालक, जिसकी पहचान बादमें विजय पाल सिंह उर्फ हैप्पी के रूप में हुई, ने पुलिस कांस्टेबल पर दो गोलियां चलाई, परन्तु श्री श्रीकिशन सौभाग्यवश नीचे झुक गए। लेकिन श्री श्रीकिशन पर चलाई गई अन्य कुछ गोलियां उनके पेट और बांए हाथ में लगी। वे मारूति वैन को भगा ले गए। मारूति वैन को भागते देख श्री श्रीकिशन ने अपना पूरा साहस बटोरा और उग्रवादियों को गिरफ्तार करने का दृढ़ निश्चय करके, स्वयं ड्राइवर की सीट संभाली और उग्रवादियों का पीछा किया, परन्तु अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण वे आधे रास्ते के बाद वाहन चला सकने की स्थिति में नहीं रहे। अब ड्राइवर कांस्टेबल ने वाहन चलाना शुरू किया। पी॰ सी॰ आर॰ वैन ने मारूति वैन का तेजी से पीछा किया। वैन से गोलियां चलती रहीं। पुलिस दल को बहुत तेजी से पीछा करते और गोलियां चलाते देखकर मारूति वैन के चालक घबरा गया और वैन का नियंत्रण खो बैठा तथा गुरु नानक नगर में एक दुकान में वैन जा टकराई और रुक गई। जैसे ही गाड़ी वहां रुकी अत्यधिक कमजोरी की स्थिति में श्री श्रीकिशन सहित तीनों पुलिस कार्मिक वैन में बैठे व्यक्तियों पर झपट पड़े और उनको घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया तथा उनसे आठ बिना चले कारतूसों सहित .9 मि॰ मि॰ (अध-स्वचलित) की एक चीन में निर्मित पिस्तौल बरामद की। श्री श्रीकिशन को इलाज के लिए दीन दयाल उपाध्याय हस्पताल ले जाया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक अत्यधिक खूंखार आतंकवादी विजय पाल सिंह के दिल्ली और पंजाब के आतंकवादियों के साथ संबंध थे तथा लूटपाट की गई घटनाओं में शामिल था।

इस मुठभेड़ में श्री श्रीकिशन, हैड कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 जुलाई, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, 20 फरवरी 1993

सं० 24-प्रेज/93—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री श्याम सिंह,
कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

कैलाश कालोनी पार्क में एक संदेहास्पद व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में 6 अप्रैल, 1992 को लगभग 2.05 बजे अपराह्न को पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक अज्ञात व्यक्ति से टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ । सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त ही पुलिस नियंत्रण कक्ष का एक वाहन वहां पहुंचा और उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में लाया गया, जहां पर उसकी तलाशी ली गई और उसके कब्जे से एक ए० के०-47 राईफल, एक भरी हुई मैगजीन, सक्रिय कारतूस और एक साईनाईड कैपसूल बरामद किए गए । आगे पूछताछ करने पर पता लगा कि वह पार्क उसके लिए अपने साथियों से मिलने के लिए एक मिलन स्थान था । उपरोक्त सूचना पर कांस्टेबल वीरेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र कुमार और श्याम सिंह रिवाल्वरों से लैस होकर, पार्क में निगरानी रखने के लिए सादे वस्त्रों में घटनास्थल पर पहुंचे । जब तीनों कांस्टेबल पार्क का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने 3 संदिग्ध युवकों को देखा जो कैलाश कालोनी मार्किट के नजदीक पार्क के पश्चिमी किनारे पर खड़ी की गयी काले रंग की एक मोटर साईकल (राजदूत) नं० डी० आई० एस०-3925 की तरफ बढ़ रहे थे और इस पर सवार होकर भागने वाले थे कि श्री सत्येन्द्र कुमार ने मोटर साईकल की इगनिशन चाबी निकाल ली । इस पर एक आतंकवादी ने कांस्टेबल सत्येन्द्र के जबड़े पर अपने सिर से हमला किया और गोली चलायी, लेकिन कांस्टेबल के झुक जाने से गोली पास से गुजर रहे एक व्यक्ति की पीठ पर लगी । तीनों आतंकवादी तुरन्त भाग गए और कांस्टेबलों ने उनका तेजी से पीछा किया । दो आतंकवादी, जिनकी बाद में लाजपत नगर दिल्ली के हरभजन सिंह और गोविन्दपुरी, दिल्ली के राजेन्द्र सिंह उर्फ राजा के रूप में शिनाख्त की गयी, मकान नं० एफ-15, कैलाश कालोनी के पिछवाड़े में घुस गये । कांस्टेबल वीरेन्द्र सिंह और सत्येन्द्र कुमार, इस बात की जानकारी के बावजूद कि आतंकवादी शस्त्रों से लैस हैं, अत्याधिक साहस से और अपने जीवन के मूल्य पर मकान के पिछवाड़े की तरफ गए, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, गोली चलायी और दोनों आतंकवादियों को घटनास्थल पर ही मार गिराया और राजविन्द्र सिंह से .38 का एक रिवाल्वर बरामद किया । इसी बीच कांस्टेबल श्याम सिंह, जो तीसरे अपराधी का पीछा कर रहे थे, अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह किए बिना तेजी से पीछा करते रहे और आखिरकार पीछा करने के बाद उस तक पहुंच गए और हाथापाई के बाद उसे पकड़ने में कामयाब हो गए और उनके कब्जे से एक चाकू जब्त किया । पकड़े गए अपराधी की शिनाख्त बाद में संतनगर, दिल्ली निवासी अमृतपाल उर्फ पप्पू के रूप में की गई । तीनों कांस्टेबलों की बहादुरी के परिणाम-स्वरूप तीनों आतंकवादियों का गिरोह समाप्त हो गया ।

इस मुठभेड़ में श्री श्याम सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(एक) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं० 25-प्रेज/93—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री वीरेन्द्र सिंह,
कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस ।

श्री सत्येन्द्र कुमार,
कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

कैलाश कालोनी पार्क में एक संदेहास्पद व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में 6 अप्रैल, 1992 को लगभग 2.05 बजे अपराह्न को पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक अज्ञात व्यक्ति से टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ । सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त ही पुलिस नियंत्रण कक्ष का एक वाहन वहां पहुंचा और उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में लाया गया, जहां पर उसकी तलाशी ली गयी और उसके कब्जे से एक ए० के०-47 राईफल, एक भरी हुई मैगजीन, सक्रिय कारतूस और एक साईनाईड कैपसूल बरामद किए गए । आगे पूछताछ करने पर पता लगा कि वह पार्क उसके लिए अपने साथियों से मिलने के लिए एक मिलन स्थान था । उपरोक्त सूचना पर कांस्टेबल वीरेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र कुमार और श्याम सिंह रिवाल्वरों से लैस होकर, पार्क में निगरानी रखने के लिए सादे वस्त्रों में घटना-स्थल पर पहुंचे । जब तीनों कांस्टेबल पार्क का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने 3 संदिग्ध युवकों को देखा जो कैलाश कालोनी

मार्किट के नजदीक पार्क के पश्चिमी किनारे पर खड़ी की गयी काले रंग की एक मोटर साईकल (राजदूत) सं० डी० आई० एस०-3925 की तरफ बढ़ रहे थे और इस पर सवार होकर भागने वाले थे कि सत्येन्द्र कुमार ने मोटर साईकल की इगनिशन चाबी निकाल ली। इस पर एक आतंकवादी ने कांस्टेबल सत्येन्द्र के जबड़े पर अपने सिर से हमला किया और गोली चलायी, लेकिन कांस्टेबल के झुक जाने से गोली पास से गुजर रहे एक व्यक्ति की पीठ पर लगी। तीनों आतंकवादी तुरन्त भाग गए और कांस्टेबलों ने उनका तेजी से पीछा किया। दो आतंकवादी, जिनकी बाद में लाजपत नगर, दिल्ली के हरभजन सिंह और गोविन्दपुरी, दिल्ली के राजेन्द्र सिंह उर्फ राजा के रूप में शिनाख्त की गई, मकान नं० एफ-15, कैलाश कालोनी के पिछवाड़े में घुस गए। कांस्टेबल वीरेन्द्र सिंह और सत्येन्द्र कुमार, इस बात की जानकारी के बावजूद कि आतंकवादी शस्त्रों से लैस हैं, अत्यधिक साहस से और अपने जीवन के मूल्य पर, मकान के पिछवाड़े की तरफ गए, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, गोली चलायी और दोनों आतंकवादियों को घटनास्थल पर ही मार गिराया और राजविन्द्र सिंह से .38 का एक रिवाल्वर बरामद किया। इसी बीच कांस्टेबल श्याम सिंह, जो तीसरे अपराधी का पीछा कर रहे थे, अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह किए बिना तेजी से पीछा करते रहे और आखिरकार काफी पीछा करने के बाद उस तक पहुंच गए और हाथापाई के बाद उसे पकड़ने में कामयाब हो गए और उसके कब्जे से एक चाकू जब्त किया। पकड़े गए अपराधी की शिनाख्त बाद में संतनगर, दिल्ली निवासी अमृतपाल उर्फ पप्पू के रूप में की गयी। तीनों कांस्टेबलों की बहादुरी के परिणामस्वरूप तीनों आतंकवादियों का गिरोह समाप्त हो गया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री वीरेन्द्र सिंह और सत्येन्द्र कुमार, कांस्टेबलों ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(एक) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं० 26-प्रेज/93—राष्ट्रपति केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मोती लाल (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
तृतीय रिजर्व बटालियन,
भिलाई,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 9 नवम्बर, 1991 को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ आतंकवादियों ने एन० एच० पी० सी० रिहायशी कालोनी, उड़ी में शरण ले रखी है। तृतीय बटालियन की केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ी द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने एक ए० के० 56 राईफल, तीन फील्ड मैगजीन और दो हथगोलों सहित दो आतंकवादियों को पकड़ा।

आतंकवादियों द्वारा प्रतिकारात्मक कार्रवाई किए जाने की संभावना में बटालियन के सभी कार्मिकों को पूरी तरह सतर्क किया गया। 10 नवम्बर, 1991 को, जैसी कि उम्मीद थी, लगभग 0700 बजे आतंकवादियों ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बैरकों पर हमला किया। कांस्टेबल मोतीलाल ने अपना मोर्चा संभाला और अन्य कार्मिकों के साथ गोलियों का जवाब गोलियों से दिया। आतंकवादी, बड़ी संख्या में, अपने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाते हुए, बन्दी बनाये गए अपने साथियों को छुड़ाने के लिए तीन दिशाओं से बैरकों की तरफ बढ़े और उन्होंने प्रतिशोध स्वरूप केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को हताहत किया। कांस्टेबल मोतीलाल ने सबसे पहले गोली का जवाब गोली से दिया और आतंकवादियों से बहादुरी के साथ लड़ने के लिए अपने साथियों को प्रोत्साहित किया। जब गोलीबारी हो रही थी तो गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों ने भागने की कोशिश की। कांस्टेबल मोती लाल ने उन्हें देख लिया। उन्होंने तुरन्त कार्रवाई की, अपने छिपने के स्थान को छोड़ा और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, भाग रहे उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए बाहर आ गए। श्री मोती लाल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों ने उग्रवादियों पर गोलियां चलायीं, जो भागने की कोशिश कर रहे थे और उन दोनों को मार गिराया। इसी बीच अन्य उग्रवादियों ने यह देखा और उन्होंने कांस्टेबल मोती लाल को गोलियों का निशाना बनाया। इस कार्रवाई में उन्हें गोली लगी, जो बाद में घातक सिद्ध हुई। इस प्रकार कांस्टेबल मोती लाल, अदम्य साहस और समर्पण भाव से उग्रवादियों के साथ लड़े और उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया।

इस मुठभेड़ में श्री मोती लाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 नवम्बर, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 27-प्रेज 93—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री के० एस० फोनियां
सहायक कमांडेंट,
98 बटालियन,
बी० एस० एफ० ।

श्री एस० सी० गुंड,
लांस नायक,
98 बटालियन,
बी० एस० एफ० ।

मेत्राओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 19 अक्तूबर 1990 को करीब 12.40 बजे सीमा सुरक्षा बल और पुलिस की एक संयुक्त टुकड़ी तीन विभिन्न वाहनों में तलाशी अभियान पर गांव बाजाचक, जोहड़ कुंडा और भूंबली को गई । करीब 15.10 बजे जब यह दल खुडा-भूंबली रोड पर गांव भूंबली के निकट पहुंचा तो बीच वाले वाहन के सामने एक बम विस्फोट हुआ । विस्फोट के बाद ही निकटवर्ती गन्ने के खेतों से स्वचालित हथियारों द्वारा काफिले पर गोलियों की बौछार हुई । विस्फोट से कोई नुकसान नहीं हुआ । दल ने तुरन्त मोर्चा संभाला और जबाबी गोलीबारी की। उस समय तक आतंकवादी खेतों की ओर भाग निकल।

छापा मारने वाले दल ने भागते हुए आतंकवादियों का पीछा करना शुरू कर दिया और साथ ही धारीवाल स्थित सीमा सुरक्षा बल की 98वीं बटालियन के मुख्यालय को भी घटना के बारे में सूचित कर दिया । सहायक कमांडेंट श्री के० एस० फोनियां तुरन्त ही कुमुक के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए । यह दल आतंकवादियों का पीछा करने वाले दल से जा मिला और लोदी पुर गांव तक पहुंच गया और इसके बाद व्यवस्थित एवं युक्तिपूर्ण ढंग से, निकटवर्ती गन्ने एवं धान के खेतों की तलाशी ली गई ।

खेतों को सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी द्वारा घेर लिया गया और श्री के० एस० फोनियां को धान के खेतों की तलाशी का काम सौंपा गया। जैसे ही वे धान के खेतों में आगे बढ़े उन पर और उनके दल पर भारी गोलीबारी हुई । दल ने तुरन्त ही मोर्चा संभाला और जबाब में गोली चलायी ।

तलाशी के दौरान लांस नायक एस० सी० गुंड ने एक फार्म हाउस के पास पड़े धान के ढेर में से एक राइफल की नाल बाहर निकलती देखी । श्री गुंड ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए और बिजली जैसी तेजी से कार्रवाई करते हुए अपने जीवन के प्रति भारी खतरा मोल लेकर राइफल की नाल का ऊपरी हिस्सा पकड़ लिया । उसने एक आतंकवादी को गोली चलाने की स्थिति में राइफल को पकड़े हुए पाया लेकिन उसके द्वारा गोली चलाए जाने से पहले ही श्री गुंड ने राइफल छीन ली और आतंकवादी को दबोच लिया। आतंकवादी घायल था । इस बीच आतंकवादियों तथा श्री के० एस० फोनियां की अगुवाई वाले दल के बीच करीब 30 मिनट तक रुक-रुक कर गोली चलती रही । इसके बाद कुछ देर तक शांति रही । तब श्री फोनियां और उनका दल फिर से आगे बढ़ा । इस दल पर बहुत नजदीक से भारी गोलीबारी हुई। एक बार फिर उन्होंने मोर्चा लिया और तब आतंकवादियों पर हथगोले फेंकने का निर्णय लिया गया । श्री फोनियां ने हथगोले फेंके जिस पर आतंकवादियों ने गोली चलाना बंद कर दिया । एक बार फिर वे धान के खेतों में आगे बढ़े और एक आतंकवादी को ए० के० 47 राइफल पकड़े हुए वहां छिपा हुआ देखा । लेकिन आतंकवादी के श्री फोनियां पर गोली चला पाने से पहले ही उन्होंने आतंकवादी पर अपनी पिस्तौल से गोली चलाई और उसे उसी जगह मार डाला । गिरफ्तार किया गया घायल आतकवादी बाद में पुलिस स्टेशन धारीवाल ले जाते हुए रास्ते में ही मर गया । मुठभेड़ में तीनों आतंकवादी मारे गए जिनकी पहचान बाद में जसबीर सिंह उर्फ बाबा बुलेट हरदयाल सिंह तथा लखविंदर सिंह उर्फ सीतल सिंह के रूप में की गई । तलाशी के दौरान एक ए० के०-47 राइफल एक .303 राइफल एक दोनाली बंदुक और बड़ी संख्या में जीवित खाली कारतूस मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री के० एस० फोनियां, सहायक कमांडेंट और एस० सी० गुंड लांस नायक ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 अक्तूबर 1990 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 28-प्रेज 93—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री सुनील मोहन,
उप-निरीक्षक,
76 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री नाहर सिंह,
हेड कांस्टेबल,
76वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 15 मार्च 1991 को करीब 23.00 बजे उप-निरीक्षक सुनील मोहन के नेतृत्व में एक विशेष गश्ती दल गांव पोशवाड़ी में उग्रवादियों के छिपने के संदिग्ध स्थानों पर छापा मारने के लिए रवाना हुआ । अगली सुबह, अर्थात् दिनांक 16 मार्च 1991 को करीब 4.30 बजे जिस समय यह दल बटालियन मुख्यालय लौट रहा था, और जब गांव पोशवाड़ी की मस्जिद के निकट पहुंचा तो मस्जिद में छिपे कुछ उग्रवादियों ने दल पर अत्याधुनिक हथियारों से गोली चलाई । उप-निरीक्षक सुनील मोहन ने जल्दी में स्थिति का आंकलन किया और जिस दिशा से गोलियां चल रही थी उस ओर जवाबी गोलीबारी की तथा तेजी से पेड़ों के पीछे मोर्चा संभाल लिया । इसके साथ-साथ दल के अन्य सदस्यों ने मस्जिद की घेरा बंदी कर ली और भाग निकलने के सभी रास्तों को बंद कर दिया । उग्रवादियों और गश्ती दल के बीच 6.30 बजे तक रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही । जब उग्रवादियों की ओर से गोलीबारी तेज हो गई तो उप-निरीक्षक सुनील मोहन और हेड कांस्टेबल नार सिंह ने अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल चिन्ता किए बिना उन चारों उग्रवादियों पर भारी गोली बारी की जो मस्जिद के गेट के पीछे से गोलियां चला रहे थे तथा इस प्रक्रिया में उन सभी चारों उग्रवादियों को मार डाला जो मस्जिद के गेट के निकट छिपे थे । इस दौरान मस्जिद की ऊपर की मंजिल से उग्रवादियों ने हथगोले फेंके तथा अन्य उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के दल पर अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी । सूचना के प्राप्त होते ही यूनिट के कमांडेंट कुमक सहित घटनास्थल की ओर चल दिए और गोलीबारी के जारी रहते हुए ही घटनास्थल पर पहुंच गए । उग्रवादियों की ओर से गोलीबारी करीब 8.30 बजे रुकी । उसके बाद स्थानीय व्यक्तियों सहित सीमा सुरक्षा बल के दल ने मस्जिद की तलाशी ली तो सात उग्रवादियों के शव बरामद हुए जिनमें से एक मस्जिद के भीतर तथा 6 गेट के सामने बाहर की ओर आंगन में पड़े मिले । मृत उग्रवादियों की बाद में मौ० मुश्ताक भट्ट, फैज अहमद मलिक, मौ० अयूब भट्ट, गुलाम मोहिनुद्दीन डूगर, बशीर अहमद, एयाज अहमद लोनी और शोकेब अहमद वानी के रूप में पहचान की गई । मुठभेड़ स्थल की तलाशी लेने पर वहां से 4 ए० के०-56 राइफलें, एक सब-मशीन गन, 6 हथगोले, 10 डिटोनेटर्स तथा बड़ी मात्रा में कारतूस तथा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सुनील मोहन, उप-निरीक्षक तथा नार सिंह, हेड कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ते भी दिनांक 15 मार्च, 1991 से दिए जायेंगे ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं० 29-पेज/93—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री प्रीतम सिंह भान,
सूबेदार,
57वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री मेहर सिंह,
हेड कांस्टेबल,
57वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री बजरंग सिंह,
हेड कांस्टेबल,
57वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री के० के० पाठक,
हेड कांस्टेबल,
57वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री श्याम सिंह,
कांस्टेबल,
57वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 27 नवम्बर, 1990 को करीब 7.00 बजे कमालपुर सीमा चौकी के अधीन टेंट चौकी, चंडीगढ़ पर 57वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल का एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल ओ० पी० टावर के पास ओ० पी० टीम का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें रिलीव करने वाली थी। उस समय नाका क्षेत्र घने कोहरे से ढका हुआ था और करीब 7.00 बजे हेड कांस्टेबल ने तीन आदमियों के साए देखे, जिनकी पीठ पर कुछ बोझा रखा हुआ था तथा जो नाका लाइन के पीछे करीब 30 गज की दूरी पर उगे हुए घने सरकंडों में घुसे रहे थे । उसने तुरन्त ही शोर मचाया और इसे सुनकर कंपनी कमांडर सहित अन्य नाका कर्मी

तुरन्त ही वहां पहुंचे और उस क्षेत्र को घेर लिया । कंपनी कमांडर ने घटना के बारे में बटालियन हैड क्वार्टर को सूचित कर दिया और उसके बाद कमालपुर और कासोवाला में स्थित पड़ोसी कंपनियों से अतिरिक्त टुकड़ियां मांगी ।

कंपनी कमांडर ने पहले उस क्षेत्र की ओर एल० एम० जी० से गोलियां चलाई जिधर घुसपैठिए बचकर भाग गए थे । चूंकि उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई इसलिए उन्होंने प्रकाश करने वाले बम फेंके और इसके बाद 3 एच० ई० बम फेंके लेकिन कोई उत्तर नहीं आया । तब उन्होंने अपने साथ एक टुकड़ी ली और उसे क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए पूर्वी दिशा में गए । करीब 100 गज तक आगे बढ़ने के बाद टुकड़ी के सामने एक बड़ा खड्डा था, जिसे पार करना खतरे से भरा था । उन्होंने अपनी योजना बदल दी और पश्चिमी दिशा से आगे बढ़े । बाद में सूबेदार पी० एस० मान की सहायता से कंपनी कमांडर ने आक्रमण के लिए विस्तृत फार्मेशन में सामने से हमला करने हेतु दो ग्रुप बनाए । आक्रमण दल ने सरकंडों के झंड में 5 हथगोले फेंके लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई ।

करीब 50 गज चलने के बाद यह दल खड्डे के पास पहुंचा । कंपनी कमांडर ने अपने दल को रोका । लेकिन सूबेदार पी० एस० मान, हेड कांस्टेबल बजरंग सिंह, के० के० पाठक, मेहर सिंह और कांस्टेबल श्याम सिंह ने गोली चलाते हुए सीधे आगे बढ़ने का निर्णय लिया । अचानक विपरीत दिशा से गोलियों की बौछार हुई । दल ने गति कर ली और उस स्थान की ओर तेजी से आगे बढ़े जिधर से गोलियां चलाई गई थी ।

इसी बीच उन्होंने तीन सशस्त्र घुसपैठियों को देखा जो स्वचालित हथियारों से आक्रमण दल पर गोली चला रहे थे । इस प्रक्रिया में हेड कांस्टेबल मेहर सिंह को सीधे हाथ में कोहनी के ऊपर गोलियां लगीं । गंभीर चोट लगने और तेजी से खून बहने के बावजूद उसने विकट साहस और दृढ़ निश्चय से घुसपैठियों पर गोली चलाई और उनमें से एक को मार डाला ।

कांस्टेबल श्याम सिंह और हेड कांस्टेबल पाठक ने दो घुसपैठियों को आक्रमण दल पर गोली चलाते हुए देखा । अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना कांस्टेबल श्याम सिंह घुसपैठियों की ओर बढ़ा लेकिन उनके द्वारा अंधाधुंध गोली चलाए जाने से उसके दांए टखने में गोली लग गई । तेजी से खून बहने के बावजूद उसने अपनी एम० एल० आर० से उनमें से एक घुसपैठिये को मार डाला ।

इस बीच सूबेदार पी० एस० मान ने स्थिति का जायजा लिया और बिना समय गंवाए वे, हेड कांस्टेबल बजरंग सिंह और के० के० पाठक के साथ गड्ढे में कूद गए तथा औरों को भी तेजी से रेड के लिए प्रेरित किया । श्री मान को अपने एकदम नजदीक देखकर उनमें से एक आतंकवादी हड़बड़ा गया और उसने बिना लक्ष्य साधे गोली चलाई । इस स्थिति का फायदा उठाकर एक सैकेण्ड से भी कम समय में श्री मान ने आतंकवादी पर गोली चलाई और उसे वहीं मार डाला ।

इसी मध्य श्री बजरंग सिंह, आतंकवादियों द्वारा भारी गोलीबारी के बावजूद, एक आतंकवादी पर टूट पड़े और अपनी कार्बाइन से उसे वहीं पर मार डाला ।

गड्ढे में कूदने के बाद हेड कांस्टेबल के० के० पाठक अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, आक्रमण दल पर फायरिंग करने वाले एक आतंकवादी की ओर बिजली जैसी तेजी से दौड़े । यह देखकर आतंकवादी ने फिर श्री पाठक पर गोली चलाई लेकिन श्री पाठक ने तुरन्त ही प्रत्याक्रमण करते हुए अपनी कार्बाइन से गोलियां चलाईं और उसे वहीं पर मार डाला । तलाशी के दौरान आतंकवादियों के पांच शव और भारी मात्रा में हथियार/गोली बारूद, विस्फोटक और करेंसी नोट तथा आसूचना की दृष्टि से बहुत से बहुमूल्य दस्तावेज मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री प्रीतम सिंह मान सूबेदार मेहर सिंह, बजरंग सिंह, के० के० पाठक, हैड कांस्टेबल और श्याम सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 नवम्बर, 1990 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 30-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री बिधि चन्द,
उप-निरीक्षक,
151वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

मलर कोटला-जर्ग सड़क पर गांव बंग में एक फार्म हाऊस में दो सशस्त्र उग्रवादियों के छिपे होने के बारे में पुलिस स्टेशन मलर कोटला में 25 जून, 1991 को विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई । मलर कोटला के पुलिस सहायक अधीक्षक ने तत्काल, पुलिस पार्टी और सीमा सुरक्षा बल की 151वीं बटालियन के उप-निरीक्षक बिधि चंद के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल की पार्टी को लोक निर्माण विभाग के विश्राम

गृह, मलर कोटला में एकवित होने का निदेश दिया। उन्होंने पुलिस/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों को समझाया। वे गांव बंग गए और फार्म हाऊस को घेर लिया। तीन पार्टियां बनायी गई, मलर कोटला के पुलिस सहायक अधीक्षक के नेतृत्व में एक पार्टी ने पड़ोस के मकान की छत पर मोर्चा संभाला, उप-निरीक्षक बिधि चंद के नेतृत्व में दूसरी पार्टी ने सामने से मोर्चा संभाला और सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों के तीसरे ग्रुप ने फार्म हाऊस के कमरों के पीछे मोर्चा संभाला। इसके बाद पुलिस सहायक अधीक्षक ने आतंकवादियों और फार्म हाऊस के निवासियों को आत्म समर्पण करने के लिए ललकारा। इस पर फार्म हाऊस के मालिक का परिवार बाहर आ गया लेकिन फार्म हाऊस के कमरों में मोर्चा संभाले हुए आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टियों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस पार्टियों ने गोलीबारी का जवाब गोलीबारी से दिया। इसी दौरान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संगरूर घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कारवाई की कमांड संभाल ली और लाउड स्पीकर से बोलते हुए आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन वे पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाते रहे। कुछ समय बाद, एक पुलिस पार्टी फार्म हाऊस के छत पर पहुंच गई और मकान की छत पर छेद करके अश्रु गैस के गोले/एच॰ ई॰ 36 हथगोले अंदर डाले। इस पर घरेलू सामान पर आग लग गयी और एक आतंकवादी बाहर आया और उसने श्री चन्द के नेतृत्व वाली सीमा सुरक्षा दल की पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। श्री बिधि चन्द ने, जो फार्म हाऊस के सामने थे अपने जीवन की परवाह न करते हुए आतंकवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के सामने आ गए और अपनी स्टैनगन से दृढ़तापूर्वक उस आतंकवादी पर गोली चलाई, जो सीमा सुरक्षा बल की पार्टी पर गोलियां चला रहा था। इसके परिणामस्वरूप आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया। 4 घंटे तक गोलीबारी होती रही। उसके बाद आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गयी। तलाशी के दौरान फार्म हाऊस के परिसर में एक उग्रवादी का शव मिला और एक दूसरा शव गिरे हुए छत के मलबे में दबा हुआ पाया गया। फार्म हाऊस के कमरों से कुछ आधुनिक हथियार, गोला बारूद और एक स्कूटर बरामद हुआ। मृत आतंकवादियों की शिनाख्त जगरूप सिंह और जगजीत सिंह के रूप में की गयी, जो श्री डी॰ एस॰ मंगत, पुलिस महानिदेशक, पंजाब, लुधियाना में श्री ओ॰ पी॰ मल्होत्रा, पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल, श्री सुबोध कान्त सहाय, भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री पर कातिलाना हमला करने की घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त थे और निर्दोष लोगों की हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार थे।

इस मुठभेड़ में श्री बिधि चंद, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जून, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं॰ 31-प्रेज/93—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री एम॰ के॰ सेठ,
कमांडेंट,
142वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री प्रेम सिंह,
सूबेदार,
142वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 10 अक्तूबर, 1991 को सूचना प्राप्त हुई कि हिज़बुल मुजाहिदीन ग्रुप के उग्रवादियों की एक बैठक गांव मानीविज में हो रही है। श्री मुनिन्दर कुमार सेठ, कमांडेंट 142वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, ने उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिए कारवाई की एक योजना बनाई। तीन अलग-अलग दल बनाए गए, पहला वह जो रथीपुरा-रिशीपुरा पर बाहर जाने के रास्तों को बंद करे, दूसरा दल वह जो गांव गलहुग से बाहर जाने के रास्ते बंद करे तथा तीसरा वह जो गांव काकापुरा से उग्रवादियों के छिपने के स्थान की ओर बढ़े। जब दो दलों द्वारा बाहर जाने के रास्ते बंद कर दिए गए, तो सूबेदार प्रेम सिंह के नेतृत्व वाला दल गांव काकापुरा की ओर से आगे बढ़ा। उसी समय श्री सेठ ने अपनी कमांडो प्लाटून को रत्नीपुरा से गांव मानीविज के अन्दर प्रवेश कराया। जब वे गांव मानीविज के निकट पहुंच रहे थे तो गांव मानीविज से रत्नपुरा की ओर भागने का प्रयास करते रहे उग्रवादियों द्वारा उन पर गोलियां चलाई गईं। श्री सेठ और उनके दल ने आत्म सुरक्षा में जवाबी गोलियां चलाई तथा उनके छिपने के स्थान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तदोपरान्त, श्री सेट और उनका दल, सरगर्मी से उग्रवादियों की तलाश करते हुए गांव मानीविज में घुसे। उग्रवादियों ने पुनः पुलिस दल पर भीषण गोलीबारी की। एक घर में छिपे एक उग्रवादी ने श्री सेट पर गोली चलाई, लेकिन वे सौभाग्यवश घायल नहीं हुए। गोलियां उनके पास से होती हुई निकल गई। अपनी निजी सुरक्षा की चिंता किए बिना तुरन्त ही रेंगकर वे उस घर तक गए और ए॰ के॰-47 राईफल से उग्रवादी पर गोली चला कर उसे वहीं मार गिराया। इसी बीच जब सूबेदार प्रेम सिंह के नेतृत्व वाला

दल गांव मानीविज के बाहरी क्षेत्र के निकट पहुंचा तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात एक उग्रवादी ने श्री प्रेम सिंह पर गोली चलाई । श्री प्रेम सिंह ने तुरन्त गोलियां चलाईं । श्री सिंह ने अपने दल को पुनः संगठित किया और उनके छिपने के ठिकाने की ओर बढ़े । तब तक उग्रवादियों ने उन पर और उनके दल के सदस्यों पर भी भीषण गोलीबारी शुरू कर दी थी । अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना सूबेदार प्रेम सिंह ने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और भीषण गोलीबारी के बीच उग्रवादियों के छिपने के स्थान पर आक्रमण किया । इस प्रकार, वह एक उग्रवादी का खात्मा करने में सफल हो गए । उसके बाद श्री सेठ और सूबेदार प्रेम सिंह ने अपने-अपने दलों के साथ युक्तिपूर्ण ढंग से उग्रवादियों का पीछा किया और भागते हुए उग्रवादियों में से एक उग्रवादी को मार डालने में सफल हो गए । इस मुठभेड़ में कुल मिलाकर तीन आतंकवादी मारे गये । उनकी बाद में जावेद एहमद नायक, शरीफ अहमद डर, और मोहम्मद सफी मीर के रूप में पहचान की गई । इसके अलावा घटनास्थल से हिजबुल मुजाहिदीन गिरोह के दो अन्य प्रमुख उग्रवादी भी गिरफ्तार किए गए । हत्या सहित आतंकवादी के कई मामलों में वे ग्रस्त थे । तलाशी के दौरान, घटनास्थल से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस० के० सेठ, कमांडेंट और प्रेम सिंह, सूबेदार ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 अक्तूबर, 1991 से दिए जाएंगे ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 32-प्रेज/93-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा प.

श्री रेवी चन्द, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
161वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 19 अप्रैल, 1991 को करीब 5.15 बजे, 2-3 बंगलादेशी नागरिक भारतीय क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली फूंस की एक छोटी झोंपड़ी को आग लगाने के लिए घुस आए । सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने इन अपराधियों को देख लिया । उन्होंने उनमें से एक को पकड़ लिया और दूसरा भाग गया करीब 0600 बजे कुछ बंगलादेश अपराधी गांव बेहरोल (फुलबाड़ी) में घुस गए और उन्होंने फसलों को नष्ट करने तथा उस बंगलादेशी नागरिक को छुड़ाने की कोशिश की, जिसे सीमा सुरक्षा बल की टकड़ी ने पकड़ा हुआ था । उन्होंने 4 भैंसों को भी हांक ले जाने की कोशिश की ।

शोरगुल सुनकर, सीमा सुरक्षा बल की 161 वीं बटालियन के कमांडर पाल सिंह और कांस्टेबल देवी चन्द घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। अपराधियों द्वारा बचकर भागने के रास्ते को बन्द करने हेतु कांस्टेबल देवी चन्द स्वयं इंस्पेक्टर पाल सिंह से 50-60 गज आगे पहुंचे । उसने असमतल भूमि के पीछे पोजीशन ली । लेकिन उस समय उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि बंगलादेश राइफल्स और एल० एम० जी० के साथ पहले ही मोर्चा संभाला हुआ था । यह देखकर कांस्टेबल देवी चन्द बाहर निकले और बीस गज के अन्दर ही उन्होंने दूसरा मोर्चा संभाला लिया । वहां पर सूबेदार पाल सिंह भी उनसे आ मिले। सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राइफल्स दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलानी शुरू कर दी । जबकि कुछ अपराधी बंगलादेश को वापस भाग जाने में सफल हो गए थे । फुलबाड़ी सीमा चौकी से दो अन्य कांस्टेबलों ने भारतीय क्षेत्र में उनके पीछे 200 गज की दूरी पर पोजीशन संभाल ली थी। जब उनका गोला बारूद लगभग खत्म हो गया तो कांस्टेबल देवी चन्द और सूबेदार पाल सिंह धीरे-धीरे पीछे हटने लगे। यह देखकर अपराधी और बंगलादेश राइफल्स के कर्मी उन्हें चारों ओर से घेरने और उन पर काबू करने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगे । बंगलादेश राइफल्स के जवानों ने सर्वश्री देवी चन्द और पाल सिंह पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी । उनमें से कुछ ने बाद में देवी चन्द को पकड़ लिया और उन्होंने उस पर दरांती और भालों से आक्रमण करना शुरू कर दिया । कांस्टेबल देवी चन्द उस समय तक उनके साथ लड़ता रहा जब तक कि वह बुरी तरह घायल नहीं हो गया । बाद में घायल अवस्था में उस पर काबू कर लिया गया और अपराधियों द्वारा उसे निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया गया । इस प्रकार श्री देवी चन्द ने बंगलादेशी अपराधियों और बंगलादेश राइफल्स के कार्मिकों के साथ लड़ते हुए वीरता पूर्वक अपना बलिदान कर दिया। वे, कांस्टेबल देवी चन्द का शव अपने साथ ले गए, जिसे बाद में फ्लैग मीटिंग के माध्यम से बहुत प्रयास करने के बाद वापस लिया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री देवी चन्द, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप

नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 अप्रैल, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 33-प्रेज/93—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मदन लाल बंगा,
सहायक कमांडेंट,
194 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री अवतार सिंह,
सूबेदार,
194वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री चांद राम कांस्टेबल
194वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 24 फरवरी, 1991 को लगभग 16.30 बजे यह विशिष्ट सूचना मिलने पर कि कुछ कुख्यात आतंकवादी गांव बेगोवाल, कपूरथला में एक घर में छिपे हुए हैं । सीमा सुरक्षा बल की 194वीं बटालियन की 'ई' कम्पनी के कम्पनी कमांडर सूबेदार अवतार सिंह अपनी कम्पनी (कांस्टेबल चांद राम सहित) के साथ तुरन्त घटनास्थल पर गए । इसी बीच श्री मदन लाल बंगा, 'बी' कम्पनी के सहायक कमांडेंट भी घटनास्थल पर पहुंच गए । उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और गांव की घेराबंदी कर दी और भागने के सभी सम्भावित रास्तों को बंद कर दिया । आतंकवादियों का पता लगाने के लिए घर-घर की तलाशी लेने के लिए दो तलाशी दल बनाए गए । एक दल का नेतृत्व श्री मदन लाल बंगा ने किया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल और पुलिस कार्मिक थे ।और दूसरे दल का नेतृत्व सूबेदार अवतार सिंह ने किया, जिसमें कांस्टेबल चांद राम और पुलिस कार्मिक थे । जब सूबेदार अवतार सिंह और उनका दल महर सिंह के घर के नजदीक पहुंचा तो उन्होंने देखा कि घर के पेरा-मीटर दीवार के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है कुछ संदेह होने पर उन्होंने पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल को दीवार पर चढ़कर घर के अन्दर देखने का आदेश दिया । जैसे ही कांस्टेबल दीवार के ऊपर चढ़ा, उग्रवादियों ने घर के अंदर से उस पर गोलियों की जबरदस्त बौछार कर दी, जो कांस्टेबल को लगी, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया और घटनास्थल पर ही मर गया, उसकी ए० के०-47 राईफल पेरामीटर दीवार के भीतर गिर गयी । आतंकवादियो ने स्वचालित हथियारों से, दरवाजे से तलाशी दल पर भी भारी गोला-बारी की, लेकिन सूबेदार अवतार सिंह बाल-बाल बच गए । अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद सूबेदार अवतार सिंह ने संतुलन नहीं खोया और अपने दल को मोर्चा संभालने और आत्म रक्षा में गोली चलाने का आदेश दिया । उन्होंने स्वयं नजदीक के मकान की दीवार के पीछे मोर्चा संभाला और आतंकवादियों की ओर गोलियां चलायी । इसी बीच, जब उन्होंने देखा कि एक आतंकवादी सीढ़ियों से छत पर जाने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने तत्काल, आतंकवादी पर गोली चलायी और उसे घटनास्थल पर ही मार दिया ।

इसी बीच कांस्टेबल चांद राम ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए नजदीक के घर की दीवार के साथ मोर्चा संभाल लिया और आतंकवादी पर गोलियां चलायी । कांस्टेबल चांद राम की इस कारवाई ने अन्य कार्मिकों को साहस के साथ आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित किया । श्री चांद राम निडरता और दृढ़ निश्चय के साथ घर की छत पर चढ़े ।

इसी बीच, श्री बंगा ने गोलीबारी की आवाज सुनी और वे अपने दल के साथ तुरन्त घटनास्थल पर गए, और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बैगर उग्रवादियों को उलझाए रखा । उग्रवादियों ने घर में अच्छी प्रकार मोर्चा लगाया हुआ था और सीमा सुरक्षा बल पुलिस पार्टियों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे । श्री बंगा ने नेतृत्व संभाला और कार्मिकों को संवेदनशील स्थानों पर पुनः तैनात किया ताकि उग्रवादी भाग न सकें । श्री बंगा पिछवाड़े से मकान की छत पर चढ़े । छत पर चढ़ने पर उन्होंने उपलब्ध कार्मिकों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया और उग्रवादियों पर गोलियां चलायी । श्री बंगा ने, कांस्टेबल चांद राम तथा अन्य कार्मिकों के साथ, सात छेद (प्रत्येक कमरे में एक छेद) किये और 13 हथगोले अंदर फैंके । कारवाई चार घंटे से अधिक समय चली । उसके बाद आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गयी । तलाशी के दौरान दो शव बरामद हुए, मृतक आतंकवादियों की शिनाख्त बाद में गुरनाम सिंह चीना और बलविन्दर सिंह के रूप में की गयी । तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से एक ए० के०-47 राईफल, एक .303 राईफल और बड़ी मात्रा में खाली/सक्रिय कारतूस बरामद हुए । दोनों आतंकवादी 100 से अधिक हत्याओं में अंतर्ग्रस्त थे ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री मदन लाल बंगा, सहायक कमांडेंट, अवतार सिंह, सूबेदार और चांद राम, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 फरवरी, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं० 34-प्रेज/93—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विश्वम्भर सिंह, मरणोपरान्त
पुलिस उप-अधीक्षक,
33वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

गांव मोजियान में उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में प्राप्त सूचना पर 22 फरवरी, 1991 को एक संयुक्त अभियान की योजना बनायी गयी । श्री विश्वम्भर सिंह, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक कम्पनी और सर्वश्री टी० के० कदतारे, हैड कांस्टेबल और महावीर प्रसाद, कांस्टेबल सहित 5 प्लाटूनें थाना वाबल में एकत्रित हुई और घेराबंदी और तलाशी के अभियान के बारे में उन्हें समझाए जाने के बाद, पुलिस कार्मिकों को 6 दलों में विभाजित किया गया और उन्होंने अपना-अपना मोर्चा संभाला और तलाशी अभियान शुरू किया गया । जब श्री विश्वम्भर सिंह अपने कार्मिकों के साथ लगभग 1130 बजे गुरुद्वारा की पश्चिमी दिशा में घर-घर की तलाशी ले रहे थे तो वे श्री सरदूल सिंह उर्फ काला मालवी के घर में पहुंचे और पाया कि वहां पर दो अन्य मकानों से जुड़ा हुआ एक कच्चा मकान है जिसके एक कमरे में ताला लगा हुआ था कुछ गलत बात का आभास होने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की लेकिन ताला लगे कमरे के भीतर छिपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस दल पर नजदीक से अचानक अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और हथगोले फेंके, जिसमें पंजाब पुलिस के दो कार्मिक घटनास्थल पर ही मारे गए जबकि श्री विश्वम्भर सिंह और एक अन्य नागरिक को गोली लगने से गम्भीर चोटें आयी । इसी बीच गोलियों की आवाज सुनकर दूसरा पुलिस दल तुरन्त घटना स्थल पर गया और घर की घेराबन्दी कर ली । आतंकवादियों ने कमरे के भीतर से पुलिस दल पर पुनः अंधाधुंध गोलियां चलायी और पुलिस दल को रोके रखा । भारी गोलीबारी से विचलित न होते हुए, पुलिस दल ने गोलियों का जबाब गोलियों से दिया लेकिन यह अधिक प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ । गम्भीर रूप से जख्मी होने के बावजूद श्री सिंह, आतंकवादियों पर गोलियां चलाते रहे और उनको भागने नहीं दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्मिकों के जीवन की भी रक्षा की । आतंकवादियों द्वारा इतनी अधिक भारी गोलीबारी की जा रही थी कि वहां से न तो आगे बढ़ना संभव था और न ही जख्मी तथा मृत पुलिस कार्मिकों को वहां से हटाना संभव था । इस स्थिति में श्री टी० के कदतारे, हैड कांस्टेबल और श्री महावीर प्रसाद, कांस्टेबल ने अत्यधिक साहस दिखाया और अपने जीवन के प्रति भारी खतरे की स्थिति में, भारी गोलीबारी में जख्मी श्री सिंह की तरफ रेंगते हुए गए और श्री सिंह को तथा अन्य मृत व्यक्तियों को बाहर निकालने में कामयाब हो गए । उसके बाद श्री सिंह तत्काल सिविल अस्पताल, झावल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया । जल्दी से स्थिति का जायजा लिया गया और योजना के अनुसार श्री फोतेदार, श्री प्रसाद और अन्य कार्मिकों के साथ साहस के साथ उस मकान के छत पर गए जहां आतंकवादी छिपे हुए और उन्होंने छत पर छेद किए, लेकिन उन पर भारी गोलीबारी की गयी । इन कार्मिकों ने दृढ़तापूर्वक और अपने जीवन की रक्षा की परवाह न करते हुए छत पर छेद किए और तेजी के साथ कमरे के भीतर एक के बाद एक हथगोले फेंके, जिसके परिणामस्वरूप छत में आग लग गई और छत गिर गई आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी अंततः बंद हो गयी और खोज करने पर वहां से दो शव पाए गए, जिनकी शिनाख्त बाद में, हरदीप सिंह, सेना का एक भगोड़ा, जो 100 से अधिक हत्याओं के लिए जिम्मेवार था और पूरन सिंह, सेना का ही एक भगोड़ा के रूप में की गयी । मृतकों से दो मैगजीनों के साथ एक आई० ए०-7.62 स्वचालित राइफल, दो मैगजीनों के साथ एक ए० के० 74 राइफल, एक .30 पिस्तौल, एक एच० ई० 36 और अन्य शस्त्र तथा गोलाबारूद बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री विश्वम्भर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 फरवरी, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 35-प्रेज/93—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सरजू पाण्डे,
उप-निरीक्षक,
72वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री एम० एन० गुण्डले,
कांस्टेबल,
72वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 2 मार्च, 1990 को सूचना प्राप्त हुई कि बब्बर खालसा ग्रुप के भूपिन्दर सिंह उर्फ भोला, नामक एक स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में एक गिरोह जोकि रात के दौरान सीमा के आर-पार क्षेत्रों में कार्रवाई करता है, गांव एकले गुड्डा, थाना झन्डियाला में मीटिंग करने वाला है । स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से घात लगाने का निर्णय लिया गया । योजनानुसार, घात लगाने वाले चार दलों को निर्दिष्ट किया गया तथा विस्तृत जानकारी दिए जाने के बाद घात लगाने वाले दल करीब 20.00 बजे गांव मालवाक पहुंचे और अपने वाहनों को एस० पी० ओ० मालवाक चौक पर छोड़कर वे वहां से पैदल रवाना हुए और सभी घात लगाने वाले सभी दलों ने लगभग 21.00 बजे अपने मोर्चे संभाल लिए । उसी समय गांव एकले गुड्डा से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी । करीब 23.30 बजे निगरानी रखते हुए और नाईट विजन यंत्र से देखे जाने पर यह पाया गया कि चार आतंकवादी, घात लगाने वाले दलों की ओर आ रहे हैं । जैसे ही आतंकवादी घात लगाने वाले दलों में से एक दल के करीब पहुंचे तो दल ने उनको ललकारा परन्तु आतंकवादियों ने घात लगाने वाले दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया जिसका समुचित जवाब दिया गया । घात लगाने वाला दल प्राकृतिक आड़ के पीछे इतने अच्छे तरीके से छिपा था कि आतंकवादी उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सके तथा जवाबी गोलीबारी के कारण एक आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गिराया गया जब कि शेष तीन आतंकवादी घायल होने के बावजूद भी उस दिशा में भागे जहां श्री पाण्डे मोर्चा संभाले प्रतीक्षा कर रहे थे । श्री पाण्डे द्वारा आतंकवादियों को ललकारे जाने पर उन्होंने भीषण गोलीबारी करना शुरू कर दिया परन्तु अपने जीवन की चिन्ता किये बिना श्री पाण्डे भारी गोलीबारी के बीच भाग रहे आतंकवादियों का पीछा करने लगे । इस बीच श्री गुण्डले एक एल० एम० जी० हाथ में लिए श्री पाण्डे के साथ भागने लगे तथा दोनों मिलकर आतंकवादियों को रोकने में सफल हो गए । यद्यपि तीनों आतंकवादी घायल थे, परन्तु भागते हुए भी वे पीछा कर रहे घात लगाने वाले दल पर गोली चलाते रहे । परन्तु पुलिस दल के दृढ़ निश्चय को नहीं तोड़ पाए और इस प्रक्रिया में वे तीनों वहीं मर गए । कुछ समय बाद जब आतंकवादियों की ओर से किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं हुई तो लाईटों की सहायता से पूरे क्षेत्र की तलाशी ली गई और सभी चारों आतंकवादियों के शव बरामद किए गए । मारे गए चारों में से एक की शिनाख्त भूपिन्दर सिंह उर्फ भोला के रूप में पहचान की गई जब कि अन्य तीन बब्बर खालसा दल के रंजीत सिंह उर्फ बिट्टू, दिलबाग सिंह और करनजीत सिंह थे । घटनास्थल से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद किया गया भूपिन्दर सिंह के नाम पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सरजू पाण्डे, उप-निरीक्षक और एम० एन० गुण्डले, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 मार्च, 1990 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 36-प्रेस/93—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बजरंगी धर दूबे
उप निरीक्षक
तीसरी बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री अब्दुल कलाम
कांस्टेबल
84 बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री हरपाल सिंह
कांस्टेबल
66 बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री पी० सुधाकरन नायर
कांस्टेबल
84 बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री आर० के० पाटिल
कांस्टेबल
66 बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 2 सितम्बर 1991 को श्री वी० वी० सिंह उप कमांडेंट (ऑ०) को सूचना प्राप्त हुई कि करीब 12.30 बजे 9-10 आतंकवादियों का एक समूह पुलिस की वर्दी में एक स्वराज माजदा सं० पी० वी०-02-95113 में कामरेड स्वर्ण सिंह उर्फ टीटू जिन्हें सशस्त्र गार्ड दिया गया था के लोके गाँव स्थित घर पर दिए गए हथियारों के निरीक्षण

के बहाने आए और .303 की 6 राइफलें एक 7.62 पी० ए० राइफल तथा एक स्टेनगन के साथ-साथ कामरेड स्वर्ण सिंह को भी अपने साथ ले गए। सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद श्री पी० वी० सिंह अपने एस्कार्ट तथा सिविल पुलिस के साथ आतंकवादियों का पीछा करते हुए गए। करीब 16.00 बजे यह पाया गया कि आतंकवादियों ने जसवन्त सिंह के फार्म हाउस के पास अपना वाहन छोड़ दिया था। इस सुराग के आधार पर श्री पी० वी० सिंह ने निकटवर्ती गन्ने/धान के खेतों की तलाशी का निश्चय किया लेकिन जैसे ही उन्होंने खेतों की तलाशी शुरू की छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोली चलाई। श्री सिंह ने बिना विचलित हुए तथा परिणामों की परवाह किए बिना भारी गोली बारी के बीच अपने दल का नेतृत्व किया और गोली बारी का जवाब देकर आतंकवादियों को रोके रखा। इसी बीच श्री डी० ए० धनंजेयाह कमांडेंट कुमुक लेक घटनास्थल पर पहुंच गये, उन्होंने तत्काल स्थिति का जायजा लिया और नियंत्रण संभाल लिया इलाके को घेर कर उन्होंने श्री सिंह को गन्ने के खेत के और अधिक नजदीक जाने और हथगोला फेंकने के लिए कहा जिसके प्रभाव से छिपे हुए आंतकवादी जान बचाने के लिए भागने लगे और इसी भगदड़ में कामरेड स्वर्ण सिंह भी बचकर भाग निकले। 3 सितम्बर, 1991 को करीब 03.45 बजे धनन्जेयाह और श्री सिंह के अधीन पुलिस दल पर अचानक ही आंतकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी लेकिन साहसी अधिकारियों ने जवाब में गोली चलाई, जबकि श्री सिंह ने हथगोले फेंके और उनके बचाबर भागने के प्रयास को नाकाम कर दिया। कुछ समय बाद आतंकवादियों ने फिर एक और आत्म घाती प्रयास किया लेकिन इस समय यह प्रयास नहर की ओर किया गया था परन्तु इस बार भी उनके प्रयासों को श्री बजरंगी धर दूबे और उनके कर्मियों ने नाकाम कर दिया इस प्रकिया में श्री दूबे, अपनी जान के प्रति गंभीर खतरा उठाते हुए आगे बढ़े और एक आतकवादी को मार गिराया और उससे एक .303 रायफल बरामद कर ली। करीब 06.30 बजे गन्ने के खेत की तलाशी के लिए बुलेटप्रूफ ट्रैक्टरों का प्रयोग करने का निश्चय किया गया लेकिन ट्रेक्टर कीचड़ में धस गया जबकि टैक्टरों को देखकर आंतकवादियों ने अपना मोर्चा धान के खेतों में बदल लिया। धान के खेतों की तलाशी के लिए श्री सिंह के नेतृत्व में एक तलाशी दल तैनात किया गया। जब तलाशी जारी थी तो श्री सिंह और कांस्टेबल अब्दुल कलाम जो कि आगे-आगे थे, पर एकदम नजदीक से दो आंतकवादियों ने भारी गोलीबारी की और स्टिक बम भी फैंके लेकिन वे चमत्कारिक ढंग से बच गए और पूरी ताकत तथा साहस के साथ दोनों आतंकवादियों पर गोली चलाकर उन्हें मार डाला तथा उनसे .303 की 2 राइफलें, एक 7.62 राइफल तथा दो थैले बारूद के बरामद किए। चूंकि ये टुकड़ियां करीब 40 घंटे से बिना भोजन के बाहर ड्यूटी पर थी, इसलिए उन्होंने रात्रि सन्तरी ड्यूटी सीमा सुरक्षा बल को हस्तांतरित करने और अगली सुबह पूरे उत्साह से वापस आने तथा धान के खेतों की तलाशी फिर शुरू करने का निश्चय लिया। जैसे ही तलाशी फिर शुरू हुई, कांस्टेबल सुधाकरन नायर और उनकी टुकड़ी के साथ-साथ श्री धनंजेयाह पर भारी गोली बारी हुई लेकिन उन्होंने चतुराई से तथा बिना भोजन के बाहर ड्यूटी पर थी, इसलिए उन्होंने रात्रि सन्तरी ड्यूटी सीमा सुरक्षा बल को हस्तांतरित करने और अगली सुबह पूरे उत्साह से वापस आने तथा धान के खेतों की तलाशी फिर शुरू करने का निर्णय लिया। वैसे तो तलाशी फिर शुरू हुई, कांस्टेबल सुधाकरन नायर और उनकी टुकडी के साथ श्री धनंजेयाह पर भारी गोली बारी हुई लेकिन उन्होंने चतुराई से तथा रेंगते हुए अपने आपको गोलियों से बचाया। इसी बीच श्री सिंह और उसके दल ने विशेष दिशा से आतंकवादियों के नजदीक आना आरम्भ कर दिया। पुलिस दल को नजदीक आता देखकर आतंकवादियों ने निकटवर्ती खेतों में तितर बितर होना शुरू कर दिया और साथ ही साथ गोली चलाते रहे और बम फेंकते रहे। कांस्टेबल सुधाकरन नायर, कांस्टेबल हरपाल सिंह तथा कांस्टेबल आर० के० पाटिल के साथ श्री धनंजेयाह ने० एस० एल० आर० से फायर करते हुए एक आतंकवादी का सामना करके उसे गोली चलाकर मार डाला और उसकी एम० एल० आर० ले ली। मृत आतंकवादी की पहचान डा० सतनाम सिंह उर्फ सत्ता, स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल वी० टी० के एफ के रूप में हुई जिसको पकड़ने के लिए 5 लाख रू० का इनाम था। अंतिम हमले के रूप में हुई गन्ने के खेत पर धावा बोलने का निर्णय लिया गया तथा कांस्टेबल आर० के० पाटिल और कांस्टेबल हरपाल सिंह के साथ भी धनंजेयाह और श्री सिंह एक ऐसे स्थान पर रेंगकर पहुंच गए जहां से उन्हें धावा बोलना था। लेकिन आतंकवादियों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोली बारी की परन्तु इससे विचलित हुए बिना पुलिस दल ने जवाबी गोली बारी की और कई हथगोले फेंके तथा इस प्रकार आतंकवादियों को शांत करने में सफल हो गए। जब आतंकवादियों की ओर से गोली बारी बन्द हो गई तो तलाशी ली गई। अलग-अलग स्थानों पर तीन शव पड़े हुए पाए। इस मुठभेड़ में जो करीब तीन दिन अर्थात 2 सितम्बर, 1991 से 4 सितम्बर, 1991 तक चली, कुल मिलाकर 7 आतंकवादी मारे गए थे और उनसे .303 की 8 राइफल, 7.62 की एक राइफल, एक एस० एल० आर० और वायरलैस सैट तथा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री बजरंगी धर दूबे, उप निरीक्षक, अब्दुल कलाम, हरपाल सिंह, आर० के० पाटिल, पी० सुधाकरन नायर, कांस्टेबलों ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(एक) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं० 37-प्रेज/93—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री हरदेव सिंह,
सहायक कमांडेंट,
66वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री मनफूल सिंह,
लांस नायक,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री सी० सी० दुराई,
कांस्टेबल,
66वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

यह गुप्त सूचना मिलने पर कि बी० टी० के० एफ० और के० सी० एफ० से संबंधित उग्रवादियों का एक ग्रुप, गांव जन्ड, जोधासिंहवाला तलवंडी, चांचाक और तलवंडी बोध सिंह के मन्ड क्षेत्र में कुछ जघन्य कार्य करने के लिए उस क्षेत्र में छिपे हुए हैं, तत्काल सम्पूर्ण क्षेत्र को 5 नवम्बर, 1990 की प्रातः घेर लिया गया । श्री हरदेव सिंह, ए० सी० (प्रचालन) जिसके नेतृत्व में घेरा बंदी की जा रही थी, ने गांव जन्ड के नजदीक घेरा बंदी की जांच करते समय, स्वचालित हथियारों से लैस कुछ आतंकवादियों की गतिविधियां देखी । आतंकवादियों की गतिविधियां देखने के तुरन्त बाद श्री एच० सिंह ने घेरा बंदी मजबूत कर दी और तलाशी शुरू कर दी । जब तलाशी दल ट्यूबवैल के नजदीक था तो उन पर ए० के०-47 राइफलों से भारी गोलीबारी की गई । देखा गया कि दो आतंकवादी रेत के बोरों के पीछे से गोली चला रहे हैं । हालांकि उन पर भारी गोलीबारी की जा रही थी लेकिन श्री एच० सिंह ने साहस नहीं छोड़ा तथा वे शांत चित रहे और अपनी पार्टी को जवाब में गोलियां चलाने के लिए कहा और वे स्वयं, कांस्टेबल सी० सी० दुराई के साथ, अपने जीवन की परवाह न करते हुए रेंगते हुए गए और दूसरे ट्यूबवैल की छत पर पहुंचे । इसी दौरान आतंकवादियों के एक दूसरे ग्रुप ने फार्म हाऊस से राकेट लान्चर, एल० एम० जी०, जी० पी० एम० जी० और ए० के०-47 राइफलों से गोलियां चलाई । लांस नायक मनफूलसिंह, जिन्होंने ट्यूबवैल पर आतंकवादियों को उलझाए रखा था, ने तुरन्त अपनी एल० एम० जी० का निशाना बदला और इस बात से देखकर होकर कि वे खुले में आ गये हैं, उस को उलझाए हुए थे जहां पर आतंकवादियों ने मिट्टी की मोटी प्लास्टर वाली दिवार वाली लांद के पीछे अच्छी प्रकार से मोर्चा बंदी की हुई थी । आतंकवादियों पर 3 स्थानों से 2 इंच मोरटार एल० एच० जी० और जी० एफ० राइफलों से एक साथ मिलकर गोलियां चलायी गयी, जिससे अंतिम हमला काफी आसान हो गया जो आलविन निशान वाहन से पंजाब पुलिस के कार्मिकों द्वारा किया गया । यह अभियान कई घंटों तक चला और इसके परिणामस्वरूप 7 कुख्यात आतंकवादी मारे गए और जी० पी० एम० जी० (एक) एक एल० एम० जी०, एक राकेट लान्चर एक सक्रीय राकेट 4 ए० के०-47 राइफल, 2 पिस्तौल और 203 सक्रीय कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री हरदेव सिंह सहायक कमांडेंट, मनफूल सिंह लांसनायक और सी० सी० दुराई कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 नवम्बर 1990 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 38-प्रेज/93—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री वी० एन० यादव,
कांस्टेबल,
66वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 6 सितम्बर 1991 को 1100 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गुरमीत सिंह बढ़ियाती एक खूंखार आतंकवादी तथा स्वयंभ लेफ्टिनेंट जनरल एक दूसरे खूंखार आतंकवादी के साथ करम सिंह के फार्म हाऊस में ठहरा हुआ है । सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त 66वीं बटालियन के कमांडेंट और डी० सी० (प्रचालन) उपलब्ध कार्मिकों सहित जिनमें कांस्टेबल हरपाल सिंह और कांस्टेबल वी० एन० यादव शामिल थे उस स्थान की ओर चल दिये । उस क्षेत्र को घेर लेने का निर्णय लिया गया तथा आतंकवादियों को नागरिकों के साथ मिलने से रोकने के उद्देश्य से उस विशिष्ट फार्म हाऊस को घेर लिया गया तथा भाग निकलने के सभी संभव रास्तों को बन्द कर दिया गया । संदिग्ध घर की घेरा बन्दी करने के लिए तैनात किए गये बल का एक दल

घर के निकट पहुंचा । घर में छिपे हुए आतंकवादियों ने उस घर के पास आते हुए पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां चलानी आरम्भ कर दी । स्थिति का शीघ्रता से जायजा लेने के बाद यह निर्णय किया गया कि फार्म हाऊस के साथ वाले घरों की छतों पर एल० एम० जी० के साथ कार्मिक तैनात किए जाएं ताकि आतंकवादियों पर प्रभावकारी ढंग से गोलीबारी की जा सके । सैनिकों को आगे बढ़ते देखकर आतंकवादियों ने गोलियां चलानी आरम्भ कर दी परन्तु कांस्टेबल सिंह और कांस्टेबल यादव बहादुरी के साथ भीषण गोलियों का सामना करते रहे और दृढ़ निश्चय के साथ तथा अपनी जिन्दगी को बड़े जोखिम में डाल कर वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और घर की छत पर मोर्चा संभालने में सफल हो गये तथा वहां से आतंकवादियों पर एल० एम० जी० द्वारा प्रभावकारी ढंग से गोली-बारी की तथा आत्मसमर्पण करने के लिए उन पर दबाव डाला । लेकिन आतंकवादियों ने आंगन की दीवार के साथ सुरक्षित मोर्चा संभाल लिया जहां पर फ्लैट ट्रैजैक्ट्री हथियारों से गोली चलाने से कोई भी लाभ नहीं हो सका । इस स्थिति का कमांडेंट ने आतंकवादियों को शांत करने के लिए उन पर हथगोले फेंकने का निर्णय लिया । यद्यपि कांस्टेबल सिंह और यादव को यह कार्य को करने में होने वाले खतरे का पूर्ण आभास था फिर भी उन्होंने स्वयं को इस कार्य के लिए सौंपा तथा आंगन की दीवार पर एक-के-बाद-एक जल्दी-जल्दी हथगोले फेंके जिससे आतंकवादी घबरा गए और बचाव के लिए घर के अन्दर भाग गए । आतंवादियों को बचाव के लिए घर के अन्दर भागते देखकर उन पर चारों ओर से एल० एम० जी० द्वारा गोली चलाने का निर्देश दिया गया परन्तु इसके जवाब में खिड़कियों से भीषण गोली-बारी होने लगी । अंतिम प्रयास स्वरूप घर में विस्फोट करने का निर्णय लिया गया परन्तु इस दौरान कांस्टेबल सिंह और यादव कमांडेंट का निर्देश प्राप्त कर उस घर की छत पर पहुंच गए जहां आतंकवादी छिपे हुए थे तथा उन्होंने छत में छेद किया और वहां से 6 हथगोले अन्दर फेंकने में सफल हो गए परन्तु आतंकवादियों द्वारा उन पर जवाबी गोलीबारी की गई । इसके साथ-साथ एल० एम० जी० तथा अन्य स्वचालित हथियारों से आतंकवादियों पर गोलियां चलाई गई जिसके परिणामस्वरूप घर के अन्दर से होने वाली गोलीबारी रुक गई । कुछ समय बाद पूरी विस्फोटक कारवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कांस्टेबल सिंह और यादव घर घर में घुस गए और हमले के दौरान गोलीबारी में दोनो आतंकवादी मारे गए तथा मृतकों से बड़ी मात्रा में गोली-बारूद व शस्त्र बरामद किया गया । मारे गए आतंकवादियों की पहचान गुरमीत सिंह घड़ियाली तथा हरबंस सिंह उर्फ करम सिंह के रूप में की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री पी० एन सिंह यादव कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(एक) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 सितम्बर 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं० 339 प्रेज-93—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पदक

श्री टी०के० कदतारे,
हैड कांस्टेबल,
75 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री महावीर प्रसाद,
कांस्टेबल,
75 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

गांव मोजियान में उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में प्राप्त सूचना पर 22 फरवरी, 1991 को एक संयुक्त अभियान की योजना बनायी गयी । श्री विश्वम्भर सिंह, पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में एक कम्पनी और सर्व/श्री टी०के० कदतारे, हैड कान्सटेबल और महावीर प्रसाद, कांसटेबल सहित 5 प्लाटूनें थाना बाखल में एकत्रित हुई और घेराबंदी और तलाशी के अभियान के बारे में उन्हें समझाए जाने के बाद, पुलिस कार्मिकों की 6 दलों में विभाजित किया गया और उन्होंने अपना-अपना मोर्चा सम्भाला और तलाशी अभियान शुरू किया गया । जब श्री विश्वम्भर सिंह अपने कार्मिकों के साथ, लगभग 11.30 बजे गुरुद्वारा की पश्चिमी दिशा में घर-घर की तलाशी ले रहे थे तो वे श्री सरदूल सिंह उर्फ काला मालवी के घर में पहुंचे और पाया कि वहां पर दो अन्य मकानों से जुड़ा हुआ एक कच्चा मकान है जिसके एक कमरे में ताला लगा हुआ था कुछ गलत बात का आभास होने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की लेकिन ताला लगे कमरे के भीतर छिपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस दल पर नजदीक से अचानक अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और हथगोले फेंके, जिसमें पंजाब पुलिस के दो कार्मिक घटनास्थल पर ही मारे गए जबकि श्री विश्वम्भर सिंह और एक अन्य नागरिक को गोली लगने से गम्भीर चोटें आयीं । इसी बीच गोलियों की आवाज सुनकर दूसरा पुलिस दल तुरन्त घटना स्थल पर गया और घर की घेराबंदी कर ली । आतंकवादियों ने कमरे के भीतर से पुलिस दल पर पुन अंधाधुंध गोलियां चलायी और पुलिस दल को रोके रखा । भारी गोलाबारी से बिचलित न होते हुए, पुलिस दल ने गोलियों का जबाब गोलियों से दिया लेकिन यह अधिक प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ । गम्भीर रूप से जख्मी होने के बावजूद श्री सिंह, आतंकवादियों पर गोलियां चलाते रहे और

उनको भागने नहीं दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्मिकों के जीवन की रक्षा भी की । आतंकवादियों द्वारा इतनी अधिक भारी गोलीबारी की जा रही थी कि वहां से न तो आगे बढ़ना संभव था और न ही जख्मी तथा मृत कार्मिकों को वहां से उठाना संभव था । इस स्थिति में श्री टी० के० कदतारे, हैड कांस्टेबल और महावीर प्रसाद, कांस्टेबल ने अत्यधिक साहस दिखाया और अपने जीवन के प्रति भारी खतरे की स्थिति में, भारी गोलीबारी में जख्मी श्री सिंह की तरफ रेंगते हुए गए और श्री सिंह को तथा अन्य मृत व्यक्तियों को बाहर निकालने में कामयाब हो गए । उसके बाद श्री सिंह तत्काल सिविल अस्पताल, झाबल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया । जल्दी से स्थिति का जायजा लिया गया और योजना के अनुसार श्री फोतेदार, श्री प्रसाद और अन्य कार्मिकों के साथ साहस के साथ उस मकान के छत पर गए जहां आतंकवादी छिपे हुए थे और उन्होंने छत पर छेद किया, लेकिन उन पर भारी गोलीबारी की गयी । इन कार्मिकों ने दृढ़तापूर्वक और अपने जीवन की रक्षा की परवाह न करते हुए छत पर छेद किए और तेजी के साथ कमरे में भीतर एक के बाद एक हथगोले फेंके, जिसके परिणामस्वरूप छत में आग लग गई और छत गिर गई । आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी अंततः बंद हो गयी और खोज करने पर वहां से दो शव पाए गए, जिनकी शिनाख्त बाद में, हरदीप सिंह, सेना का एक भगोडा, जो 100 से अधिक हत्याओं के लिए जिम्मेवार था और पूरन सिंह, सेना का ही एक भगोड़ा के रूप में की गयी । मृतकों से दो मैगजीनों के साथ एक आई० ए० 7.62 स्वचालित राईफल, दो मैगनीजों के साथ एक ए० के० 74 राइफल, एक .30 पिस्तौल, एक एच० ई० 36 और अन्य शस्त्र तथा गोलाबारूद बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री टी० के० कदतारे, हैड कांस्टेबल और महावीर प्रसाद कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(एक) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 फरवरी, 1992 से दिया जा जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं० 40-प्रेज/93—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारीयों के नाम तथा पद

श्री पी० गिरीश,
कांस्टेबल,
76वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री यू० के० मण्डल,
कांस्टेबल,
76वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 17 मार्च, 1991 को पहुविंड से भीखीविंड जाने वाले कच्चे रास्ते से तीन आतंकवादी नागरिकों की हत्या करने के परोक्ष इरादे से आए । जब उन्होंने एक विशेष समुदाय के चार व्यक्तियों को खेत में काम करते हुए देखा तो आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर गोलियां चला दी, जिससे उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया । यह देखकर भीखीविंड के पुलिस उपअधीक्षक के घर पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने घर की छत से गोलियां चलाना आरम्भ कर दिया । गोलियों की आवाज सुनकर श्री राम पाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, 76वीं बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तुरन्त अपनी एस्कोर्ट पार्टी सहित घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े और उन्होंने देखा कि आतंकवादी गांव पहुविंड की ओर दौड़ रहे हैं । वे गांव पहुविंड की ओर दूसरी ओर से दौड़े ताकि भागते हुए आतंकवादियों को घेरा जा सके । उन्होंने उस क्षेत्र को खेमकरण और खलरा की ओर से घेर लेने के लिए दूसरी पार्टी को भी आदेश दिया । पुलिस वाहनों को अपनी ओर आते देख कर आतंकवादियों ने अपना रास्ता बदलकर गांव भीखीविंड की ओर दौड़ना शुरू कर दिया । श्री राम पाल सिंह ने भीखीविंड स्थित चावल का छिलका उतारने वाली फैक्ट्री के निकट तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को निर्देश दिया कि वे अपनी तरफ से आतंकवादियों का रास्ता बंद कर दें । कमांडिंग आफिसर ने तुरन्त अपने जवानों को तैनात किया तथा अपनी ओर से क्षेत्र की घेरा बंदी कर दी । चारों ओर से घिरा हुआ पाकर आतंकवादियों ने खेत में मोर्चा ले लिया और घेरा डालने वाले दलों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी । उन्होंने पुलिस कार्मिकों पर स्टिक बम भी फेंके ।

श्री रामपाल सिंह, कांस्टेबल पी० गिरीश और यू० के० मण्डल सहित युक्ति सहित पूर्ण ढंग से एक आंतकवादी की ओर आगे बढ़े । जब वे तीनों और आगे बढ़ रहे थे तो दो कांस्टेबलों ने एक बचाव दल के रूप में उनके बचाव में गोली बारी की । आतंकवादियों के करीब पहुंचने पर सर्वश्री राम पाल सिंह, पी० गिरीश और यू० के० मण्डल ने आतंकवादी पर गोलीबारी की और उसे गेहूं के खेत में मार डाला । दोनों ओर से गोलीबारी होने के दौरान एक कांस्टेबल को दाहिने हाथ में कुहनी के निकट गोली लगी । यद्यपि, उसने अपने हथियार से कोई गोली नहीं चलाई थी परन्तु वह बचाव दल का सदस्य था ।

दो अन्य आतंकवादी खेत में मोर्चा सम्भाले हुए थे तथा शाम हो गई थी, इसलिए श्री रामपाल सिंह ने अपनी आक्रमण

पार्टी को निर्देश दिया कि वे गेहूं के खेत में अन्य आतंकवादियों की खोज करें । अपने दल सहित जब श्री रामपाल सिंह खेत में आगे बढ़े रहे थे तो उन्होंने गतिविधियां देखीं । पुलिस कार्मिकों को देखकर खेतों में छिपे आतंकवादियों ने आगे बढ़ते हुए कार्मिकों पर गोली चलानी आरम्भ कर दी । श्री रामपाल सिंह, कांस्टेबल पी० गिरीश और यू० के० मण्डल भीषण गोली बारी के बीच अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना फिर से रेंगकर आगे बढ़े और आतंकवादियों पर गोलीबारी की । जहां दो कांस्टेबलों ने, जो आक्रमण दल के पीछे-पीछे जा रहे थे, श्री रामपाल सिंह की आक्रमण पार्टी को आगे बढ़ने से सहायता पहुंचाने के लिए गोलीबारी करके सुरक्षा प्रदान की वहीं सर्व श्री रामपाल सिंह, पी० गिरीश और यू० के० मण्डल ने एक-एक करके कई बार अपना मोर्चा बदला और आतंकवादियों पर गोलाबारी की दोनों ओर से लगभग एक घंटे तक गोलीबारी होती रही उसके बाद, आतंकवादियों की ओर से गोलियां चलानी रुक गई । उस क्षेत्र की तलाशी के दौरान आतंकवादियों के दो और शव बरामद हुए । तीनों मृत आतंकवादियों की बाद में गुरजा सिंह, मुरमोज सिंह और मोजा और अवतार सिंह उर्फ काला के रूप में पहचान की गई । तलाशी के दौरान एक ए० के०-47 राईफल, एक माउजर, ए.के.-47 की दो मैगजीन, 2 स्टिक बम तथा बड़ी मात्रा में सक्रिय घटनास्थल से बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री पी० गिरीश और यू० के० मण्डल, कांस्टेबलों ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(एक) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 मार्च, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं० 41-प्रेज/93—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री सुरेन्द्र सिंह,
निरीक्षक,
62वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 31 जुलाई, 1991 को सूचना प्राप्त हुई कि खूंखार यादुविन्दर सिंह "यादू" के नेतृत्व में एक आतंकवादी दल ने सालीवाला के श्री बाज सिंह तथा मक्खू डिवीजन के फतेहगढ़ पंजतूड़ के श्री कुलदीप सिंह का अपहरण कर लिया है । सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक स्थानीय पुलिस सहित आतंकवादियों के संभावित छिपने के ठिकाने, गांव बारा फूविंद की ओर रवाना हो गए संपूर्ण क्षेत्र गन्ने के खेतों वाला था, अतः यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण क्षेत्र को घेर लिया जाए तथा तलाशी अभियान चलाया जाए । श्री सुरिन्दर सिंह, निरीक्षक, ने उनमें से एक खोजी दल का नेतृत्व किया जिनको कि उन अत्यन्त कठिन 25 एकड़ गन्ने के खेतों की तलाशी लेने का कार्य सौंपा गया, जोकि आतंकवादियों के छिपने के स्थान, उनकी संख्या, गोलीबारी की क्षमता के बारे में बता दिया तथा पुलिस कार्मिकों का मार्ग दर्शन किया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर, की सर्वोपरि कमांड के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को तलाशी का कार्य सौंपा गया जब कि सीमा सुरक्षा बल तथा स्थानीय पुलिस को घेरा डालने का कार्य सौंपा गया और पूरे बल को उचित तरीके से तैनात किया गया । दिनांक 1 अगस्त, 1991 को श्री सिंह के नेतृत्व के अधीन पुलिस दल का 13.30 बजे आतंकवादियों से मुकाबला हुआ और दोनों दलों के बीच भारी गोलीबारी हुई । आतंकवादियों ने पुलिस दल पर भीषण गोलीबारी करना जारी रखा और पुलिस का घेरा तोड़कर भाग जाने की जीतोड़ कोशिश की परन्तु श्री सिंह के दल के दृढ़ प्रयासों ने उनकी सभी कोशिशों को विफल कर दिया । सभी दिशाओं से आने वाले गोलियों का श्री सिंह ने स्वयं सामना किया और साहस तथा दृढ़-निश्चय के साथ अपने साथियों का नेतृत्व किया । वे स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे तथा इस प्रक्रिया के दौरान एक आतंकवादी का सफाया करने में सफल हुए । जिस समय श्री सिंह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर अपने साथियों का उत्साह बढ़ाते हुए गोलियों का सामना कर रहे थे तो दुर्भाग्यवश उनके दांए कन्धे में एक गोली लगी । खून बहते हुए भी उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा और आतंकवादियों की ओर से गोललीबारी होना बंद न हो जाने तक सामना करते रहे । इस मुठभेड़ में मारे गए तीन आतंकवादियों में से एक को मारने का श्रेय उनको है । मारे गए तीन आतंकवादियों की बाद में हरबंस सिंह, मस्सा सिंह और लक्ष्मन सिंह के रूप में शिनाख्त की गई । मृतकों से एक ए० के०-47 राईफल, एक स्प्रिंग फील्ड राईफल तथा एक 7.62 बी० ए० राईफल बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री सुरिन्दर सिंह निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 जुलाई 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 42-प्रेज/93—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री वी० कोहन,
लांस नायक,
64वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 17 जनवरी 1992 को डी० कम्पनी के कांस्टेबल श्री वी० मोहन श्रीनगर के डल गेट पुल क्षेत्र के लिए एम० ए० पुल पर ड्यूटी पर तैनात थे । लगभग 12.15 बजे रजिस्ट्रेशन नं० जे० के० टी०-3268 वाली टैक्सी को सन्तरी ने रुकने का संकेत दिया । इसी क्षण टैक्सी के अन्दर से दो व्यक्तियों ने चिल्ला कर कहा कि उनका अपहरण किया जा रहा है तथा पुलिस दल को टैक्सी पर गोली नहीं चलानी चाहिए परन्तु इसी बीच उग्रवादी सचेत हो गये तथा सुरक्षा बलों द्वारा घिर जाने पर टैक्सी के अंदर से उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी तथा बड़ी संख्या में वाहनों और सिविलियनों की गति-विधि का लाभ उठाकर टैक्सी से बाहर आ गए तथा गोलियां चलाते हुए श्रीनगर के गोल्फ कोर्स के साथ की गलियों की ओर भाग गए । इस पर श्री मोहन भागते हुए उग्रवादियों को देखकर अपनी निजी सुरक्षा की ओर बिल्कुल भी ध्यान दिए बिना उस उग्रवादी के पीछे भागने लगे जो पीछा करने वाले कांस्टेबल पर गोलियां चलाता हुआ दूर भाग रहा था । श्री मोहन उग्रवादी की गोलियों से विचलित हुए बिना उसके (उग्रवादी) पीछे भागे और अपनी राईफल से साहस के साथ उसे मार गिराया । उग्रवादी की बाद में गुलाम कादिर बावा उर्फ काडा हिज्बुल्लाह ग्रुप का जिला कमांडर के रूप में पहचान की गई जो अपहरण और गोलीबारी की कई घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त था । इस वीरतापूर्ण कार्य और उग्रवादी की हत्या के परिणामस्वरूप अपहृत व्यक्ति नामतः श्री हंसराज कपूर तथा श्री राजेश कुमार प्रबंधक और खजांची आन्ध्र बैंक को रिहा कराया जा सका ।

इस मुठभेड़ में श्री वी० मोहन लांस नायक ने उत्कृष्ट वीरता साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 जनवरी 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 43-प्रेज 93—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एच० एस० नेगी,
सैकण्ड-इन-कमांड,
75वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री लक्ष्मन राम,
हेड कांस्टेबल,
75वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री केशव बहादुर,
हेड कांस्टेबल,
75वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री महावीर प्रसाद,
लांस नायक,
75वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री राम निवास, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
75वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री सी० आर० मंजुनाथ,
कांस्टेबल,
75वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री जिले सिंह,
कांस्टेबल,
84वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

ढन्ड क्षेत्र के कुछ बेहकों में आतंकवादियों के छिपे होने के बारे में प्राप्त विशेष सूचना के आधार पर दिनांक 12 अक्तूबर, 1991 को एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया । योजना के बारे में उपलब्ध बल को पर्याप्त तरह से विवरण देने के बाद अपने-अपने निर्धारित स्थानों के लिए रवाना हो गए तथा उन्होंने मोर्चे संभाल लिए । हेड कांस्टेबल लक्षमण राम के नेतृत्व वाली घेरा डालने वाली टुकड़ी ने एक बेहक की ओर भागते हुए कुछ आतंकवादियों को देखा और तीन सिविलियनों को उनकी तरफ भागते

हुए देखा । भागते हुए आतंकवादियों को देखते ही श्री लक्ष्मण राम ने तुरंत गोली चलाई और उनका पीछा करने लगे, अचानक हुई इस कार्रवाई से भयभीत होकर आतंकवादी पास के एक बेहक में घुस गए । इस बीच श्री एच० एस० नेगी, कमांडेंट, उस स्थान पर पहुंच गए और जोखिम की परवाह न करते हुए श्री लक्ष्मण राम खुले स्थान से होकर आगे आए और श्री नेगी को आतंकवादियों की सही स्थिति के बारे में बताया । श्री लक्ष्मण राम, श्री केशव बहादुर, हेड कांस्टेबल, तथा कुछ अन्य कार्मिकों सहित श्री नेगी बेहक की पिछली ओर बिल्कुल नजदीक गए और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा परन्तु आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसका जवाब श्री लक्ष्मण राम और श्री केशव बहादुर ने कमरे के अन्दर भारी गोलीबारी करके दिया, चूंकि आतंकवादी अच्छी प्रकार से आड़ लिए हुए थे अतः उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका । स्थिति का आंकलन करते हुए श्री नेगी ने बेहक की छत में छेद करके अन्दर हथगोले फेंकने का निर्णय लिया जिसमें काफी जोखिम था । यद्यपि इस कार्य में काफी जोखिम था, श्री महाबीर प्रसाद, लांस नायक, केशव बहादुर, हेड कांस्टेबल और जिले सिंह, कांस्टेबल ने चुनौती को स्वीकारा और पिछली ओर की गारे की दीवार पर चढ़े और छत में छेद करने में सफल हो गए । आतंकवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी से विचलित हुए बिना दोनों बहादुर कार्मिक अपने प्रयास में सफल रहे और उन्होंने कमरे के अन्दर हथगोले फेंके जिसके परिणामस्वरूप एक कमरे में आग लग गई, और इस प्रक्रिया में एक आतंकवादी घायल हो गया जबकि अन्य दो साथ वाले कमरे में चले गए ।

इस बीच, स्थिति का लाभ उठाते हुए, श्री राजन अरोड़ा नामक अपहृत व्यक्ति हाथ ऊपर उठाकर बाहर दौड़कर आया और उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि एक आतंकवादी घायल हो चुका है तथा अन्य साथ वाले कमरे में चले गए हैं । श्री नेगी अन्य साथियों के साथ तुरन्त गारे की दीवार पर चढ़े तथा उन्होंने कमरे के चार कोनों में छेद बना कर अन्दर हथगोले फेंके । आतंकवादियों ने छत पर चढ़े हुए पुलिस दल पर गोलियां चलाई परन्तु पुलिस कार्मिकों ने युक्तिपूर्ण ढंग से स्थान बदल कर गोलियों से अपना बचाव किया । श्री नेगी के अनुमान के अनुसार, आग लग जाने के कारण आतंकवादी कमरे में नहीं ठहर सके और पुलिस दल पर गोलियां चलाते हुए अचानक कमरे से बाहर दौड़ कर आए । परन्तु उनका सामना श्री नेगी और उनके साथियों से हुआ जिन्होंने आतंकवादियों पर गोलियों की बौछार करके उन्हें घटनास्थल पर ही मार डाला ।

अभी भी दाहिनी ओर के दो कमरों से आतंकवादियों को निकालना शेष था । अपनी जान को बड़े जोखिम में डालकर श्री प्रसाद बाईं ओर से चार दीवारी पर चढ़े और एक ए० के०–47 राइफल तथा एक .315 बोर की राइफल और आतंकवादियों के दो शव बाहर लाए जिनकी अमृत सिंह उर्फ गुरवेल सिंह उर्फ गहला और रणजीत सिंह उर्फ गुरदीप सिंह के रूप में पहचान की गई । चूंकि अब अंधेरा हो चुका था और कोई अतिरिक्त बल उपलब्ध नहीं था, अतः आगे के अभियान को स्थगित करके घेरेबंदी को सेना के सुपुर्द कर दिया गया । अगली सुबह अर्थात 13-10-91 को जल्दी ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सेना से कार्यभार लिया और त्रिलोचन सिंह के बेहक की तलाशी लेने पर घटनास्थल से एक ए-के–47 राइफल और गोला बारूद सहित भाई सरदूल सिंह हवलदार का आधा जला शव बरामद किया गया । चूंकि वह क्षेत्र काफी बड़ा था तथा उसमें धान, गन्ने और चेरी के खेत थे, अतः घेराबंदी सेना के सुपुर्द कर दी गई, जबकि पूरा ब्यौरा देने के बाद पुलिस दल को दो दलों में विभाजित कर दिया गया, तथा एक को नहर के पुल एईमा से ईंटों के भट्टे तक और दूसरे को भट्टे से ढन्ड तक तैनात कर दिया गया । पुलिस दल ने मोर्चे संभाल लिए और 0930 बजे तलाशी लेनी शुरू कर दी जिसका नेतृत्व श्री नेगी ने बीच में रहकर किया । करीब 11.25 बजे जिस समय खोजी/छानबीन दल विस्तृत पंक्ति में आगे बढ़ रहे थे तो धान के खेत में लेटकर छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर अचानक गोली चलाना शुरू कर दिया । पुलिस दल ने तुरन्त मोर्चा संभाला और जवाब में गोलियां चलाई । इस मौके पर, श्री रामनिवास ने, जो आतंवादियों के नजदीक थे, आतंकवादियों पर भारी गोलीबारी कर दी परन्तु आतंकवादियों ने श्री रामनिवास पर अचानक गोलियां बरसा दीं जिससे वह घातक रूप से घायल हो गए, परन्तु अपने घावों के बावजूद भी श्री रामनिवास वीरतापूर्ण ढग से बहुत करीब से लड़े और आतंकवादियों को घायल कर दिया । श्री मंजुनाथ, जोकि श्री रामनिवास की दाहिनी ओर थे, तुरन्त बांईं ओर मुड़े और श्री नेगी को बताया कि श्री रामनिवास बुरी तरह घायल हो चुके हैं । श्री रामनिवास की मृत्यु की जानकारी के बाद श्री नेगी ने साहस जुटाया और श्री मंजुनाथ, केशव बहादुर सहित (स्वर्गीय) श्री रामनिवास के करीब पहुंचने की कोशिश की तो उसी समय श्री रामनिवास से छीने हुए हथियारों से आतंकवादियों द्वारा भीषण गोलीबारी की गई । तुरन्त श्री नेगी ने श्री केशव बहादुर और श्री महाबीर प्रसाद सहित अन्य कार्मिकों को आदेश दिया कि वे आतंकवादियों पर भीषण गोलीबारी करें, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों की ओर से गोली चलनी बंद हो गई तथा तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद सहित दो शव बरामद हुए जिनकी शेर सिंह उर्फ शेरा तथा गुरप्रीत सिंह उर्फ हरप्रीत सिंह उर्फ बाबला के रूप में पहचान की गई । इस मुठभेड़ में, जो लगभ दो दिनों तक चली, कुल मिला कर पांच आतंकवादी मारे गए ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एच० एस० नेगी, सैकण्ड-इन-कमाण्ड, केशव बहादुर, हेड कांस्टेबल, लक्ष्मण राम, हेड कांस्टेबल, महाबीर प्रसाद, लांस नायक, श्री रामनिवास सी० आर० मंजुनाथ और जिले सिंह, कान्स्टेबलस, ने उत्कृष्ट

वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 अक्तूबर, 1991 से दिए जायेंगे ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 44-प्रेज/93—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री प्रेमबीर सिंह राजोरा
सहायक कमांडेंट
10वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री जय करण सिंह
हेड कांस्टेबल
10वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 25 अगस्त, 1991 को लगभग 20.00 बजे श्री परमबीर सिंह राजोरा, सहायक कमांडेंट ने अपने कार्मिकों के साथ गांव लुधार और नाग खुर्द के मध्य लिंक रोड पर घात लगाई । श्री राजोरा ने घात लगाने वाली मुख्य पार्टी को एक्यूडक्ट लूधार मिनोर पर बने पुल पर तैनात किया और कट-आफ-ग्रुप को गांव कालेर मंगत से आने वाले पैदल पथ को जोड़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटरी पुल पर तैनात किया । श्री जय करण सिंह, हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में तीसरे ग्रुप को आतंकवादियों के पहुंचने के बारे में पहले सूचना देने के लिए तैनात किया गया । लगभग 21.15 बजे चेतावनी देने के लिए नियुक्त किए गए ग्रुप ने देखा कि स्कूटर पर सवार दो व्यक्ति कालेर मंगत की तरफ से आ रहे हैं और जब वे लगभग 20-25 गज की दूरी पर आ पहुंचे तो श्री जय करण सिंह ने स्कूटर पर सवार व्यक्तियों को ललकारा जिन्होंने अपने स्वचालित हथियारों से तत्काल गोलियां चलायी, और अपना स्कूटर वहीं छोड़ कर भागे और पास के धान के खेतों में मोर्चा संभाल लिया और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायी लेकिन पुलिस पार्टी ने प्रभावकारी ढंग से गोलियों का जवाब गोलियों से दिया । इसी दौरान गोलीबारी की आवाज सुनने पर श्री राजोरा, अपने और अपने कार्मिकों के जीवन के प्रति भारी जोखिम उठाते हुए युक्तिसंगत रूप से मुठभेड़ के स्थान पर गए तथा मोर्चा संभाला और स्थिति का जायजा लेने के बाद श्री जय करण को आतंकवादियों को उलझाये रखने का निदेश दिया और साथ ही उन्होंने अन्य कार्मिकों को धान के खेत को अन्य दिशाओं से घेरने के लिए तैनात किया लगभग 10-12 मिनट के बाद आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गयी । श्री राजोरा ने तत्काल स्थिति का मुल्यांकन किया और श्री जय करन के साथ सलाह करके धान के खेत में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने की योजना बनायी । आतंकवादियों ने, जो अब तक शांत थे, श्री राजोरा और श्री जय करण को अपनी तरफ बढ़ते हुए, देखकर अचानक उन पर गोलियां चला दी । दोनों बहादुर व्यक्तियों ने तत्काल भूमि पर मोर्चा संभाला और पूरी दृढ़ता और उत्साह के साथ रुक-रुक कर गोलियां चलाते हुए, आतंकवादियों पर लगातार नजर रखते हुए और रेंगते हुए आगे बढ़कर अपनी स्थिति बदलते हुए आतंकवादियों को उलझाए रखा ।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए श्री राजोरा ने कुमुक की मांग की, जो घटनास्थल पर पहुंच गयी । आतंकवादियों की स्थिति का पता लगाने के लिए ऊपर से रोशनी करने वाले बम दागे गए । आतंकवादियों की वास्तविक स्थिति का पता लगने पर, श्री राजोरा और श्री जय करण बेहतर मोर्चा लेने के लिए रेंगते हुए आगे बढ़े लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया आतंकवादियों ने अपने स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार पुनः शुरू कर दी लेकिन दोनों व्यक्ति भारी गोलीबारी के बावजूद विचलित हुए बगैर आगे बढ़ते रहे। दोनों बहादुर व्यक्ति अंततः आतंकवादियों के मोर्चे के नजदीक पहुंच गए और उन्होंने भारी गोलीबारी करके अपनी मेगजीन आतंकवादियों पर खाली कर दी । इसी दौरान बुलेट प्रुफ ट्रेक्टर पहुंच गए; जिनकी मदद से श्री राजोरा और श्री जय करण तलाशी के लिएं खेत में गए तलाशी के दौरान एक आतंकवादी को मृत पाया गया जिसके हाथ में एक ए० के०-47 राईफल थी और लगभग 3.30 बजे तलाशी का कार्य सुबह होने तक के लिए स्थगित कर दिया गया जबकि पुलिस दल ने रात भर निगरानी रखी ।

सुबह और अधिक बल के पहुंचने पर धान के खेत में दूसरे आतंकवादी की तलाशी की गयी । आतंकवादी को धान के खेत के दूसरे किनारे पर छिपा पाया गया और उसे आत्म समर्पण करने के लिए ललकारा गया लेकिन आत्म समर्पण करने के बजाय आतंकवादी ने अपनी रिवाल्वर श्री जय करन पर, जो आतंकवादी के नजदीक था, गोली चला दी और वह बाल-बाल बचे लेकिन इससे पहले कि आतंकवादी दूसरा प्रयास करता श्री जय करण ने अपनी स्टेनगन से उस पर गोली चलायी और उसे शांत कर दिया । कुल मिलाकर दो आतंकवादी मारे गए जिनकी शिनाख्त बाद में जगतार सिंह जग्गा उर्फ धमाका स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल और के० एल० ओ० का उप-प्रमुख "वाहि गुरू" के बाद (जिस पर 40,000 रुपये का इनाम था) और बलबीर सिंह उर्फ धीरा जो एक कुख्यात आतंकवादी था, के रूप

में की गयी। मृतक से एक बजाज चेतक स्कूटर एक ए० के०–47 राईफल, एक 12 बोर डी० बी० बी० एल० गन, एक .38 बोर रिवाल्वर, एक वाकमेन कैसट प्लेयर और अन्य वस्तुएं और गोला बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री पी० एस० राजोरा, सहायक कमांडेंट और जय करन सिंह, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कतर्व्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 अगस्त 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 45–प्रेज/93—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :–

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुनील मोचारी
कांस्टेबल
10वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 11 सितम्बर, 1991 को श्री रती राम, डिप्टी कमांडेंट (आपरेशंस) के अधीन, गांव बग्गा और रामदीवाली में आतंकवादियों को, उनके छिपने के संदिग्ध ठिकानों से पकड़ने के लिए गांव भीलोवाल में एक संयुक्त आपरेशन शुरू किया गया जहां उन्होंने श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक कमांडेंट के साथ अभियान का निर्देशन किया। श्री रती राम ने अपने दल को बेहक के पास के तिराहे पर रुकने का आदेश दिया और दल को तीन समूहों में बांटा, जिसमें से एक समूह को बेहक की तलाशी लेने, दूसरे को निकटवर्ती पंप हाउस की तलाशी लेने का आदेश दिया और तीसरा समूह वाहनों के पास रहा। इसी समय एक उम्रदराज सिख को, जिनकी पहचान बाद में संतोख सिंह सरपंच के रूप में की गई, ट्रेक्टर से कीनू के निकटवर्ती बाग की ओर भागते हुए देखा गया। यह सूचना पर श्री रती राम ने तुरन्त ही स्थिति का तेजी से जायजा लिया और श्री भानू प्रताप सिंह को बाकी कर्मियों को तैनात करने का निर्देश देकर वे स्वयं बिना समय बरबाद किए उस दिशा की ओर खेतों में दौड़े जिधर आतंकवादी ने पोजीशन ली हुई थी। श्री रती राम और श्री भानू प्रताप सिंह को, जो खेतों में घुसे थे, चार चारपाइयां, कपड़े और पकाया हुआ भोजन मिला और इस बात की पुष्टि हो गयी कि शीतल सिंह मत्तेवाल गिरोह ने वहां भोजन किया था। श्री रती राम ने फिर से स्थिति का जायजा लिया और उत्तरी दिशा की ओर बढ़े जहां पर श्री बी० पी० सिंह और श्री एन० के० दास ने अन्यों के साथ पहले ही मोर्चा संभाला हुआ था। इस पर श्री रती राम दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़े, उपलब्ध कर्मियों को तैनात किया और उसी समय और बल मंगाने के लिए संदेश भेज दिया। श्री आर० के० गोड़ कमांडेंट जिन्होंने संदेश प्राप्त किया था, तुरन्त ही, उपलब्ध बल के साथ घटनास्थल की ओर चल पड़े। इस बीच श्री रती राम ने चतुराई से उपलब्ध बलों को तैनात करके संपूर्ण क्षेत्र को घेर लिया था और आतंकवादियों को बचकर भागने नहीं दिया। जब पुलिस दल पूरी तैयारी के साथ आतंकवादियों की ओर में किसी गतिविधि के इंतजार में डटा हुआ था तो कांस्टेबल एन० के० दास ने एक आतंकवादी को गन्ने के खेत से बाहर आते और भागने की कोशिश करते हुए देखा लेकिन चौकस कांस्टेबल ने तुरन्त ही प्रतिक्रिया में गोली चलायी और आतंकवादी को मार गिराया परन्तु गन्ने के खेतों में छिपे हुए अन्य आतंकवादियों ने तुरन्त ही कई स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की। श्री एन० के० दास, कांस्टबल ने अपने जीवन का खतरा उठाते हुए भी गोलियों के समक्ष साहसपूर्वक एक ओर से मोर्चा संभाला हुआ था जबकि श्री रती राम और श्री भानू प्रताप सिंह, अन्य दो छोर संभाले हुए थे और इस प्रकार आतंकवादियों को भाग निकलने से रोके हुए थे। इसी बीच बुलेटप्रूफ ट्रेक्टरों के साथ और कुमुक आ गयी और श्री रती राम तथा श्री बी० पी० सिंह एक मिनट भी बरबाद किए बिना ट्रेक्टरों पर चढ़े और छिपे हुए आतंकवादियों की खोज शुरू कर दी। तलाशी के दौरान उन्होंने एक उग्रवादी को मोर्चा संभाले हुए देखा और तुरन्त गोली चलाकर उसे मार डाला। कुछ और ट्रेक्टरों के पहुंचने पर श्री गौड़ ने श्री रती राम और श्री बी० पी० सिंह के साथ एक बार पुनः स्थिति का जायजा लिया तथा छिपने के स्थानों पर छापा मारने के लिए विभिन्न दलों को ट्रेक्टर आबंटित किए। श्री बी० पी० सिंह, जो एक दल का नेतृत्व कर रहे थे, सीधे आतंकवादियों के मोर्चे की तरफ गए लेकिन उनके ट्रेक्टर पर गोलियां चलायी गयी और इस दौरान श्री सिंह की दाहिनी जांघ पर एक गोली लगी जबकि उनकी कलाई और बायीं हथेली गोलियों से छिल गई। लेकिन छापा अभियान तब तक जारी रहा जब तक उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए ले जाया नहीं गया।

यह क्षेत्र बहुत बड़ा था और अंधेरा होने लगा था। सर्चलाइटों और वाहनों की रोशनियों से पूरे क्षेत्र में रोशनी की गई और आतंकवादियों द्वारा भागने के लिए बार-बार किए गए प्रयासों को रोका गया तथा सुबह होने तक उनको रोके रखा गया। 12 सितम्बर, 1991 को सुबह श्री गौड़ ने स्थिति का पुनः जायजा लिया और खेतों की पुनः तलाशी लेने/छापा मारने का आदेश दिया। लगभग 1400 बजे श्री गौड़ पर, जिन्होने ट्रेक्टर में मोर्चा [illegible] था

भारी गोलीबारी की गई लेकिन इससे विचलित हुए बिना उनके दल ने आतंकवादियों की गोलियों का मुकाबला किया और उन्हें शांत कर दिया । श्री सुनील मोचारी, कांस्टेबल जो रात की घेराबंदी के दौरान एक छोर पर तैनात थे, पर अचानक बार-बार हमला हुआ लेकिन वे विचलित हुए बिना डटे रहे और उन्होंने आतंकवादियों को भागने नहीं दिया तथा इस प्रक्रिया में उनकी छाती पर गोली लगने से वे जख्मी हो गए, लेकिन डटे रहे और आतंकवादियों पर नजर रखे रहे ।

उक्त मुठभेड़ में कुल मिलाकर पांच कुख्यात आतंकवादी मारे गये । जिनकी शिनाख्त बाद में शीतल सिंह मत्तेवाल, तरसेम सिंह, गुरनाम सिंह, गुरदयाल सिंह और गुरमुख सिंह के रूप में की गई और घटनास्थल से बड़ी मात्रा में शस्त्र एवं गोलाबारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में कांस्टेबल श्री सुनील मोचारी ने अदम्य वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 सितम्बर 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं० 46-प्रेज/93—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जुगल किशोर जोशी,
उप-निरीक्षक,
13वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री जुगल किशोर जोशी, उप-निरीक्षक, दिनांक 27 जुलाई, 1991 को बोलेवार्ड डलगेट रोड पर जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 13 वीं बटालियन के विशेष टास्क बल के साथ गश्त ड्यूटी पर थे तो उन्होंने करीब 1030 बजे दो व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में रैनवाड़ी की ओर नाव चला कर जाते देखा । श्री जोशी ने तुरन्त उन्हें ललकारा पर अपना परिचय देने के लिए कहा परन्तु संदिग्ध व्यक्तियों ने अपना परिचय देने के बजाय डल झील के पास खड़े विशेष टास्क बल के समूह पर गोलियां चलानी आरंभ कर दी । श्री जोशी ने बहुत सूझ-बूझ का परिचय देते हुए मोर्चा संभाला और जवाबी गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप एक उग्रवादी घायल हो गया और नाव में ही गिर गया जब कि दूसरा आतंकवादी, जिसे भी गोली लगी थी, नाव से बाहर कूद पड़ा और तैर कर पास में खड़ी हाऊस बोट में चढ़ गया । इस उद्देश्य से कि दूसरा आतंकवादी जो घायल हो चुका था और उस समय नाव में मौजूद था, कहीं भाग न निकले, श्री जोशी झील में खड़ी एक अन्य छोटी नौका में सवार होकर उस नाव की ओर रवाना हो गए जिसमें उग्रवादी लेटा हुआ था, परन्तु जैसे ही श्री जोशी उस नाव के करीब पहुंचे, तो वे यह देखकर भौचक्के रह गये कि उग्रवादी ने एक पिस्तौल से उन पर गोली चलाने का प्रयास किया । इस समय श्री जोशी ने अत्यन्त तेजी के साथ प्रतिक्रियास्वरूप कार्रवाई की तथा उग्रवादी पर गोली चलाई और इस बार उसे मार गिराया । मृत उग्रवादी की बाद में मेहराजुद्दीन खान उर्फ सद्दाम हुसैन उर्फ दीन कवाली के रूप में पहचान की गई । उसकी अन्य कई हत्या, इत्यादि के मामले में तलाश थी ।

इस मुठभेड़ में श्री जुगल किशोर जोशी, उप-निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं० 47-प्रेज/93—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सतनाम सिंह
कांस्टेबल
36वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 27 जुलाई, 1991 को लगभग 1145 बजे सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध आतंकवादियों ने तहलीवाला, अमृतसर के निवासी श्री बलबीर सिंह का अपहरण कर लिया है और वे अजीत नगर में एक तीन मंजिले मकान में ठहरे हुए हैं । सूचना मिलते ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक सिविल पुलिस के साथ उस क्षेत्र की ओर चल पड़े और अपहृत व्यक्ति को छुड़ाने के लिए उस मकान को घेरने की योजना बनाई । मकान को सभी दिशाओं से घेरने और आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए, बाहर जाने के सभी रास्तों को सील करने के बाद माईक से आतंकवादियों से बाहर आने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन ऐसा करने के बजाय आतंकवादियों ने घर के अन्दर से पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी आरंभ कर दी । पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलियां चलाई और आतंकवादियों से बार-बार समर्पण करने के लिए कहा लेकिन वे अविचलित होकर पुलिस कर्मिकों पर गोलियां चलाते रहे, जो बाहर खुले में थे, जबकि

आतंकवादियों ने घर में अच्छी प्रकार मोर्चा संभाला हुआ था। मोर्चाबंदी दल द्वारा की जा रही गोलीबारी प्रभावी सिद्ध नहीं हो रही थी। यह महसूस करने पर कि गोलीबारी प्रभावी सिद्ध नहीं हो रही है, यह निर्णय किया गया कि आतंकवादियों को बाहर खदेड़ने के लिए हथगोले फेंके जाएं और घर पर छापा मारा जाए। हथगोले फेंके जाने के परिणामस्वरूप, आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गई और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकवादी समाप्त हो गए हैं, घर पर छापा मारने का निर्णय लिया गया। श्री सतनाम सिंह, कांस्टेबल और पंजाब पुलिस का एक कार्मिक स्वचालित हथियारों के साथ घर में घुसे, और अत्यधिक साहस के साथ उन्होंने भूतल के कमरों की तलाशी ली और जब वे प्रथम तल में प्रवेश करने लगे तो वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी लेकिन श्री सतनाम सिंह और उसके साथी ने मोर्चा संभाला और आतंकवादी को मार गिराया। श्री सतनाम सिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए मुकाबले के लिए आगे-आगे चलकर आतंकवादियों की गोलियों का सामना किया और आतंकवादी को मार गिराया जिसकी शिनाख्त बाद में "फोजे खालिस्तान" के निरबैर सिंह के रूप में की गयी और उससे गोला बारूद के साथ एक ए०के०-47 राइफल बरामद की गई। अपहृत व्यक्ति, जसबीर सिंह को सही सलामत रिहा कराया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री सतनाम सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 48-प्रेज/93—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रन सिंह
हैड कांस्टेबल
70 वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 4 अक्तूबर 1991 को के०सी०एफ० (जफरवाल) गुट के दुर्दान्त स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल कारज सिंह और उसके गिरोह की गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त होने पर श्री ए०के० बेहड़ा डिप्टी कमांडेंट ने मारी मेघा, मारी उदोके और दर्ज के गावों के फार्म हाऊसों पर छापा मारने के एक विशेष अभियान की योजना बनाई। सिविल पुलिस के साथ उपलब्ध बल को तीन दलों में बांटा गया। 1630 बजे जब तलाशी अभियान जारी था तो सचल गश्ती दल को मेजर बाबा रोड़े शाह पर आतंकवादी ग्रुप की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली तो गश्ती दल को अपनी ओर आता देखकर वहां से भाग गया और चुग गांव के पास स्थित श्री सार्दूल सिंह के फार्म हाऊस में शरण ली। दूसरे स्थान पर तलाशी अभियान में लगे श्री बेहड़ा को उपर्युक्त सूचना प्राप्त हुई और वे अपने कार्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए तथा देखा कि आतंकवादी फार्म हाऊस में छिपे हुए हैं और पुलिस दल पर गोली चला रहे हैं जबकि पुलिस दल भी पास स्थित छतों पर से गोलीबारी का जवाब दे रहा था। यद्यपि आतंकवादी उत्तरी दिशा की ओर से घिरे हुए थे लेकिन अन्य तीनों दिशाओं से उनके भाग निकलने के पर्याप्त अवसर थे, जबकि आतंकवादी भागने के लिए अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे। स्थिति को भांपकर श्री बेहड़ा ने घेरे बंदी को और सख्त कर दिया और श्री नन्द लाल कमांडेंट को कुमुक के लिए सूचना भेज दी जिन्होंने अंधेरा होने का खतरा होने के बावजूद अपने जीवन के प्रति खतरा मोल लिया और घटनास्थल पर पहुंचे तथा स्थिति का तेजी से जायजा लिया। श्री बेहड़ा तथा श्री लाल स्वचालित हथियारों की गोलियों के समक्ष भी घेरे बंदी को मजबूत करने के लिए रेंगते हुए चारों ओर गए तथा घेराबंदी को एक दम संपूर्ण बनाने और आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए उन्होंने सभी बुलेट प्रूफ वाहनों को घर के चारों ओर खड़ा करवा दिया और घर को अच्छी तरह प्रकाशित रखा। इसी बीच बचकर भागने के असफल प्रयास में आतंकवादियों ने ट्रांसफार्मर को उड़ा दिया और इस प्रकार सारे क्षेत्र में घुप अंधेरा कर दिया। नवीनतम स्थिति का जायजा लेने के बाद श्री लाल ने छापा मारने के काम को अगली सुबह तक के लिए स्थगित करने लेकिन घेरे बंदी को वैसा ही बनाए रखने का निर्णय लिया।

अगली सुबह जल्दी ही श्री लाल स्थिति का जायजा लेने के बाद और आतंकवादियों को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने का पूर्णतः निश्चय करके एक बुलेट प्रूफ ट्रेक्टर पर चढ़ गए और अपने जीवन को गभीर खतरे में डालते हुए मुख्य द्वार तक गए, वाहन से उतरे और घर का बाहर से पूरी तरह निरीक्षण किया। मकान के अन्दर से उन पर भारी गोलीबारी की गई। श्री लाल ने दूसरे बुलेट प्रूफ ट्रेक्टर की मांग की जो कि वहां पहुंचने पर पार्किंग क्षेत्र में पार्क कर दिया गया। यह पार्किंग क्षेत्र कुछ दूरी पर था और वाहन की तरफ बढ़ने पर किसी को क्षेत्र से भारी गोलीबारी हो सकती थी लेकिन श्री बेहड़ा ने खतरे और परिणामों की परवाह न करते हुए उस दूरी को पार किया और सौभाग्यवश गोलीबारी से बच गए। श्री लाल और श्री बेहड़ा एक-एक ट्रेक्टर पर बैठ गए और उन्होंने फार्म हाऊस के पश्चिमी तथा उत्तर पूर्व कोनों पर पोजीशन ले ली और मकान पर भारी गोलीबारी की लेकिन इससे कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। दूसरे उपाय के रूप में मकान के अन्दर हथगोले डालने का निर्णय लिया गया लेकिन इसके लिए किसी को छत के ऊपर चढ़ने उसमें छेद करने और कमरों के अन्दर हथगोले फेंकने का साहस दिखाने की जरूरत थी। श्री रन सिंह हैड कांस्टेबल एक अन्य पुलिस कर्मी के साथ असाधारण वीरता और साहस का परिचय देते हुए छत पर चढ़े और उन्होंने छत पर छेद करना

शुरू कर दिया जिससे उन पर गोलियों की बौछार हुई लेकिन बहादुर पुलिस कर्मियों ने युक्तिपूर्वक गोलियों से अपने को बचाया और वे प्रत्येक कमरे में हथगोले फेंकने में कामयाब हो गए। इससे प्रत्याशित परिणाम निकला और आतंकवादी तेजी से गोली चलाते हुए भाग कर बाहर आए लेकिन वहां उनका सामना श्री लाल और श्री बेहड़ा से हुआ जो वहां पहले से ही पोजीशन लिए हुए थे और उन्होंने आतंकवादियों के अगले कदम का पहले ही अनुमान लगा लिया था। श्री लाल ने एक आतंकवादी को मार डाला जो पश्चिमी दिशा के एक कमरे से निकला था जबकि श्री बेहड़ा ने एक अन्य आतंकवादी को मार डाला जो कि पूर्वी दिशा से आया था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि अन्दर कोई जीवित नहीं है उस क्षेत्र की पूरी तरह तलाशी ली गई और चार शव बरामद किए गए जिनकी पहचान बाद में कारज सिंह अमरजीत सिंह उर्फ बब्बू केवल सिंह और गुरमेल सिंह के रूप में की गई। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद भी बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री रन सिंह, हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 अक्तूबर, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1993

सं० 49-प्रेज/93—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक क्रमवार प्रदान करते हैं :—

आधिकारियों का नाम तथा पद

श्री डी० ए० धनंयास,
कमांडेंट,
66 बटालियन,
केन्द्रीय रिजव पुलिस बल।

श्री वी० वी० सिंह,
उप-कमांडेंट,
66 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 2 सितम्बर 1991 को श्री वी० वी० सिंह उप-कमांडेंट (आप०) को सूचना प्राप्त हुई कि करीब 1230 बजे 9-10 आतंकवादीयों का एक समूह पुलिस की वर्दी में एक स्वराज माजदा सं० शे० पो०-02-95113 में कामरेड स्वर्ण सिंह उर्फ टीटू जिन्हें सशस्त्र गार्ड दिया गया था के चोके गांव स्थित घर पर, दिए गए हथियारों के निरीक्षण के बहाने आए और .303 की 6 राइफलें एक 7.62, की ए०राइफल तथा एक स्टेनगन के साथ-साथ कामरेड स्वर्ण सिंह को भी अपने साथ ले गए। सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद श्री वी० वी० सिंह अपने एस्कार्ट तथा सिविल पुलिस के साथ आतंकवादियों का पीछा करते हुए गए। करीब 1600 बजे यह पाया गया कि आतंकवादियों ने जसवन्त सिंह के फार्म हाऊस के पास अपना वाहन छोड़ दिया था। इस सुराग के आधार पर श्री वी० वी० सिंह ने निकटवर्ती गन्ने/धान के खेतों की तलाशी का निश्चय किया लेकिन जैसे ही उन्होंने खेतों की तलाशी शुरू की, छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोली चलाई। श्री सिंह ने विचलित हुए बिना तथा परिणामों की परवाह किए बिना भारी गोलीबारी के बीच अपने बल का नेतत्व किया और गोली बारी का जवाब देकर आतंकवादियों को रोके रखा। इसी बीच श्री डी० ए० धनंजैयाम कमांडेंट कुमुक लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए, उन्होंने तत्काल स्थिति का जायजा लिया और नियंत्रण संभाल लिया। इलाके को घेरकर उन्होंने श्री सिंह को गन्ने के खेत के और अधिक नजदीक जाने और हथगोला फेंकने के लिए कहा जिसके प्रभाव से छिपे हुए आतंकवादी जान बचाने के लिए भागने लगे और इसी भगदड़ में कामरेड स्वर्ण सिंह भी बच कर भाग निकले। 3-9-1991 को करीब 0345 बजे श्री धनंजैयास और श्री सिंह के अधीन पुलिस दल पर अचानक ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी लेकिन साहसी अधिकारियों ने जवाब में गोली चलाई जबकि श्री सिंह ने हथगोले फेंके और उनके बचकर भागने के प्रयास को नाकाम कर दिया। कुछ समय बाद आतंकवादियों ने फिर एक और आत्मघाती प्रयास किया लेकिन इस समय यह प्रयास नहर की ओर किया गया था परन्तु इस बार भी उनके प्रयासों को श्री बजरंगी धर दूबे और उनके कार्मिकों ने नाकाम कर दिया और इस प्रक्रिया में श्री दूबे अपनी जान के प्रति गंभीर खतरा उठाते हुए आगे बढ़े और एक आतंकवादी को मार गिराया और उससे एक .303 राइफल बरामद कर ली। करीब 0630 बजे गन्ने के खेतों की तलाशी के लिए बुलेटप्रूफ ट्रैक्टरों का प्रयोग करने का निश्चय किया गया लेकिन ट्रेक्टर कीचड़ में धंस गया जबकि ट्रेक्टरों को देखकर आतंकवादियों ने अपना मोर्चा धान के खेतों में बदल लिया। धान के खेतों की तलाशी के लिए श्री सिंह के नेतृत्व में एक तलाशी दल तैनात किया गया। जब तलाशी जारी थी तो श्री सिंह और कांस्टेबल अब्दुल ब्लास जो कि आगे-आगे थे, पर एकदम नजदीक से दो आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी की और स्टिक बम भी फेंके लेकिन वे चमत्कारित ढंग से बच गए और पूरी ताकत तथा साहस के साथ दोनों आतंकवादियों पर गोली चलाकर उन्हें मार डाला तथा उनसे .303 की 2 राइफलें, एक 7.62 राइफल तथा दो थैले हथगोले बारूद के बरामद किए। चूंकि ये टुकड़ियां करीब 40 घंटे से बिना भोजन के बाहर ड्यूटी पर थी इस लिए उन्होंने रात्रि सन्तरी ड्यूटी सीमा सुरक्षा बल को स्थानांतरित करने और अगली सुबह पूरे उत्लाह से वापस आने तथा धान के खेतों की तलाशी फिर शुरू करने का निर्णय लिया। जैसे ही तलाशी फिर शुरू हुई कांस्टेबल सुधाकरन नायर और उसकी टुकड़ी के साथ श्री धनंजैयास पर भारी गोलीबारी हुई लेकिन उन्होंने चतुराई

से तथा रेंगते हुए अपने आप को गोलियों से बचाया। इसी बीच श्री वी० वी० सिंह और उनके दल ने विपरीत दिशा से आतंकवादियों के नजदीक आना प्रारंभ कर दिया। पुलिस दल को नजदीक आता देख कर आतंकवादियों ने निकटवर्ती खेतों में तितर-बितर होना शुरू कर दिया और साथ ही साथ गोली चलाते रहे और स्टिक बम फेंकते रहे। कांस्टेबल सुधाकरन नायर हरपाल सिंह तथा कांस्टेबल आर० के० पाटिल के साथ श्री धनंजैयास ने एस० एल० आर० से फायर करते हुए एक आतंकवादी का सामना करके उसे गोली चलाकर मार डाला और उसकी एस० एल० आर० ले ली। मृत आतंकवादी की पहचान डा० सतनाम सिंह उर्फ सत्ता स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल पी० टी० के० एफ० के रूप में हुई जिसको पकड़ने के लिए 5 लाख रु० का इनाम था। अन्तिम हमले के रूप में गन्ने के खेत पर धावा बोलने का निर्णय लिया गया तथा कांस्टेबल पाटिल आर० के० और कांस्टेबल हरपाल सिंह के साथ भी धनंजैयास और श्री सिंह एक ऐसे स्थान पर रेंगकर पहुंच गए जहां से उन्हें धावा बोलना था। लेकिन आतंकवादियों ने पुलिस दल पर अंधाधुन्ध गोली बारी की परन्तु इससे विचलित हुए बिना पुलिस दल ने जवाबी गोली बारी की और कई हथगोले फेंके तथा इस प्रकार आतंकवादियों को शांत करने में सफल हो गए। अब आतंकवादियों की ओर से गोली बारी बन्द हो गई तो तलाशी ली गई। अलग-अलग स्थानों पर तीन शव पड़े हुए पाए गए। इस मुठभेड़ में जो करीब तीन दिन अर्थात् 2-9-1991 से 4-9-1991 तक चली, कुल मिलाकर 7 आतंकवादी मारे गए थे और उनसे .303 की 8 राइफल, 7.62 की एक राइफल एक एम० एल० आर० एक वायरलैस सैट तथा भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री धनंजैयास, कमांडेंट तथा वी० वी० सिंह, उप-कमांडेंट ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(एक) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं० 50-प्रेज/93—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक क्षमवार प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री हरपाल सिंह,
कांस्टेबल,
66वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 6 सितम्बर, 1991 को 1100 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गुरमीत सिंह घड़ियाली, एक खूंखार आतंकवादी तथा स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल, एक दूसरे खूंखार आतंकवादी के साथ, करम सिंह के फार्म हाऊस में ठहरा हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त 66वीं बटालियन के कमांडेंट और डी०सी० (प्रशासन) उपलब्ध कार्मिकों सहित, जिनमें कांस्टेबल हरपाल सिंह और कांस्टेबल बी० एन० यादव शामिल थे, उस स्थान की ओर चल दिए। उस क्षेत्र को घेर लेने का निर्णय लिया गया तथा आतंकवादियों को नागरिकों के साथ मिलने से रोकने के उद्देश्य से उस विशिष्ट फार्म हाऊस को घेर लिया गया तथा भाग निकलने के सभी संभव रास्तों को बन्द कर दिया गया। संदिग्ध घर की घेरा बन्दी करने के लिए तैनात किए गए बल का एक दल घर के निकट पहुंचा। घर में छिपे आतंकवादियों ने उस घर के पास आते हुए पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां चलानी आरंभ कर दीं। स्थिति का शीघ्रता जायजा लेने के बाद, यह निर्णय किया गया कि फार्म हाऊस के साथ वाले घरों की छतों पर एल० एम० जी के साथ कार्मिक तैनात किए जाएं ताकि आतंकवादियों पर प्रभावकारी ढंग से गोलीबारी की जा सके। सैनिकों को आगे बढ़ते देखकर, आतंकवादियों ने गोलियां चलानी आरंभ कर दीं परन्तु कांस्टेबल सिंह और कांस्टेबल यादव बहादुरी के साथ भीषण गोलियों का सामना करते रहे और दृढ़ निश्चय के साथ तथा अपनी जिन्दगी को बड़े जोखिम में डाल कर वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और घर की छत पर मोर्चा संभालने में सफल हो गए जहां से आतंकवादियों पर एल० एम० जी द्वारा प्रभावकारी ढंग से गोली-बारी की तथा आत्म समर्पण करने के लिए उन पर दबाव डाला। लेकिन आतंकवादियों ने आंगन की दीवार के साथ सुरक्षित मोर्चा संभाल लिया, जहां पर फ्लैट ट्रैजेक्टरी हथियारों से गोली चलाने से कोई भी लाभ नहीं हो सका। इस स्थिति में कमांडेंट ने आतंकवादियों को शांत करने के लिए उन पर हथगोले फेंकने का निर्णय लिया। यद्यपि कांस्टेबल सिंह और यादव का यह कार्य को करने में होने वाले खतरे का आभास था, फिर भी उन्होंने स्वयं को इस कार्य के लिए सौंपा तथा आंगन की दीवार पर एक-के-बाद-एक जल्दी-जल्दी हथगोले फेंके, जिससे आतंकवादी घबरा गए और बचाव के लिए घर के अन्दर भाग गए। आतंकवादियों को बचाव के लिए घर के अन्दर भागते देखकर उन पर चारों ओर से एल० एम० जी द्वारा गोली चलाने का निर्देश दिया गया, परन्तु इसके जवाब में खिड़कियों से भीषण गोलीबारी होने लगी। अंतिम प्रयास स्वरूप घर में विस्फोट करने का निर्णय लिया गया परन्तु इस दौरान कांस्टेबल सिंह और यादव कमांडेंट का निर्देश प्राप्त कर, उस घर की छत पर पहुंच गए, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे तथा उन्होंने छत में छेद किया और वहां से 6 हथगोले अन्दर फेंकने में सफल हो गए, परन्तु आतंकवादियों द्वारा उन पर जवाबी गोलीबारी हुई। इसके साथ-साथ एल० एम० जी० तथा अन्य स्वचालित हथियारों से आतंकवादियों पर गोलियां चलाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप घर के अन्दर से होने वाली गोलीबारी रुक गई। कुछ समय बाद पूरी विस्फोटक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य

से कांस्टेबल सिंह और यादव घर में घुस गए और हमले के दौरान गोलीबारी में दोनों आतंकवादी मारे गए तथा मृतकों से बड़ी मात्रा में गोली-बारूद व शस्त्र बरामद किया गए। मारे गए आतंकवादीयों की पहचान गुरमीत सिंह घड़ियाली तथा हरबंस सिंह उर्फ करम सिंह के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में श्री हरपाल सिंह, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(एक) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1993

सं० 51-प्रेज/93—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक क्रमवार प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रामपाल सिंह,
सहायक कमांडेंट
76वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 17 मार्च, 1991 को पहुविंड से भीखीविंड जाने वाले कच्चे रास्ते से तीन आतंकवादी नागरिकों की हत्या करने के परोक्ष इरादे से आए। जब उन्होंने एक विशेष समुदाय के चार व्यक्तियों को खेत में काम करते हुए देखा तो आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर गोलियां चला दीं, जिससे उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह देखकर भीखीविंड के पुलिस उप-अधीक्षक के घर पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने घर की छत से गोलियां चलाना आरंभ कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर श्री राम पाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, 76वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तुरन्त अपनी एस्कोर्ट पार्टी सहित घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े और उन्होंने देखा कि आतंकवादी गांव पहुविंड की ओर दौड़ रहे हैं। वे गांव पहुविंड की ओर दूसरी ओर से दौड़े ताकि भागते हुए आतंकवादियों को घेरा जा सके। उन्होंने उस क्षेत्र को खेमकरण और खलरा की ओर से घेर लेने के लिए दूसरी पार्टी को भी आदेश दिया। पुलिस वाहनों को अपनी ओर आते देखकर आतंकवादियों ने अपना रास्ता बदल कर गांव भीखीविंड की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। श्री राम पाल सिंह ने भीखीविंड स्थित चावल का छिलका उतारने वाली फैक्ट्री के निकट तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को निर्देश दिया कि वे अपनी तरफ से आतंकवादियों का रास्ता बन्द कर दें। कमांडिंग आफिसर ने तुरन्त अपने जवानों को तैनात किया तथा अपनी ओर से क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। चारों ओर से घिरा हुआ पाकर आतंकवादियों ने खेत में मोर्चा ले लिया और घेरा डालने वाले दलों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर स्टिक बम भी फेंके।

श्री रामपाल सिंह, कांस्टेबल पी० गिरीश और यू० के० मण्डल सहित युक्तिपूर्ण ढंग से एक आतंकवादी की ओर आगे बढ़े जब वे तीनों और आगे बढ़ रहे थे तो दो कांस्टेबलों ने एक बचाव दल के रूप में उनके बचाव में गोलीबारी की। आतंकवादियों के करीब पहुंचने पर, सर्व श्री रामपाल सिंह, पी० गिरीश और यू० के मण्डल ने आतंकवादी पर गोलीबारी की और उसे गेहूं के खेत में मार डाला। दोनों ओर से गोलीबारी होने के दौरान एक कांस्टेबल को दाहिने हाथ में कुहनी के निकट गोली लगी। यद्यपि, उसने अपने हथियार से कोई गोली नहीं चलाई थी परन्तु वह बचाव दल का सदस्य था।

दो अन्य आतंकवादी खेत में मोर्चा सम्भाले हुए थे शाम हो गई थी, इसलिए श्री रामपाल सिंह ने अपनी आक्रमण पार्टी को निर्देश दिया कि गेहूं के खेत में अन्य आतंकवादियों की खोज करें। अपने दल सहित जब श्री रामपाल सिंह खेत में आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने गतिविधियां देखीं। पुलिस कर्मियों को देख कर खेतों में छिपे आतंकवादियों ने आगे बढ़ते हुए कर्मियों पर गोली चलानी आरम्भ कर दी। श्री रामपाल सिंह, कांस्टेबल पी० गिरीश और यू० के० मण्डल भीषण गोलीबारी के बीच अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना फिर से रेंगकर आगे बढ़े और आतंकवादियों पर गोली बारी की। जहां दो कांस्टेबलों ने, जो आक्रमण दल के पीछे-पीछे जा रहे थे, श्री रामपाल सिंह की आक्रमण पार्टी को आगे बढ़ने में सहायता पहुंचाने के लिए गोली बारी करके सुरक्षा प्रदान की वहीं सर्वश्री रामपाल सिंह, पी० गिरीश और यू० के० मण्डल ने एक एक करके कई बार अपना मोर्चा बदला और आतंकवादियों पर गोली बारी की। दोनों ओर से लगभग एक घंटे तक गोलीबारी होती रही उसके बाद, आतंकवादियों की ओर से गोलियां चलनी रुक गईं। उस क्षेत्र की तलाशी में दो शव बरामद हुए। तीनों मृत आतंकवादियों की बाद में गुरजा सिंह, मुरमेल सिंह उर्फ गोजा और अवतार सिंह उर्फ काला के रूप में पहचान की गई। तलाशी के दौरान एक ए० के०-47 राइफल, एक माउजर, ए०के०-47 की दो मैगजीन, 2 स्टिक बम तथा बड़ी मात्रा में सक्रिय घटनास्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री रामपाल सिंह, सहायक कमांडेंट, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(एक) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 मार्च, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी, 1993

संकल्प

सं० हिंदी/समिति/91/38/1—भारत सरकार ने रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 8 अगस्त, 1990 के संकल्प सं० हिन्दी/समिति/90/38/1 के अधीन गठित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति को तत्काल भंग करने तथा इस संकल्प के जारी होने की तारीख से उसका पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है। पुनर्गठित समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :

सरकारी सदस्य

1.	रेल मंत्री	अध्यक्ष
2.	रेल राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
4.	वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड	"
5.	सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड	"
6.	सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	"
7.	सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड	"
8.	सदस्य बिजली, रेलवे बोर्ड	"
9.	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	"
10.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।	"
11.	सचिव, रेलवे बोर्ड।	"
12.	सलाहकार, प्रबंध सेवाएं, रेलवे बोर्ड।	"
13.	निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड।	सदस्य सचिव

संसद सदस्य

14.	श्री नाथूराम मिर्धा (1) 18, सिविल लाइंस, जयपुर (राजस्थान)। (2) 3, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली, दूरभाष : 3017168।	सदस्य	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि
15.	श्री राम विलास पासवान, संसद सदस्य (लोक सभा) (1) गांव और डाकखाना—सासरबंदी, पु० स्टे० और अंचल—अलुली, जिला (वागडिया), बिहार। (2) 12, जनपथ, नई दिल्ली—110001। दूरभाष : 3017681।	सदस्य	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि
16.	श्री नरेश सी० पुगलिया, संसद सदस्य (राज्य सभा), (1) गांधी चौक, चन्द्रपुर, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र, (दूरभाष : 2800)। (2) 35, मीना बाग, नई दिल्ली। दूरभाष : 3011590	सदस्य	संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित
17.	श्रीमती रत्न कुमारी, संसद सदस्य (राज्य सभा)। (1) कोतवाली वार्ड, जबलपुर, मध्य प्रदेश दूरभाष : 21602। (2) 57, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली। दूरभाष : 3016605।	"	"
18.	डा० बसंत निबरटी पवार, संसद सदस्य (लोक सभा)। (1) सुशरत अस्पताल, गौतम, न्यू पंडित कालोनी, शरणपुर रोड,	"	"

नासिक,
महाराष्ट्र,
दूरभाष : 76481,
78091 ।

(2) कमरा सं॰ 201,
महाराष्ट्र भवन,
नई दिल्ली,
दूरभाष 3782587।

19. श्री नारायण भाई जमला भाई राठवा, संसद सदस्य (लोक सभा) । — सदस्य — संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

(1) पैलेस रोड,
छोटा उदयपुर,
जिला वड़ोदरा
(गुजरात) ।

(2) 14, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली–110011।
दूरभाष : 3792659।

गैर–सरकारी सदस्य :

20. श्री वी॰ एस॰ राधाकृष्णन,
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा,
मद्रास ।

21. श्री सुधाकर पांडेय,
प्रधानमंत्री,
नागरी प्रचारिणी सभा,
वाराणसी,
दूरभाष : निवास 54908,
कार्यालय 331488, 331277 ।

22. श्री कन्हैया लाल नंदन,
पत्रकार/लेखक/प्रधान संपादक,
"हिंदी सन्डे मेल" ई–595,
ग्रेटर कैलाश,
नई दिल्ली ।

23. डा॰ शिव प्रसाद सिंह,
लेखक,
भूतपूर्व अध्यक्ष
हिंदी विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी ।

24. श्री मलिक मोहम्मद,
हिंदी प्राध्यापक/शिक्षाविद,
अध्यक्ष,
हिंदी विभाग,
कालीकट विश्वविद्यालय,
कालीकट (केरल) ।

25. सुश्री शिवानी,
हिंदी लेखिका,
66, गुलिस्तां कालोनी,
लखनऊ ।

26. श्री कमलेश्वर,
लेखक/पत्रकार,
फिल्मकार
जी–158, सेक्टर–25
नौएडा (उ॰ प्र॰) ।

27. श्री एस॰ एल॰ भैरप्पा
1007 उदय रवि रोड,
कुवेम्पू नगर,
मैसूर–570023, कर्नाटक ।
दूरभाष : 60604 ।

28. श्री कृष्ण गोपाल,
7–जंतर मंतर रोड़,
नई दिल्ली–110001, दूरभाष : 3328258

29. प्रो. रविन्द्रनाथ ओझा, डाक बंगला रोड,
न्यू कालोनी बेतिया–845438 ।
बिहार दूरभाष : 2716।

30. डा॰ टी॰ जी॰ प्रभाशंकर "प्रेमी"
रीडर एवं पूर्व अध्यक्ष,
हिंदी विभाग,
बेंगलूरु विश्वविद्यालय,
बेंगलूरु–560056
दूरभाष : कार्यालय : 3550306/237
निवास : 350474 ।

31. प्रो॰ सच्चिदानंद शर्मा,
प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी–संस्कृत विभाग,
एस॰ के॰ आर॰ कालेज,
बारबीघा,
मुंगेर (बिहार)
दूरभाष : 27 ।

32. डा॰ इकबाल अहमद,
प्रोफेसर हिंदी विभाग,
कालीकट विश्वविद्यालय,
कालीकट–673635 (केरल) ।

33. प्रो॰ मुमताज अली खान,
एम॰ ए॰ बी॰ एल॰ हिंदी रत्न,
18–फर्स्ट सी॰ मेन रोड,
गंगे बहाली एक्सटेंशन,
बेंगलूरु–560032 ।
दूरभाष : 366186 ।

34. श्री बाल्मीकि चौधरी,
भूतपूर्व सांसद,
चांदमारी रोड,
पटना–20
दूरभाष : 353610 ।

35. श्री बी० आर० नारायण,
ग्राम काम्बीपुर
पोस्ट आफिस कुम्बलगुडू,
बेंगलूरु–560014
(कर्नाटक) ।
वर्तमान पता : 1815–1,
मेंन केनगेरी सेटेलाइट टाऊन,
बेंगलूरु–560060 ।

36. श्री बालकवि बैरागी
भूतपूर्व सांसद,
मनासा,
जिला मंदसौर,
मध्य प्रदेश
दूरभाष : 1819 ।

37. श्रीमती विजयी लक्ष्मी रामभट्ट,
एडवोकेट,
वसंत नगर,
बेंगलूरु ।

38. श्री जे० सी० भट्टाचार्य,
एडवोकेट
10, तेज बहादुर सप्रू मार्ग,
इलाहाबाद ।

39. श्री जफर अली नकवी,
भूतपूर्व मंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन,
10/2 डालीबाग
गन्ना संस्थान के सामने,
लखनऊ–226001 ।
दूरभाष : 235837 ।

40. डा० (श्रीमती) मसर्रत शाहिद,
32, नियामत पुरा,
शाहजहांनाबाद,
भोपाल ।

41. श्रीमती मनु हरि पाठक,
पत्रकार डी–1/47, रवीन्द्र नगर
नई दिल्ली–3 ।
दूरभाष : 693250 ।

42. श्री प्रमोद तिवारी,
भूतपूर्व विधायक,
2 एलगिन रोड,
इलाहाबाद ।
दूरभाष : 600421, 600422 ।

43. श्री मनोज कुमार,
फिल्म निर्माता/निर्देशक/अभिनेता,
नार्थ साउथ रोड,
जुहू पार्ले स्कीम,
बम्बई–400054 ।

44. श्रीमती वर्षा संघी,
सहायक प्रोफेसर,
अंग्रेजी विभाग,
जबलपुर विश्वविद्यालय,
1688, नेपियर,
जबलपुर–482001 (म० प्र०) ।

45. श्री प्रेमानन्द त्रिपाठी,
सचिव एव विशेष कार्य अधिकारी,
मंत्रिमंडल सचिवालय,
कमरा नं० 14,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली ।
(केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि) ।

46. श्री श्यामा कुमार अवस्थी "मयंक",
एडवोकेट,
94, जेल रोड,
पुलिस लाइन,
सीतापुर (उत्तर प्रदेश) ।

47. श्री बी० के० राव,
1–1–380/38,
अशोग नगर विस्तार,
हैदराबाद–500020 (आन्ध्र प्रदेश ।

48. श्री कुमरैया मुदीराज,
गोकुल नगर,
नादेड,
जिला नांदेड (महाराष्ट्र) ।

49. श्री सुनीत व्यास,
अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश नारिक संघ,
12/8, न्याय मार्ग,
इलाहाबाद ।

50. डा० गोपाल शर्मा,
भतपूर्व निदेशक,
केन्द्रीय हिंदी संस्थान,
सी–8/सी, एम० आई० जी० फ्लैट्स,
मायापुरी,
नई दिल्ली ।

2. समिति के कार्य :

यह समिति केन्द्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों के अनुसार रेल मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में सलाह देगी ।

3. कार्यकाल :

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः समिति के गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा बशर्ते कि :—

(क) संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे ।

(ख) जो संसद सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य होने की हैसियत से इस समिति के सदस्य हैं, वे संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे ।

(ग) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे ।

(घ) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान खाली होता है, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा ।

4. सामान्य :

(1) समिति अतिरिक्त सदस्यों को भी सहयोजित सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकती है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है अथवा उप समितियां नियुक्त कर सकती है ।

(2) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति की बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी की जा सकती हैं ।

5. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते :

गैर-सरकारी सदस्य समिति तथा इसकी उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा समय-समय पर निश्चित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे । समिति के अधिकृत काम और बैठकों आदि के विषय में उन्हें रेल यात्रा के लिए पहले दर्जे/वातानुकूल (दूसरे दर्जे) का रेलवे पास दिया जायेगा ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

मसीउज्जमां
सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं
भारत सरकार के पदेन अपर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 1993

संकल्प

सं० ई०—11015/3/90—हिन्दी—इस मंत्रालय के दिनांक 16 मई, 1989 के संकल्प संख्या ई०—11015/30/88—हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने का निर्णय किया है :—

सरकारी सदस्य

1. शहरी विकास मंत्री	अध्यक्ष
2. शहरी विकास राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. सचिव (शहरी विकास)	सदस्य
4. अपर सचिव (यू० डी०)	सदस्य
5. अपर (डब्ल्यू एच०)	सदस्य
6. सचिव (राजभाषा विभाग)	सदस्य
7. संयुक्त सचिव (निर्माण एवं प्रशासन)	सदस्य सचिव
8. संयुक्त सचिव (वित्त)	सदस्य
9. संयुक्त सचिव (शहरी विकास)	सदस्य
10. संयुक्त सचिव (आवास विकास)	सदस्य
11. निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सदस्य
12. निदेशक, मुद्रण निदेशालय	सदस्य
13. निदेशक, सम्पदा निदेशालय	सदस्य
14. निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	सदस्य
15. नियंत्रक, प्रकाशन विभाग	सदस्य
16. नियंत्रक, लेखन सामग्री कार्यालय	सदस्य
17. भूमि तथा विकास अधिकारी, भूमि तथा विकास कार्यालय	सदस्य
18. मुख्य नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	सदस्य
19. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	सदस्य
20. प्रबन्ध निदेशक, आवास तथा नगर विकास निगम लि०	सदस्य
21. अध्यक्ष, हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०	सदस्य
22. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
23. कार्यकारी सचिव, दिल्ली नगर कला आयोग	सदस्य

24. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड — सदस्य

25. मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन — सदस्य

26. निदेशक, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान — सदस्य

27. अध्यक्ष, राजघाट समाधि समिति — सदस्य

28. कार्यकारी निदेशक, भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिक संवर्धन परिषद — सदस्य

29. प्रबंधक निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ — सदस्य

गैर-सरकारी सदस्य

1. श्री एन० सुन्दर राजन, लोक सभा — सदस्य

2. श्री मोहन रावले, लोक सभा — सदस्य

3. श्री शारदा मोहन्ती, राज्य सभा — सदस्य

4. श्रीमति सत्या बहिन, — सदस्य

5. श्री जी० स्वामीनाथन, संसद सदस्य (राज्य सभा) — सदस्य

6. श्री परसराम भारद्वाज, संसद सदस्य (लोक सभा) — सदस्य

7. प्रो० रामलाल पारीख, अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ — सदस्य

8. श्री आर० एस० गुप्ता, (मुख्य इंजीनियर तथा सदस्य, परामर्शदात्री समिति) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स वाई–68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली — सदस्य

9. श्री मिश्री लाल जैन, ग्राम तथा पोस्ट आफिस–बछरावा, जिला–रायबरेली (उ० प्र०) — सदस्य

10. श्री के० एल० महेन्द्र, भूतपूर्व विधायक, लखनऊ (उ० प्र०) — सदस्य

11. डा० अरुण मेटी, चन्द्र नगर, आलम बाग, लखनऊ (उ० प्र०) — सदस्य

12. श्री एन कनका सभापति, एडवोकेट, मेन रोड–57, मेलाग्राम पोस्ट, नेनकाशी तालुक, तमिलनाडु–627818 — सदस्य

13. डा० शम्भुनाथ शाह, हिन्दी विभाग, कलकत्ता, यूनिवर्सिटी, कलकत्ता–700073 — सदस्य

14. श्री अब्दुल सलाम, मादया गारो स्ट्रीट, सालपेट, गुन्टूर–522003 — सदस्य

15. श्री राजेन्द्र ओझा, मु० पो० जालना, महाराष्ट्र — सदस्य

2. इस समिति का काम केन्द्रीय हिन्दी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए संबंध में निर्धारित नीति के कार्यान्वियन और शहरी विकास मंत्रालय तथा उसके विभागों और कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना होगा ।

3. समिति का कार्यकाल उसके गठित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष, होगा । संसद सदस्य, जो इस समिति के भी सदस्य हैं, संसद भंग होने पर या उनका कार्यकाल समाप्त होने पर या अन्यथा सदन के सदस्य न रहने पर, समिति के सदस्द नहीं रहेंगे ।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

5. गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिए जाएंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों संघ क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल कार्यालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

इन्द्रानी सन
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 20th February 1993

No. 9-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police.

Name and Rank of the Officers

Shri Dev Raj,
Inspector of Police,
P. S. Zira.

Shri Surinder Singh,
Inspector of Police,
P. S. Zira.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 8th September, 1991, on information that some terrorists were hiding in the farm house of one Karnail Singh. Shri Surinder Singh, SHO, P. S. Zira and other police personnel reached the spot. After making parties, they cordoned the farm house and started search.

At about 2.00 P.M. six extremists noticed the movement of police forces. They came out of the rooms and started firing with automatic weapons on the police parties from all sides. The police personnel immediately took positions and returned the fire. One of the extremists was firing heavily on Shri Dev Raj. On finding a chance, Shri Raj fired on the extremist with his service Revolver and killed him on the spot.

In the meanwhile, Inspector Surinder Singh and his party engaged three extremists who had taken positions in the water course. Inspector Surinder Singh found a chance and quickly fired from his ALR by raising himself above the level of the cover of the extremists and his party personnel also fired on the extremists as a result of heavy firing by police personnel, all three extremists were killed on the spot. The encounter lasted for more than four hours in which all the six extremists were killed who were later identified as (1) Iqbal Singh alias Bala; (2) Balkar Singh; (3) Sukhmender Singh alias Chhinda; (4) Saran Singh alias Samma; (5) Balwant Singh and (6) Jit Singh. The dead extremists were responsible for several major shot-outs, kidnapping and extortions. During search 3 AK-47 Rifles, one 7.62 bore SLR, one 12 bore gun, one .30 bore Revolver and large quantity of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Dev Raj, Inspector of Police and Surinder Singh, Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th September, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 10-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police.

Name and Rank of the Officers

Shri Rohit Chaudhary, IPS,
Assistant Superintendent of Police,
LUDHIANA.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 2nd September 1991 an information was received that some terrorists with sophisticated weapons, were roaming in a Maruti Car No. PCF-6591 in the area of Ludhiana City with the intention to commit crimes on the occasion of Janam Ashtami. Shri Rohit Chaudhary, Asstt. Supdt. of Police, Ludhiana City immediately organised Nakas at selected points and set out for checking all the naka parties, one by one. At about 5.30 P.M he saw the vehicle coming towards Chimni Road and he signalled the vehicle to stop but instead of doing so the youth sitting at the rear seat started firing on the police party. Shri Chaudhary alongwith police personnel returned the fire in self defence, as a result the youth sitting on the back was injured and they speeded up their vehicle. The police party immediately chased the extremists. While running, the extremists kept on firing on the chasing police party. Due to Janam-Ashtami there was heavy rush of traffic as a result of this, two civilians were killed and three injured with the firing by the terrorists.

On reaching near Palki Restaurant, Dholewal Chowk, the terrorists taking advantage of the situation left the car and snatched a scooter. In the meantime the police party also reached near them. The terrorist sitting at the rear seat of the Scooter immediately fired on the police party with assault rifle. Shri Chaudhary, showed presence of mind, fired back and as a result of this their scooter fell down. The terrorists jumped aside, left the scooter, took positions and started firing. The police party also took positions and returned the fire.

In the hail of bullets, Shri Chaudhary without caring for his personal safety took a bold decision and advanced in full view of the terrorists. He advanced further and firing from both sides continued. He commanded his men to take lying position and he himself also crawled. While advancing Shri Chaudhary fired with his assault rifle and killed the terrorist. Seeing this Inspector Gurjit Singh with his party advanced towards the second terrorist and liquidated him. The dead terrorists were later identified as Avtar Singh alias Tari and Punjab Singh. During search 3 Assault Rifles, 2 Mousers alongwith large quantity of live/empty cartridges were recovered from the dead terrorists.

In this encounter Shri Rohit Chaudhary, Asstt. Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 2nd September 1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 11-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police.

Name and Rank of the Officers

Shri Jasbir Singh Sandhu,
Superintendent of Police (Operations),
SANGRUR.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 2nd August 1991, Shri Prabjit Singh, Vet. Doctor posted at village Heerokalan, P. S. Bhikhi, Dist. Bhatinda, who is a brother of Shri P. S. Gill, SSP Majitha was kidnapped by four terrorists in a green coloured Maruti Car. This car was found abandoned in village Uppli, P. S. Kotwali, Sangrur at 8.00 A.M. on 3-8-1991.

Shri Jasbir Singh Sandhu, Supdt. of Police (Operations), Sangrur was deputed to enquire into the matter and to locate the terrorists and the kidnapped person, who were likely to be taking shelter in the nearby villages. Shri Sandhu alongwith his gunmen and police party from kotwali Sangrur started the search operation. The lead was established by winning over the confidence of villagers, who let the party first to village Namol, then the track was followed upto village Bhamma Baddi via Ubhewal and the party led by Shri Sandhu reached there at about 11.00 a.m.

Shri Sandhu started search of selected houses. It was learnt that four terrorists were taking shelter at a tubewell structure surrounded by high crops, outside the village. As Shri Sandhu approached the structure in his Gypsy after searching some houses in the village, the terrorists opened fire directly on the Gypsy and the bullets hit the head lights, damaged the radiator and one of the bullets piercing through the right mudguard struck his seat. Shri Sandhu and his party had a miraculous escape from this first attack. They jumped from the vehicle and took position on the ground, displayed dare-devil courage and fired three bursts at the group of the terrorists with his M. K. AK-47 rifle. As a result one of the terrorists fell down and died on the spot. Thus the impact of the terrorists attack was neutralised and the remaining three terrorists started running helter-skelter, in the paddy fields. While firing, Shri Sandhu, flashed the message on wireless about the attack of terrorists and their place of hiding. Simultaneously, he directed his men to fire effectively on the terrorists. As a result another terrorist was shot dead.

In the meantime police party of Kotwali reached the spot and firing was further concentrated under the command of Shri Sandhu. Thereafter, re-inforcement from District Police Headquarters also reached, the area was cordoned off and a systematic search of high crops and paddy field was carried out. Two dead bodies of terrorists was recovered, who were identified as Daya Deepak and Harbans Singh. The remaining two terrorists managed to escape under the cover of high crops.

In this encounter Shri Jasbir Singh Sandhu, Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 2nd August, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 12-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of the officer

Shri Sukhdial Singh Bhullar, IPS,
Senior Supdt. of Police,
SANGRUR.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 20th May 1991, one Suresh Kumar son of a Commission Agent was kidnapped by a group of terrorists and they demanded Rs. 5 lakhs for his release.

On 22nd May 1991, Shri Sukhdial Singh Bhullar, Senior Supdt. of Police, Sangrur received secret information that the terrorists would be coming to the school of village Gaggarpur to collect the ransom money from the Commission Agent. On this Shri Bhullar deputed SHO, Sangrur alongwith other police force in plain clothes around the school. At about 4.00 P.M. three terrorists armed with assault rifles came to the school in a jeep. On getting information about the approaching of the police, the terrorists fled away in the fields. They were chased by the plain clothed police party headed by Inspectors, CIA and Kotwali, Sangrur and encounter started. The terrorists then entered the Gurdwara which was under construction. Out of them two managed to take shelter in a nearby pacca house belonging to one Karnail Singh. The police party cordoned the house and they informed the SSP, Sangrur about this situation.

Shri Bhullar alongwith police personnel reached the spot and laid two cordons around the area. The cordon was further tightened with the help of Supdt. of Police (Headquarters) and Supdt. of Police (Operations), Sangrur. After this the inmates of the house were directed to come out. Shri Karnail Singh alongwith his family members and cattles came out.

Shri Bhullar with his party took position in front side of the house and Supdt. of Police (Operations) alongwith force took position on the roof of the residential portion of this "L" shaped house. Then the terrorists were challenged to surrender but they responded by firing from within the house. The firing continued for about half an hour. Thereafter tear gas shells were lobbed in the room where the terrorists were hiding. On this, one of the terrorists came out of the room and fired directly at Shri Bhullar. Shri Bhullar returned the fire with his automatic rifle, as a result of which the terrorist was hit with bullets and fell down. When he tried to get up, Shri Bhullar fired another burst killing him on the spot. However, the second terrorist shifted to other room. When the tear gas shells failed to flush him out, HE-36 hand grenades were lobbed into all the rooms of the house. The terrorist kept on changing rooms of the house. The terrorist kept on changing rooms and finally managed to enter the room meant for storing dry fodder. When grenade lobbing also failed in bringing out the terrorist, then a gunny bag soaked in petrol was put on fire and thrown in the room as a result of which dry fodder caught fire. Due to suffocation and heat, the terrorist came out and started firing at the police party. The Police party on the western side of the roof top returned the fire and killed the terrorist.

The third terrorist, who was hiding in another house in the village had engaged to escape in different direction. Shri Bhullar deputed "a raiding party to chase and arrest the terrorist. The terrorist was cordoned in the area of village Chathe at about mid-night. Thereafter an encounter took place in which this terrorist was also killed. All the three dead terrorists were later identified as Jasbir Singh, Karamjit Singh and Manjinder Singh. During search 2 AK-47 rifles, one mouser, 2 magazines of AK-47 and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounters.

In this encounter Shri Sukhdial Singh Bhullar, Senior Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

The award is made for gallantry under rule 4(1) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 20th May, 1991.

G .B. PRADHAN,
Director

No. 13-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police.

Name and rank of the officer

Shri Swaran Singh,
Head Constable,
Police Station Dharamkot.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 15th September, 1991, Inspector Nachhattar Singh, SHO P. S. Dharamkot alongwith Head Constable Swaran Singh and other police personnel were going to village Ram Garh for raids on the suspected hide outs of extremists. At about 3.45 P.M. they received information that some extremists were taking shelter in the Farm House of one Tara Singh of village Jhanda Bagian. Shri Nachhattar Singh immediately reached there and cordoned the farm house and ordered the extremists to surrender but the extremists started firing from the Northern side of the house. The police party also returned the fire and also passed wireless message to SSP, Ferozepur and Deputy Supdt. of Police, Zira for reinforcements.

Since the terrorists were in the entrenched positions their huge loss could not be done. Shri Nachhattar Singh and Head Constable Swaran Singh without caring for their personal safety, reached near the door from where the extremists were firing. They fired at the extremists in the room. After the exchange of fire for some time, firing

from the extremists side stopped. During search four extremists were found killed, who were identified as Gurmit Singh, Gurmej Singh, Surjit Singh and Balkar Singh. During search one AK-56 rifle, one AK-47 rifle, one .12 bore gun, one Revolver, 4 detonators, 5 packets of explosive material and large number of live/empty cartridges were recovered from these extremists.

The killed extremists were involved in the killing of about 30 policemen and their relatives in villages Haddanwali Kasuana, Kaler and Thammanwal in Districts Ferozepur and Faridkot. They also killed several innocent people in both these districts.

In this encounter Shri Swaran Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th September, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 14-Pres/93.—The President is pleased to award the Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police.

Name and rank of the officer

Shri Nachhattar Singh,
Inspector of Police,
SHO
Police Station Dharamkot.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 15th September, 1991, Inspector Nachhattar Singh, SHO P. S. Dharamkot alongwith Head Constable Swaran Singh and other police personnel were going to village Ram Garh for raids on the suspected hideouts of extremists. At about 3.45 P.M. they received information that some extremists were taking shelter in the farm house of one Tara Singh of village Jhanda Bagian. Shri Nachhatar Singh immediately reached there and cordoned the farm house and ordered the extremists to surrender but the extremists started firing from the Northern side of the house. The Police party also returned the fire and also passed wireless message to SSP, Ferozepur and Deputy Supdt. of Police, Zira for reinforcements.

Since the terrorists were in the entrenched positions their huge loss could not be done. Shri Nachhatar Singh and Head Constable Swaran Singh without caring for their personal safety, reached near the door from where the extremists were firing. They fired at the extremists in the room. After the exchange of fire for some time, firing from the extremists side stopped. During search four extremists were found killed, who were identified as Gurmit Singh, Gurmej Singh, Surjit Singh and Balkar Singh. During search one AK-56 rifle, one AK-47 rifle, one .12 bore gun, one Revolver, 4 detonators, 5 packets of exposive material and large number of live/empty cartridges were recovered from these extremists.

The killed extremists were involved in the killing of about 30 policemen and their relatives in villages Haddanwali Kasuana, Kaler and Thammanwal in Districts Ferozepur and Faridkot. They also killed several innocent people in both these districts.

In this encounter Shri Nachhattar Singh, Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th September, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 15/Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :—

Name and rank of the officer

Sri Hara Kanta Deka,
Sub-Inspector of Police,
Khamrup, Guwahati.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 31st March 1992 at about 8.45 P.M. Shri Hara Kanta Deka received message from police control room, Guwahati that one girl of Nandique Girls College, Guwahati was forcibly taken away in a maruti Gypsy.

Shri Deka, Officer-in-Charge, Police Station, Khetri immediately got ready and set out to recover the kidnapped girl. At about 9.00 P.M. they received signal from Jorhat P. S. that in a blue colour Maruti Gypsy, some persons wearing Khaki clothes have been taking a girl and proceeding towards Jagirpad side in high speed and they jumped police signal. Shri Deka immediately went out to Khetri Check Gate with eight police personnel to intercept the vehicle and recover the kidnapped girl. They blocked the road left a very narrow space. At about 9.15 P.M., they noticed the Maruti Gypsy approaching and the road was blocked with trucks coming from Jorhat side. The Gypsy stopped and the girl sitting the vehicle cried for help. Shri Deka immediately with his party rushed towards the vehicle and saw four persons wearing Nagaland Police Uniform. Shri Deka without losing time, dragged out the girl from the Gypsy. On this one of the culprits sitting in the back side opened indiscriminate fire and one of the bullets hit Sub-Inspector Deka on his left foot. The police party returned the fire in self defence. One of the culprits who was sitting in front of the vehicle wearing dress similar to an Inspector of Police also attempted to fire on the police party but before he could do so Shri Deka in utter dis-regard to his personal safety snatched his revolver. In the meantime many vehicles including night duper deluxe buses reached the place of encounter from Jorahat side. In the midst of passengers and under the cover of darkness, the culprits managed to escape. Subsequently, a maid servant of the kidnapped girl was also rescued from the vehicle. She was also kidnapped along with her mistress. She was kept in the vehicle and sustained bullet injuries on her shoulder in the encounters. In this way, Shri Deka spared no pains and acted even at the risk of his own life and rescued the abducted persons.

In this encounter Shri Hara Kanta Deka, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 31st March, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 16-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Himachal Pradesh Police.

Name and rank of the officer

Shri Pawan Kumar,
Constable,
Dharamshala.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 2nd August, 1990, Shri Pawan Kumar, Constable alongwith other police personnel was on duty at Kandwal barrier for checking the buses. At about 1.50 P.M. a Pathankot depot HRTC bus No. HIK-3085 enroute to Garhjamula in Palampur Dist. Kangra reached the barrier. Shri Pawan Kumar immediately requested the standing

apassengers to get down to carry out a thorough search of the bus. While searching the bus, Shri Pawan Kumar found a plastic bag lying under seat Nos. 45 & 46 which was claimed by none of the passengers. Shri Kumar getting suspicious about the contents of the bag cautiously but courageously removed it. He found that it was a time bomb as a wrist watch with wires connected to a detonator embedded in explosives contained in a one kg. tin. Had this bomb exploded it would have caused great damage and many lives would have been lost in the crowded bus. Shri Kumar immediately requested the remaining sitting passengers to get down. The area around the bus was cleared and cordoned off. In view of the crowded residential area, it was felt that an explosion would cause more disaster. Therefore, the bus was taken to an isolated spot. Shri Kumar exhibited remarkable courage, went into the bus, picked up the device and removed one of the wires thus breaking the electric circuit and rendering the bomb harmless. The act was widely acclaimed by one and all.

In this encounter Shri Pawan Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 2nd August, 1990.

G. B. PRADHAN,
Director

No .17-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police.

Name and rank of the officer

Shri Vijay Shankar Dwivedi,
Sub-Inspector of Police,
District Morena.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 5th April 1991, during routine patrolling of his area, Shri Vijay Shankar Dwivedi, SHO, P. S. Sihoniya got information that dreaded dacoit Shivnath Singh alongwith his 5-6 associates was taking shelter in the ravines of Mai and Rauriya villages and was planning to commit murder and kidnapping in the nearby villages. Shri Dwivedi immediately mustered the available force from the Police Station at Village Bholaram-ka-Pura and divided the force into two parties. Shri Dwivedi deployed one ASI alongwith 1 Head Constable and 2 Constables on the north side and he himself took position on the West alongwith two Constables. These were the two possible escape routes of dacoits. The dacoits somehow got wind of the presence of police and tried to escape from the northern side. The Assistant Sub-Inspector challanged the dacoits to surrender but they fired at the police. The Police party returned the fire in self defence. Later the gang tried to escape through the western side, where Shri Dwivedi had laid ambush, Shri Dwivedi Challanged the dacoits to surrender byt they opened fire on the police party. The police returned the fire in self defence. The dacoits kept on firing on the police party. In the exchange of fire Shri Dwivedi sustained a gun-shot injury on his left hand. Inspite of gun-shot injury, he without caring for his personal safety continued firing on the dacoits. As a result he shot down the gang leader dacoit Shivnath Singh Bhadoria. The other dacoits continued firing and again tried to escape from the northern route, where the other party confronted them and fired heavily on the dacoits resulting in the death of a gang member, Mukesh. However, the remaining dacoits managed to escape by taking advantage of the ravines of river Asan. On search one .12 bore gun alongwith 12 live cartridges and one .315 bore country-made gun alongwith four live cartridges were recovered from the dacoits. The gang leader dacoit Shivnath Singh Bhadoria was carrying a reward of Rs. 3,000/- on his head.

In this encounter Shri Vijay Shankar Dwivedi, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 5th April 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 18-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :

Name and rank of the officers

Shri A. G. Kadam,
Asstt. Commissioner of Police,
North Region,
Bombay.

Shri B. S. Deshmukh,
Sub-Inspector of Police,
P. S. Dahisar,
Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 24-1-1991 at about 1930 hours, the officers and men of the Special Squad (formed to collected intelligence and arrest the criminal) spotted terrorist Baldev Singh entering the building, they immed ately surrounded him and asked him to surrender. The terrorists responded with a hail of bullets from automatic weapons. The police personnel returned the fire with caution so that the innocent persons may not be hurt, as this was a thickly populated area. Inspector M.A. Qavi and Sub-Inspector B. S. Deshmukh crawled within 15 metres of the building from which fire was coming on the police party. The deflated the tyres of the terrorist's car, to prevent possibility of their escaping. The firing continued from 2100 hours on 24-1-1991 to 0400 hours on 25-1-1991. Thereafter, firing from the extremists side stopped. During search three dead bodies of extremists were recovered. Large quantity of arms and ammunition was also recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri A. G. Kadam, Asstt. Commissioner of Police and B. S. Deshmukh, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 24th January, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 19-Pres/93.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :

Name and rank of the officers

Shri P. L. D'Souza,
Sub-Inspector of Police,
P.S. D. N. Nagar, Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 24-1-1991 at about 1930 hours, the officers and men of the Special Squad (formed to collect intelligence and arrest the criminal) spotted terrorist Baldev Singh entering the building, they immediately surrounded him and asked him to surrender. The terrorists responded with a hail

of bullets from automatic weapons. The police personnel returned the fire with a caution so that the innocent persons may not be hurt, as this was a thickly populated area. Inspector M.A. Qavi and Sub-Inspector B. S. Deshmukh crawled within 15 metres of the building from which fire was coming on the police party. The deflated the tyres of the terrorist's car, to prevent possibility of their escaping. The firing continued from 2100 hours on 24-1-1991 to 0400 hours on 25-1-1991. Thereafter, firing from the extremists side stopped. During search three dead bodies of extremists were recovered. Large quantity of arms and ammunition was also recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri P. L. D'Souza, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries *with it the special allowance admissible under rule* 5, with effect from 24th January, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 20-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Police :—

Name and rank of the officers

Shri N. Shyamananda Singh,
Supdt. of Police,
Imphal.

Shri Ngangom Budha Singh,
Constable,
Imphal.

Shri Longjam Babu Singh,
Constable,
Imphal.

Shri Modh. Alimuddin,
Constable,
Imphal.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On receipt of information on 18th May 1992, at about 10.10 A.M., that three armed miscreants suspected to be the extremists, shot at Father Sebastian, Head Master of Don Bosco School, Chingmejrong, at the school gate and escaped in a blue motor cycle towards Khurai. Shri N. Shyamananda Singh, S.P. Imphal, immediately set out to nab the culprits in the police jeep with his escort comprising of Constable L. Babu Singh, Constable Mohd. Alimuddin and Constable (Driver) Ng. Budha Singh. When the S.P. and his party reached the western side of a bridge over Kongba river they spotted one blue motor cycle with three suspected persons, speeding towards the east on the Tinsid Road. Getting suspicious of their movements, the S.P. directed the driver Constable Ng. Budha Singh to chase the motor cycle. The jeep then gaining speed came nearer to the motor cycle. The S.P. started signalling and shouting to the suspected persons to stop. Without paying any head to the warning, the motorists continued accelerating the speed of the motor cycle.

In order to terrorise and stop the police party from their advance, the extremist sitting at the rear of the motor cycle suddenly turned back and opened fire, hitting the wind screen of the jeep shattering into pieces, thereby reducing visibility. Constable Driver Ng. Budha Singh, with excellent presence of mind and courage continued to drive the vehicle and removed broken pieces of glass with his left fist for clearing the field of fire. Shri Singh, S.P. by exposing himself from the jeep, returned the fire. Observing the determination of Shri Singh, the extremists hurled one hand grenade towards the police jeep which exploded right in front of the speeding jeep. Within seconds of the explosion, the fleeing extremists stopped the *motor cycle and under the cover of fire jumped into the* nullah south of the road and continued firing. Undeterred and with utter disregard of the safety, Shri Singh, S.P. alongwith Constable L. Babu Singh and Constable Mohd. Alimuddin jumped out from the jeep and returned the fire, resulting in a fierce encounter, between the police party and the extremists at a very close range. One of the extremists tried to hurl a grenade towards Shri S. N. Singh. Inspite of the impending danger, Shri Singh continued to fire at the extremists holding the hand grenade and killed him on the spot. In the meantime, the two remaining persons continued firing the police party. Constable L. Babu Singh and Mohd. Alimuddin with dogged determination, *made a frontal attack and fired upon the extremists,* which compelled one of the extremists withdrawing himself from the spot and running away, while the other one was killed by Constable Mohd. Alimuddin. On seeing the fleeing extremist, Constable L. Babu Singh gave a hot chase even though the extremist continued firing. Constable L. Babu Singh returned the fire and managed to shoot the fleeing extremist on the back as result of which he fell down. Constable L. Babu Singh at great risk to his life jumped and overpowered him. He immediately disarmed the extremist and arrested him. The police party recovered the following arms, ammunition and articles from the extremists:—

(1) One M-20 Pistol with 7 rounds of ammunition.
(2) One .38 Revolver with 13 rounds of ammunition.
(3) One 36-HE grenade.
(4) One Chinese made hand grenade.
(5) One Yamaha Motor Cycle bearing No. 396.
(6) Incriminating documents of RPF/PLA.

On interrogation the arrested person revealed himself as Kshetrimayum Inaocha Singh, a hardcore PLA activist, while the two killed associates were identified as Laishram Sunil Singh alias Kesho and Shyam Singh, hardcore PLA activists.

In this encounter S/Shri N. Shyamanda Singh, Supdt. of Police, Ngangom Budha Singh, Longjam Babu Singh and Mohd. Alimuddin, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with the special allowance admissible under rule 5, with effect from 18th May 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 21-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Police :—

Name and rank of the officers

Shi N. Shyamjai Singh,
Sub-Inspector of Police,
Manipur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 22nd July 1991, around 12.30 P.M. Shri Oinam Tomba Singh, Driver of Moreh bound Bus No. MNP-9981, reported that 4 armed passengers, hijacked the Bus, looted all the cash and valuables of the Driver and the passengers at the gun point with the help of other 5 armed youths wearing Olive green uniforms, on an unused road, 1/2 km. away from the main road.

Shri N. Shyamjai Singh, OC Tengnoupal P.S., registered a case FIR No. 9(7)91 TPL u/s 395/397 IPC and *25(1)(a) Arms Act, and immediately rushed to the place* of occurrence with his police party. On reaching the spot, Shri Singh learnt that the gangsters after looting the bus had left towards village Savicm. about 3½ kms. away from the place of occurrence. On reaching the outskirts of village Savicm, the police party, started surrounding the village tactically and cautiously without letting anyone feel

of their presence. When Shri Singh alongwith some armed constables came very close to a pucca wall of the school building, he heard human sounds from inside, which was under lock and key from outside and saw one armed youth wearing O.G. uniform, standng near the window of the school. When Shri Singh came closer to the scene, they found, the person standing outside with the gun and another 6 persons were found inside the building holding gun and counting money. When Shri Singh tried to catch the man standing outside, one of the miscreants from inside suddenly fired upon him and he got serious bullet injury on his left hand. Shri Singh instructed his men to cordon the building and also asked the miscreants inside to surrender. The miscreants, in place of surrendering, started firing on the police party and tried to escape through the window. The miscreants also threw grenade towards the police party but none of them received any injury. During the fieree encounter, Shri Singh, inspite of his serious bullet injury with the help of his party controlled the gang, by killing 2 of the gang members and arresting 3 of them. One of them managed to escape. These miscreants were later on identified as members of the Kuki Security Force, one of the armed underground extremists group operating in Manipur. A large amount of illegal arms and ammunition cash worth Rs. 21,453/- and some valuable documents were recovered from them.

In this encounter Shri N. Shyamjai Singh, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22nd July, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 22-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Vijay Kumar,
Assistant Superintendent of Police,
Nainital.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Vijay Kumar, Asst. S.P. and C.O. Kashipur was carrying out combing operations to flush out terrorists hiding in the forest area of South Jasnur Range. On 16th January 1992 at about 1400 hours while combing the forest area, deep within the forest they saw two persons trying to conceal themselves behind the bushes. Shri Vijay Kumar having noticed the furtive movements of these persons challanged them to come out and disclose their identity but instead the terrorists shouted "Khalistan Zindabad" and opened fire on the police party with automatic weapons. Realising confrontation with the armed terrorists, Shri Kumar and his men took position behind the trees and returned the fire. The terrorists brought indiscriminate fire on the police party and kept them pinned down. Sensing the gravity of the situation, Shri Kumar divided his force into two groups. One group under Shri Kumar crawled towards the terrorists' position, the other group provided cover fire. Soon Shri Kumar and his men reached close to the hiding terrorists and opened a heavy barrage of fire upon them. In the encounter one terrorist was killed by the accurate fire of Shri Kumar. Seeing one of their associates being killed by Shri Kumar, the other terrorist took advantage of the dense forest and fled away. Later the dead terrorist was identified as Wasan Sing @ Zaffarwal, a hardcore terrorist who had unleased a reign of terror in the area. One AK-47 rifle with magazine, one revolver .38 bore and other ammunition was recovered from the spot.

In this encounter Shri Vijay Kumar, Asstt. Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 16th January 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 23-Pres/93.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of the Delhi Police.

Name and Rank of the Officer

Shri Shri Kishan
Head Constable,
Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

At about 10.00 hours on 31st July 1992 while Shri Kishan, Head Constable alongwith two other Constables was petrolling in the area of Nangloi P.S. in the Nihal Vihar area long the Ganda Nala, a white Maruti Van, bearing registration No. DL-3C-B-7112 with four occupants overtook the PCR Van. Shri Kishan suspecting wrong, chased the van and intercepted the van near Fire Brigade office in village Nangloi Sayyed. Shri Kishan and another Constable got of their vehicle and proceeded to check the van and as the police party asked the occupants of the van to disclose their identity, the driver of the van identified as Vijay Pal Singh Happy fired two shots at the police constable, who luckily ducked, but the next few bullets aimed at Shri Kishan hit him in his stomach and his left arm. The Maruti Van sped away. Seeing the Maruti speeding away, Shri Kishan picked up his courage and determined to catch the Militants, took the drivers seat and followed the militants, but halfway through Shri Kishan became too weak to drive due to excessive bleeding. At this juncture, the driver Constable took the wheel. The PCR went in hot pursuit of the Maruti Van. Firing from the van continued. The police party returned the fire. Seeing the police party in hot chase and also the firing the driver of the Maruti got panicky and lost control of the vehicle and dashed against a shop in Guru Nanak Nagar and stopped. As soon as the van stopped, the three policemen including Shri Kishan eventhough very weak pounced on the occupants of the Maruti Van and arrested them on the spot and recovered one Chinese Pistol .9 mm (semi-automatic) with 8 live cartridges. Shri Kishan was shifted to Deen Dayal Upadhayay Hospital for treatment Vijay Pal Singh one of the arrested persons was a hard-core terrorist having links with terrorises in Delhi and Punjab and was involved in many cases of robberies.

In this encounter Shri Kishan Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from 31st July 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 24-Pres/93.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the under-mentioned Officer of the Delhi Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Shayam Singh,
Constable,
Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 6th April, 1992 at about 2.05 p.m. an anonymous call was received at Police Control Room indicating the presence of a person in suspicious circumstances in Kailash colony Park. Immediately on receipt of the information, a PCR van reached the spot and apprehended the person and brought him to Greater Kailash P.S. where he was searched and one AK-47 rifle, one loaded magazine, live cartridges and a cyanide capsule were recovered from his possession. On further interrogation, it was gathered that the park was to be a rendezvous point for him to meet his associates. On the above information Constables Virender Singh, Satyender Kumar and Shyam Singh armed with revolvers reached the spot in plain clothes to keep a watch on the park. The three Constables while surveying the park found three suspicious looking youngesters, who were approaching towards a black motorcycle (Rajdoot) No. DIX 3925 parked towards the western side of the park near Kailash Colony market and where about to drive away when Shri Satyender Kumar took off the ignition key from the motorcycle. Seeing this, one of the desperadoes hit his head against the jaw of Constable Satyender and opened fire but as the Constable ducked the bullet hit one of the passerby in his back. Immediately the three desperadoes took to their heels, with the Constables in hot chase. Two terrorists who were later identified as Harbhajan Singh of Lajpat Nagar Delhi and Rajwinder Singh @ Raja of Gobindpuri Delhi entered the backyard of House No. F-15 Kailash Colony. Constable Virender Singh and Satyender Kumar eventhough aware of the fact that the terrorists were armed, picked up great courage and even at the risk of their own lives, approached the backyard of the house where the terrorists were holed up, opened fire and killed both the desperadoes on the spot and recovered one .38 revolver from Rajwinder Singh. In the meantime Constable Shyam Singh who was after the third criminal went in hot chase without caring for his personal life and at last after a long chase reached him and after grappling succeeded in apprehending him and recovered one knife from his possession. The apprehended criminal was identified as Amrit Pal @ Pappu of Sant Nagar, Delhi. The brave act of the three Constables resulted in the liquidation of three terrorists.

In this encounter Shri Shyam Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from 6th April, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 25-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Virender Singh,
Constable,
Delhi Police.

Shri Satyender Kumar,
Constable,
Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 6th April, 1992 at about 2.05 p.m. an anonymous call was received at Police Control Room indicating the presence of a person in suspicious circumstances in Kailash colony Park. Immediately on receipt of the information a PCR van reached the spot and apprehended the person and brought him to Greater Kailash P. S. where he was searched and one AK-47 rifle, one loaded magazine live cartridges and a cyanide capsule were recovered from his possession. On further interrogation, it was gathered that the park was to be a rendezvous point for him to meet his associates. On the above information Constables Virender Singh, Satyender Kumar and Shyam Singh, armed with revolvers reached the spot in plain clothes to keep a watch on the park. The three Constables while surveying the park found three suspicious looking youngesters, who were approaching towards a black motorcycle (Rajdoot) No. DIX 3925 parked towards the western side of the park near kailash Colony market and where about to drive away when Shri Satyender Kumar took off the ignition key from the motorcycle. Seeing this, one of the desperadoes hit his head against the jaw of Constable Satyender and opened fire, but as the Constable ducked, the bullet hit one of the passerby in his back. Immediately the three desperadoes took to their heels, with the Constables in hot chase. Two terrorists who were later identified as Harbhajan Singh of Lajpat Nagar, Delhi and Rajwinder Singh @ Raja of Gobindpuri, Delhi entered the backyard of House No. F-15, Kailash Colony. Constable Virender Singh and Satyender Kumar eventhough aware of the fact that the terrorists were armed, picked up great courage and even at the risk of their own lives, approached the backyard of the house where the terrorists were holed up, opened fire and killed both the desperadoes on the spot and recovered one .38 revolver from Rajwinder Singh. In the meantime Constable Shyam Singh who was after the third criminal went in hot chase without caring for his personal life and at last after a long chase reached him and after grappling succeeded in apprehending him and recovered one knife from his possession. The apprehended criminal was identified as Amrit Pal @ Pappu of Sant Nagar, Delhi. The brave act of the three Constables resulted in the liquidation of three terrorists.

In this encounter S/Shri Virender Singh and Satyender Kumar, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 6th April, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 26-Pres/93.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of the Central Industrial Security Force.

Name and Rank of Officer

Shri Moti Lal (Posthumous)
Constable, 3rd Reserve Battalion,
Phillai, CISF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 9th November, 1991, an information was received that some terrorists had taken shelter in the residential colony of NHPC, Uri. A search operation was conducted by CISF contingent of 3rd Reserve Battalion. They apprehended two terrorists alongwith one AK-56, three filled magazines and two grenades.

Anticipating retaliatory action by the terrorists, all the personnel of the battalion were put on full alert. On 10th November, 1991, as anticipated, at about 0700 hours the terrorists attacked the CISF barracks. Constable Moti Lal took his allotted cover and returned the fire alongwith other personnel. The terrorists, in large numbers, while firing with automatic weapons advanced towards the barracks from three sides to get their captured members released and inflict casualities on CISF personnel in revenge. Constable Moti Lal was the first to react and returned the fire and encouraged the his colleagues to fight the terrorists bravely. When the firing was going-on the captured militants tried to escape. This was noticed by Constable Moti Lal. He immediately reacted, left his hide-out and came out in the open to prevent fleeing militants to escape without caring for his personal safety. Shri Moti Lal and CISF personnel fired on the militants who were trying to escape and shot both of them dead. In the meantime, other militants noticed this and they directed their fire on Constable Moti Lal. In the process he received bullet injury, which later proved fatal. In this way, Constable Moti Lal fought with the militants with great courage and dedication and laid down his life.

In this encounter (Late) Shri Moti Lal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from 9th November, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 27-Pers/93.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force.

Name and Rank of the Officer

Shri K. S. Fonia,
Assistant Commandant.
98 Battalion,
Border Security Force.

Shri S. C. Gund,
Lance Naik,
98 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 19th October, 1990 at about 1240 hours a combined Border Security Force and Police Party left for search operation in 3 different vehicles to village Bazachak, Johar. Khunda and Bhumbli. At about 1510 hours when the party reached near village Bhumbli on Khuda-Bhumbli Road, a bomb explosion took place in front of the middle vehicle. Explosion was followed by bursts of fire from automatic rifles on the convoy from nearby sugar-cane fields. The explosion did not cause any damage. The party immediately took position and returned the fire. By that time the terrorists had taken to their heels and ran towards the fields.

The raiding party started chasing the fleeing terrorists and simultaneously informed the Headquarter of 98 Battalion BSF at Dhariwal about the incident. Shri K. S. Foria, Asstt. Commandant immediately rushed to the site with re-inforcements. This party joined the party chasing the terrorists, reached village Lodhipur and thereafter systamatic and tactical search was conducted in the adjoining sugarcane and paddy fields.

The fields were cordoned by the BSF party and Shri K. S. Fonia was detailed to seach the paddy fields. As he advanced in the paddy fields, heavy volume of fire came on him and his party. The party immediately took position and returned the fire.

During search Lance Naik S. C. Gund noticed barrel of a rifle protruding out of a heap of paddy straw lying near a farm house. Shri Gund reacted swiftly and at a great risk of his life caught the muzzle of riffe in a lightening action. He found one terrorist holding a rifle in a firing position but before he could fire Shri Gund snatched the rifle and overpowered the terrorist. The terrorist was injured.

In the meantime, intermittant firing continued for about 30 minutes between terrorists and party headed by K. S. Fonia. Thereafter, there was little pause, then Shri Fonia and party again advanced. Heavy volume of fire came on the party from a very close range. Once again they took position then it was decided to throw handgrenades on the terrorists. Shri Fonia threw hand grenade, on which the terrorists stopped firing. Once again he advanced in the paddy fields and noticed one terrorist holding an AK-47 rifle hiding there. But before the terrorist could fire at Shri Fonia, he fired at the terrorist with his pistol and killed him on the spot. The arrested injured terrorist later died on way to P. S. Dhariwal. In the encounter in all 3 terrorists were killed, who were later identified as Jasbir Singh alias Baba Bullet, Hardyal Singh and Lakhwinder Singh alias Sital Singh. During search 1 AK-47 rifle, one .303 rifle, one Double Barrel Gun and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri K. S. Fonia, Assistant Commandant and S. C. Gund, Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 19th October, 1990.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 28-Pers/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force.

Name and Rank of the Officers

Shri Sunil Mohan,
Sub-Inspector,
76 Battalion,
Border Security Force.

Shri Nar Singh,
Head Constable,
76 Battalion.
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 15th March 1991 at about 2300 hours a Special Patrol Party led by Sub-Inspector Sunil Mohan proceeded to carry out raid on suspected hideouts of militants in village Poswari. At about 4.30 hours next morning i.e. 16th March, 1991, the party while returning to Battalion Headquarter, when reached infront of the mosque of village Poshwari, some militants hiding inside the mosque sprayed bullets with sophisticated weapons on the party. Sub-Inspector Sunil Mohan quickly assessed the situation and returned the fire in the direction from where the fire was coming and swiftly took position behind the trees. Simultaneously, other members of the party cordoned the mosque and blocked all possible escape routes. Intermittent fire continued between extremists and patrol party upto 6.30 hours. When fire by militants was intensified, Sub-Inspector Sunil Mohan and Head Constable Nar Singh in utter disregard to their personal safety charged on the four extremists who were firing from behind the gate of the mosque and in the process shot dead all the four extremists hiding near the gate of the mosque. Meanwhile, extremists threw grenades from upper storey of the mosque and other militants kept on indiscriminate firing on the BSF party. On receipt of information Commandant of this Unit rushed to the spot with reinforcement and reached the place of occurrence when the exchange of fire was still continuing. The firing from militants side, stopped at about 8.30 hours. Thereafter, the mosque was searched by BSF party alongwith locals and recovered dead bodies of 7 militants, one inside the mosque and six outside in the court-yard and in front of the gate. The dead militants were later identified as Mohd. Mustaq Bhatt, Faze Ahmed Malik, Mohd Ayub Bhat, Gulam Mohinudden Hanguri, Bashir Ahmad, Ayaz Ahmd. Lone and Shokeb Ahmed Wani. During search 4 AK-56 rifles, 1 sub Machine Gun, 6 Hand-Grenades, 10 Detonators and large quantity of cartridges and explosive material was recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Sunil Mohan Sub Inspector and Nar Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th March 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 20-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force.

Names and rank of the Officers

Shri Pritam Singh Mann,
Subedar, 57 Battalion,
Border Security Force.

Shri Mehar Singh,
Head Constable, 57 Battalion,
Border Security Force.

Shri Bajrang Singh,
Head Constable, 57 Battalion,
Border Security Force.

Shri K. K. Pathak,
Head Constable, 57 Battalion,
Border Security Force.

Shri Shyam Singh,
Constable, 57 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 27th November 1990 at about 0700 hours at Tent Post, Chandigarh under Kamalpur Border Out Post, one Head Constable and one Constable of 57 Battalion, Border Security Force were waiting near OP Tower for OP party to relieve them. The naka area was covered with thick fog at that time and at about 0710 hours, the Head Constable on served shadow of 3 persons with some load on their back, entering into the thick sarkanda growth located about 36 yards behind naka line. He immediately gave an alarm and on hearing this the other naka personnel including the Coy Cdr. immediately reached and cordoned off the area. The Company Commander informed about the incident to Battalion Headquarter and thereafter called for additional troops from the nighbouring companies situated at Kamalpur and Kassowal.

The Company Commander first fired a burst of LMG towards the area, the intruders had escaped. Since there was no response, he fired illumination bombs followed by 3 HE bombs, but there was no response. He then took a party with him on the eastern side to launch an assault in the area. After proceeding about 100 yards the party came across a big khud which was not safe to negotiate, he changed his plan and proceeded from western side. Subsequently, the Company Commander with the help of Subedar P. S. Mann formed two groups for assaulting in extended formation for launching frontal attack. The assault party threw five grenades in the sarkanda growth but there was no response.

After proceeding for about 50 yards, the party reached to the khud. The Company Commander stopped his party. But the assault group consisting Subedar P. S. Mann, Head Constable Bajrang Singh, K. K. Pathak, Mehar Singh and Constable Shyam Singh decided to proceed straight by firing. Suddenly a burst of fire came from opposite side. The Party stormed up the speed and charged towards the spot from where the fire came.

In the meantime, they saw 3 armed intruders, who were firing with automatic weapons towards the assault party. In the process Head Constable Mehar Singh sustained bullet injuries in his right arm over elbow. In spite of serious injuries and profusely bleeding, he with undaunted courage and dogged determination fired on the intruders and killed one of them.

Then Constable Shyam Singh and Head Constable Pathak spotted two intruders firing towards the assault party. Constable Shyam Singh without caring for his personal safety charged towards the intruders but due to indiscriminate firing by them, he sustained bullet injury on his right ankle. Though profusely bleeding, he killed one of them with his SLR.

In the meantime, Subedar P. S. Mann assessed the situation without wasting time, he alongwith Head Constables Bajrang Singh and K. K. Pathak jumped into the ditch and motivated others for a quick raid. One of the extremists on seeing Shri Mann in close proximity got panicky and fired aimlessly. Taking advantage of the situation, in a split of second, Shri Mann fired on the militant and killed him on the spot. In the meantime, Shri Bajrang Singh, in spite of heavy firing by the militants, charged on one of the militants, and killed him on the spot with his carbine.

After jumping in the ditch, Head Constable K. K. Pathak without caring for his personal safety with lightening dashed was one of the militants, who was firing on the assault party. On seeing this, the exremist again fired at Shri Pathak, but he swiftly retaliated, fired a burst with his carbine and killed him on the spot. During search, five dead bodies of the militants alongwith large quantity of arms/ammunition, explosives and currency notes alongwith a good deal of documents carrying high intelligence value were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Pritam Singh Mann, Subedar, Mehar Singh, Bajrang Singh, K. K. Pathak, Head Constables and Shyam Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27th November, 1990.

G. B. PRADHAN
Director

No. 30-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force.

Name and Rank of the Officer

Shri Bidhi Chand,
Sub-Inspector, 151 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 25th June 1991, Specific information was received at Police Station Malerkotla about the hiding of two armed extremists in a farm in village Bunga on Malerkotla Marg Road. Immediately ASP Malerkotla directed the police party and Border Security Force Party headed by Sub-Inspector Bidhi Chand of 151 Battalion, Border Security Force to assemble in PWD Rest House, Malerkotla. He briefed the police/BSF personnel. They reached village Bunga and cordoned the farm house. Three parties were formed, one headed by ASP, Malerkotla took position on the roof top of adjoining house, another headed by SI Bidhi Chand took position in front side and the third group of BSF personnel took position at the rear of the rooms of the farm house. After this ASP challanged the terrorists and inmates to surrender. On this, the family of the owner of the farm house came out but the terrorists entrenched in the rooms started heavy firing on the police parties with automatic weapons. The police parties returned the fire. In the meantime, SSP, Sangrur reached the spot and took command of the operation and directed the terrorists on loud-speaker to surrender but they continued firing on the police personnel. After sometime a police party reached the roof top of the farm-house and lobbed tear gas shells/HE36 grenades by making holes in the roof of the house. On this, the house-hold

goods caught fire and one of the terrorists came out and started firing on the BSF party headed by Shri Chand. Shri Bidhi Chand, who was in the front side of the farmhouse, without caring for his life exposed himself fully to the terrorists fire and with determination fired with his sten-gun on the terrorist, who was firing on the BSF party. As a result the terrorist was killed on the spot. They exchange of fire continued for 4 hours. Thereafter, firing from the terrorists side stopped. During search one dead body of the extremist was found in the compound of the farmhouse and another dead body was found burried in the debris of fallen roof. Some sophisticated weapons, ammunition and a scooter was recovered from the rooms of the farmhouse. The killed terrorists were identified as Jagrup Singh and Jagjit Singh, who were involved in the numerous attack on Shri D. S. Mangat, DGP, Punjab, Shri O.P. Malhotra, former Governor of Punjab in Ludhiana, Shri Subodh Kant Sahey, Former Minister of State in the Ministry of Home Affairs and were also responsible for killing of innocent persons.

In this encounter Shri Bidhi Chand, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 25th June 1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 31-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force.

Name and Rank of the Officers

Shri S. K. Seth,
Commandant, 142 Battalion,
Border Security Force.

Shri Prem Singh,
Subedar, 142 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 10th October 1991, an information was received that militants of Hizbul Mujahudin group were holding a meeting, village Maniwij. Shri Surinder Kumar Seth, Commandant, 142 Battalion, Border Security Force planned an operation to apprehend the militants. Three separate parties were formed, the first party to block the exit routes on the Ratnipora-Rishipora, the second party was to block the exit routes from village Galbug and the third party was to advance from village Kakapura to reach the hideout of the militants. After the exit routes were plugged by the two parties, the party under the command of Subedar Prem Singh advanced from village Kakapura. At the same time, Shri Seth led his Commando Platoon into village Maniwij from Ratnipora. While he was advancing near village Maniwij, they were fired upon by the militants, who were trying to escape from Maniwij towards Ratnipora. Shri Seth and his party returned the fire in self defence and started advancing towards the hideout. Thereafter, Shri Seth and his party, in hot pursuit of militants entered village Maniwij. The militants again opened heavy fire on the party. One militant hiding in a house, opened fire on Shri Seth, who luckly escaped unhurt. The bullets gazed past him. He immediately crawled towards the house without caring for his personal safety and opened fire with his AK-47 rifle on the militant and killed him on the spot. In the meantime, when the party headed by Subedar Prem Singh reached near the outskirt of village Maniwij, one militant on guard duty opened fire on Shri Prem Singh. He immediately returned the fire. Shri Singh re-organised his party and advanced towards the hideout. By then the militants opened heavy volume of fire on him and his party. Subedar Prem Singh without caring for his personal safety showed exemplary courage and assaulted the militants hideouts in the face of heavy fire. In this way, he succeeded in killing one militant. Thereafter Shri Seth and Subedar Prem Singh alongwith their parties tactically chased the militants and succeeded in killing one of the fleeing militants. In all, three militants were killed in the encounter. They were later identified as Javed Ahmed Naik, Sharif Ahmed Dar and Mohd. Safi Mir. Besides this two more key militants of Hizbul Mujahidin were apprehended from the place of encounter. They were involved in acts of terrorism including murders. During search large quantity of arms and ammunition were also recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri S. K. Seth, Commandant and Prem Singh, Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 10th October, 1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 32-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force.

Name and Rank of the Officer

Shri Devi Chand, (*Posthumous*)
Constable, 161 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 19th April, 1991 at about 5.15 hours Bangla Desh nationals entered into Indian territory to set ablaze one small thatched hut used by Border Security Force personnel. BSF party observed these criminals. They caught hold of one of them and the other ran away. At about 0600 hours some Bangla Desh criminals entered village Behrol (Fulbari) and tried to damage crops and to release the Bangla Desh national, who had been apprehended by BSF party. They also tried to drive-away 4 buffaloes.

Hearing the shouting, Commander Paul Singh and Constable Devi Chand of 161 Battalion, BSF rushed to the spot. Constable Devi Chand advanced himself about 50—60 yards from Inspector Paul Singh to cut off the escape route taken by the criminals. He took position behind uneven ground. But to their utter surprise they found that personnel of Bengla Desh Rifles with their Chinese 7.62 mm Rifles and LFG had already taken positions on the "Zero Line".

On seeing this, Constable Devi Chand jumped out and took another position within 20 yards where Subedar Paul Singh joined him. Both BSF and BDR started firing at each other, while some criminals had succeded in escaping to Bangladesh. Two other Constables from Fulwari Border Out Post took position about 200 yards behind them inside the Indian territory. When their ammunition has almost exhausted, Constable Devi Chand and Subedar Paul Singh started retreating slowly. Seeing this, the criminals and BDR personnel started advancing towards them to surround and overpower them. BDR personnel started heavy volume of fire on S/Shri Devi Chand and Paul Singh. Some of them later caught hold of Constable Devi Chand and started attacking him with sickles and spears. Constable Devi Chand fought against them till he was seriously injured. He was later over-powered in injured condition and was brutally hacked to death by the criminals. Thus Shri Devi Chand sacrificed this life while fighting against Bangladesh criminals as well as BDR personnel in a gallant manner. They took away the dead body of Constable Devi Chand, which was later received back after lot of efforts through flag meetings.

In this encounter (Late) Shri Devi Chand, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of police medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 19th April 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 33-Pres 93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force.

Names and Rank of the Officers

Shri Madan Lal Banga,
Assistant Commandant, 194 Battalion.
Border Security Force.

Shri Avtar Singh,
Subedar, 194 Battalion,
Border Security Force.

Shri Chand Ram,
Constable, 194 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 24th February, 1991 at about 16.30 hours on receipt of specific information regarding some dreaded terrorists taking shelter in a house in village Bagowal, Kapurthala. Subedar Avtar Singh, Company Commander of "E" Company of 194 Battalion, Border Security Force alongwith his Company (including Constable Chand Ram) rushed to the spot. In the meantime Shri Madan Lal Banga, Assistant Commandant of "'B' Company also reached the spot. They assessed the situation and cordoned the village and plugged all possible escape routes. Two search parties were formed to carry out house to house search to locate the terrorists. One party consisting of BSF and Police Personnel was led by Shri M. L. Banga and other by Subedar Avtar Singh consisting of Constable Chand Ram and police personnel. When Subedar Avtar Singh and his party reached near the house of Mehar Singh, he saw the door of the parameter wall of the house locked from outside. Having some suspicion, he ordered one Constable of Punjab Police to look inside the house by climbing the wall. As the Constable climbed over the wall of a volley of long burst was fired on him by the extremists from inside the house, hit the Constable, as a result he fell down and died on the spot, leaving his AK-47 rifle inside the parameter wall. The terrorists also fired long bursts with automatic weapons through the door towards the search party, but Subedar Avtar Singh had a narrow escape. Inspite of indiscriminate firing, Subedar Avtar Singh kept his cool and order his party to take position and return the fire in self defence. He himself took position behind wall of a nearby house and fired towards the terrorists. In the meantime, he saw one terrorist on the staircase trying to go on top of the roof, he immediately fired at the terrorist and killed him on the spot.

In the meantime Constable Chand Ram also took position along the wall of a nearby house and fired on the terrorist, without caring for his personal safety. This action of Constable Chand Ram encouraged the other troops to face the terrorists with courage. Shri Chand Ram with dauntless courage and determination climbed on the roof top of the house.

In the meanwhile, Shri Banga heard sound of fire alongwith his party rushed to the spot, in utter dis-regard to his personal safety engaged the extremists. The extremists were well entrenched in the house and resorting to indiscriminate firing on BSF Police parties. Shri Banga took command, re-adjusted the personnel in vulnerable places so that the extremists may not escape. Shri Banga climbed on the roof of an adjoining house from the rear side. On reaching the roof top, he deployed available personnel at various places and opened fire on the extremists. Shri Banga alongwith Constable Chand Ram and others made seven holes (one hole in each of the rooms) and lobbed 13 hand-grenades. The operation lasted for more than four hours. Thereafter firing from terrorists side stopped. During search two dead bodies were recovered, the dead terrorists were later identified as Gurnam Singh Cheema and Balwinder Singh. During search 1 AK-47 rifle, one .303 rifle and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter. Both terrorists were involved in more than 100 killings.

In this encounter S/Shri Madan Lal Banga, Assistant Commandant, Avtar Singh, Subedar and Chand Ram, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 24th February, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 34-Pres/93.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Central Reserve Police Force :—

Names and Rank of the Officers

Shri Vishwambhar Singh, (*Posthumous*)
Deputy Supdt. of Police,
33 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 22nd February, 1991 based on the information received ragarding the movement of some extremists at village Bhojian, a joint operation was planned. One coy. under Shri Vishwambhar Singh, Dy. Supdt. of Police and five platoons including S/Shri T.K. Fadtare, HC and Mahabir Prasad, Const, assembled at PS Jhabal and after being briefed of the operation of cordoning and search, the police personnel were divided into six parties and took respective positions, while the search operations started. When Shri Vishwambhar Singh alongwith his personnel were carrying out house to house search in western side of Gurdwara at about 1130 hours, they reached the house of Shri Sardul Singh @ Kala Majhbi and found a kutcha house connected with two other houses with one of the rooms locked. Seeing some thing wrong they tried to break open the door, but the terrorists hiding inside the locked room suddenly opened indiscriminate fire on the Police party at point blank range and also threw hand grenades in which two Punjab Police personnel were killed on the spot while Shri Vishwambhar Singh and another civilian sustained serious bullet injuries. In the meantime, the other Police party on hearing the sound of bullets rushed to the spot and cordoned the house. The terrorists again opend indiscriminate fire on the police party from inside the room and kept the Police party pinned down. Undeterred by the heavy firing, the police party returned the fire but this did not proove very effective. Shri Singh even though seriously injured kept on firing at the terrorists and prevented their escape and at the same time saved the lives of his personnel. The terrorists firing was so heavy that it was not possible to make any move nor shift the injured and the dead police personnel. At this juncture, Shri T. K. Fadtare, HC and Shri Mahabir Prasad, Const, picked up great courage and at great risk to their lives crawled towards the injured Shri Singh in the face of heavy fire and managed to pull out Shri Singh and the dead bodies of the other persons. Shri Singh was then immediately shifted to Civil Hospital, Jhabal where he was declared dead. A quick stock of situation was taken and as per plan, Shri Fadtare, Shri Prasad alongwith other personnel courageously went up the roof top where the terrorists were in hiding and dug holes in the roof, but they came under heavy fire. The said personnel with great determination and without caring much for their personal safety dug holes and lobbed hand grenades inside the room in quick succession, as a result of which the roof caught fire and fell down. The firing from the terrorists had finally seized and on search two dead bodies were found which were later identified as that of Hardeep Singh, an army deserter who was responsible for more than 100 killing

and Puran Singh also an Army deserter. One IA 7.62 automatic rifle with two magazines, one AK-47 rifle with magazines, one .30 bore pistol, one HE 36 and other arms and ammunition were recovered from the dead.

In this encounter (Late) Shri Vishwambhar Singh, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion of duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22nd February, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 35-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force.

Names and Rank of the Officers

Shri Sarju Pandey,
Sub-Inspector, 72 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri M. N. Gundle,
Constable, 72 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 2nd March 1990, an information was received that a gang of Babbar Khalsa Group headed by Bhupinder Singh @ Bhola—a dreaded self-styled Lt. Genl. was operating during night covering cross country terrain, was likely to hold a meeting in village Ekkle Gudda, P. S. Jhandiala. It was decided to lay a joint ambush together with the local police. As per the plan, four ambush parties were detailed and after thorough briefing the ambush parties reached village Malchak at about 2000 hours and left their vehicles at SPO Malchak Post from where they proceeded on foot and all the four ambush parties took up positions at about 2100 hours. At that moment firing sound was heard from village Ekkle Gudda. At about 2330 hours while keeping vigil and on looking through the night vision device, it was noticed that four terrorists were coming towards the ambush parties. As the terrorists reached close to one of the ambush parties, they were challenged by them but the terrorists opened fire on the ambush party which was suitably returned by them. The ambush party was so well laid under natural cover that the terrorists failed to inflict any casualty on them and in the return of fire, one terrorist was shot dead on the spot while the remaining three though injured ran in the direction where Shri Pandey lay in wait. The terrorists on being challenged by them opened heavy fire, but Shri Pandey without caring for his life in the face of heavy fire chased the fleeing terrorists. In the meantime Shri Gundle also joined the chase with Shri Pandey carrying an LMG and both together managed to pin down the terrorists. The three terrorists though injured kept on firing at the chasing ambush party but they could not succeed in breaking the determination of the police party and breathed their last in the process. After some time when no firing was there from the terrorists side, the entire area was searched with the help of dragon lights and the dead bodies of all four terrorists were recovered. Of the four dead, one was identified as the dreaded Bhupinder Singh @ Bhola while the other three were Ranjit Singh alias Bitto, Dilbag Singh and Karamjit Singh of Babbar Khalsa Group. Also large quantity of arms and ammunition were recovered from the spot. Bhupinder Singh carried a reward of Rs. 1/- lakh on his head.

In this encounter S/Shri Sarju Pandey, Sub Inspector and M. N. Gundle, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 2nd March 1990.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 36-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force.

Names and Rank of the Officers

Shri Bajrangi Dhar Dubey,
Sub-Inspector, 3 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Abdul Kalam,
Constable, 84 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Harpal Singh,
Constable, 66 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri R. K. Patil,
Constable, 66 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri P. Sudhakaran Nair,
Constable, 84 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 2nd September 1991 Shri V. V. Singh, DC (OPS) received an information that at about 1230 hours a group of 9-10 terrorists wearing police uniform came on a Swaraj Mazda No. PB-02-95113 to the house of Comrade Swaran Singh @ Tuti of village Loke to whom armed guard was provided, on the pretext of inpection of the arms provided and they took away 6 .303 rifles, one 7.62 B. A. Rifle and one sten gun and also took Comrade Swaran Singh along with them. Immediately on receipt of information, Shri V. V. Singh together with his escort and civil police went in hot chase of the terrorists. At about 1600 hours it was learnt that the terrorists had abandoned their vehicle near the farm house of Jaswant Singh. Based on the clue, Shri V. V. Singh decided to search the nearby sugarcane/paddy fields, but as soon as he started search of the fields the terrorists, in hiding, fired at the search party. Shri Singh, undeterred and unmindful of the consequences led his force in the face of heavy fire and kept the terrorists pinned down by return of fire. In the meantime Shri D. A. Dhananjaiah, Commandant reached the spot with reinforcement, immediately took stock of the situation and took control, cordoned the area and ordered Shri Singh to move more closer to the sugarcane field and lob hand grenades the impact of which made the terrorists in hiding run for their lives and in the confusion comrade Swaran Singh also managed his escape. At about 0345 hours of 3rd September, 1991, the terrorists suddenly opened fire on the police party under Shri Dhananjaiah and Shri Singh, but the courageous officers fired back at the terrorists while Shri Singh lobbed grenades and foiled their attempt of escape. After a short while the terrorists made another suicidal attempt but this time towards the canal side but again their attempts were foiled by Shri Bajrangi Dhar Dubey and his men and in the process Shri Dubey at great risk to his life moved ahead and shot dead one of the terrorists and recovered one .303 rifle from him. At about 0630 hours it was decided to use bullet proof tractors to search the sugarcane field, but the tractors got stuck in the mud, while the terrorists seeing the tractors shifted their position to paddy fields. A search party under Shri Singh was deputed to carry out the search of the paddy fields. While the search was on Shri Singh and Constable Abdul Kalam who were in the front came under heavy fire from two terrorists at point blank range and also threw stick grenades, but they miraculously escaped and with full vigour and courage fired at the two terrorists and shot them dead and recovered 2 .303 rifles, one 7.62 rifle and two bags of ammunition. As the troops were out without food for more than 40 hours, they decided to handover night sentry duty to BSF units and return back early next morning with full vigour and resume the search of the paddy fields. As the search was resumed, Shri Dhananjaiah alongwith Const. Sudhakaran Nair and party suddenly came under heavy fire, but they tactically crawled and evaded the bullets. In the meantime, Shri V. V. Singh and his party also closed in on the terrorists from the opposite, side. Seeing the police party closing in on them, the terrorists started dispersing into the nearby fields as they fired and threw stick granades in the

process, Shri Dhananjaiah alongwith Const. Sudhakaran Nair Const. Harpal Singh and Const .R. K. Patil confronted one of the terrorists firing from an SLR and shot him dead and recovered the SLR. The dead terrorist was identified as Dr. Satnam Singh @ Satta. S/S Lt. Genl. of BTKP who carried a reward of Rs. 5 lacs on his head. As a final assault it was decided to storm the sugarcane fields and Shri Dhananjaiah, Shri Singh alongwith Constable R. K. Patil, Harpal Singh crawled close to a position from where they were to storm, but the terrorists fired indiscriminately at the police party, but undeterred the police party fired back and threw a number of granades and managed to silence the terrorists. When the firing from the terrorists side had subsided a search was carried out. Three dead bodies were found lying at different places. In this encounter which lasted almost three days i.e. from 2-9-1991 to 4-9-1991 in all 7 terrorists had been killed and eight .303 rifles, one 7.62 rifle, one SLR, one wireless set and a huge quantity of ammunition were recovered from them.

In this encounter S/Shri Bajrangi Dhar Dubey, Sub-Inspector, Abdul Kalam., Harpal Singh, R. K. Patil and P. Sudhakaran Nair, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 2nd September, 1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 37-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force.

Names and Rank of the Officers

Shri Hardev Singh,
Assistant Comandant, 66 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Manphool Singh,
Lance Naik, 66 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri C. C. Durai,
Canstable, 66 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On receipt of secret information that a group of extremists belong to BTKF and KCF were hiding in mand area of village Jand, Jodhsinghwala, Talwandi Chanchak and Talwandi Bodh Singh to carry out some nefarious task in that area, the entire area was immediately cordoned off in the early hours of 5th November. 1990. Shri Hardev Singh, Assistant Commandant (Ops.), under whose command the cordon was being laid, during the checking of cordon near village Jand, noticed the movement of some terrorists armed with automatic weapons. Immediately on sight of movement of terrorists, Shri Hardev Singh tightened the cordon and commenced search of the area. While the search party was nearing a tubewell, they came under heavy fire from AK-47 rifles. Two terrorists were seen firing from behind sand bags. Eventhough they were under heavy fire. Shri Hardev Singh did not loose his courage, remained calm and ordered his party to return the fire and he alongwith constable C. C. Durai, without caring for their personal lives crawled and reached on top of another tubewell. In the meantime another group of terrorists opened fire from a farm house with rocket launcher, LMG, CPMG and AK-47 rifles. Lance Naik Manphool Singh, who was engaged the terrorists at the tubewell immediately shifted his LMG and unmindful of being exposed in the open, armed his fire at the terrorist who was firing with his GPMG and shot him dead. Shri Hardev Singh alongwith Shri Durai while trying to climb atop another tubewell were fired upon by the terrorists, which were luckly evaded. They fired back at the terrorists and shot dead two of them. Shri Hardev Singh alongwith Shri Durai and his party joined the other party under SP Patti, engaging the terrorist at the farm house, where the terrorists were well entrenched behind mangers having thick and plaster walls. A collective fire of 2" Morter, LMG and GF rifles were brought on the terrorists from 3 places which considerably softened the target for a final assault which was carried out by the Punjab Police personnel in an Allwyn Nissan vehicle. This operation lasted for several hours and resulted in the killing of 7 hard core terrorists and recover of GPMG (one), One LMG, one Rocket Launcher, One Live Rocket, 4 AK-47 rifles, 2 Pistol and 203 live cartridges.

In this encounter S/Shri Hardev Singh, Assistant Commandant, Manphool Singh, Lance Naik and C. C. Durai, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5. with effect from 5th November, 1990.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 38-Pres. 93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer

Shri B. N. Yadav,
Constable,
66 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 6-9-1991 at about 1100 hours information was received that Gurmit Singh Ghariali, a hardcore terrorist and S/S Lt. Gen. alongwith another dreaded terrorist was staying in the farm house of Karam Singh. Immediately on receipt of information Comandant, 66 Bn. together (D C Ops) rushed to the spot with available force including Harpal Singh, Constable and B. N. Yadav, Constable. It was decided to cordon the area and in order to prevent the terrorist from mixing with the civilians, the particular form house was cordoned off and all possible routes of escape were sealed. One group of the force who were deputed to cordon the suspected house, reached near the house. The terrorists hiding inside the house opened indiscriminate fire at the approaching police force. After taking quick stock of the situation, it was decided to place LMGs on the top of roof of adjacent houses to put effective fire on the terrorists. On seeing the advancing troops, the terrorists opened fire, out Constable Singh and Yadav braved the heavy firing, with great determination and at great risk to their lives they advanced towards their target and successfully took position on the top of the roof and put up effective LMG fire on the terrorists and pressurised them to surrender. Instead, the terrorists took safer position along the courtyard wall where the firing from flat trajectory weapons could not produce any result. At this juncture the Comndt decided to lob grenades to silence the terrorists. Eventhough Constables Singh and Yadav were fully aware of the risk involved, they volunteered and lobbed grenades inside the courtyard wall in quick succession which terrified the terrorists who ran into the house for safety. Seeing the terrorists running inside the house for cover, LMG fire was directed at the terrorists from all sides, but it was responded with heavy fire from the windows. As a last attempt it was decided to storm the house but in the meantime Constable Singh and Yadav, under the instructions of the Commandant reached the top of the roof under which the terrorists were hiding and dug holes in the roof and managed to lob 6 hand grenades into the house through the hole, but they were fired back by the terrorists. Simultaneously LMG fire and other automatic weapon's fire was directed at the terrorists as a result of which the firing from inside the house subsided. After sometime to ensure complete storming, Constable Singh and Yadav entered the house and in the assault fire both the

terrorists were killed and a large number of arms and ammunition were recovered from the dead. The killed terrorists were identified as Gurmit Singh Ghariali and Harbans Singh @ Karam Singh.

In this encounter Shri B. N. Yadav, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th September, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 39-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and Ranks of the Officers

Shri T. K. Fadtare,
Head Constable,
75 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Mahabir Prasad,
Constable,
75 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 22nd February, 1991 based on the information received regarding the movement of some extremists at village Bhojian, a joint operation was planned. One coy. under Shri Vishwambhar Singh, Dy. Supdt. of Police and five platoons including S/Shri T. K Fadtare, HC and Mahabir Prasad, Const. assembled at PS Jhabal and after being briefed of the operation of cordoning and search, the police personnel were divided into six parties and took respective positions, while the search operations started. When Shri Vishwambhar Singh alongwith his personnel were carrying out house to house search in western side of Gurudwara at about 1130 hours, they reached the house of Shri Sardul Singh @ Kala Majhbi and found a kutcha house connected with two other houses with one of the rooms locked. Seeing something wrong they tried to break open the door, but the terrorists hiding inside the locked room suddenly opened indiscriminate fire on the Police party at point blank range and also threw hand grenades in which two Punjab police personnel were killed on the spot while Shri Vishwambhar Singh and another civilian sustained serious bullet injuries. In the meantime, the another Police party on hearing the sound of bullets rushed to the spot and cordoned the house. The terrorists again opened indiscriminate fire on the police party from inside the room and kept the Police party pinned down. Undeterred by the heavy firing, the police party returned the fire but this did not prove very effective. Shri Singh eventhough seriously injured kept on firing at the terrorists and prevented their escape and at the same time saved the lives of his personnel. The terrorists' firing was so heavy that it was not possible to make any move nor shift the injured and the dead police personnel. At this juncture, Shri T. K. Fadtare, HC and Shri Mahabir Prasad, Const. picked up great courage and at great risk to their lives crawled towards the injured Shri Singh in the face of heavy fire and managed to pull out Shri Singh and the dead bodies of the other persons. Shri Singh was then immediately shifted to Civil Hospital, Jhabal where he was declared dead. A quick stock of situation was taken and as per plan, Shri Fadtare, Shri Prasad alongwith other personnel courageously went up the roof top where the terrorists were in hiding and dug holes in the roof, but they came under heavy fire. The said personnel with great determination and without caring much for their personal safety dug holes and lobbed hand grenades inside the room in quick succession, as a result of which the roof caught fire and fell down. The firing from the terrorists had finally seized and on search two dead bodies were found which were later identified as that of Hardeep Singh, an army deserter who was responsible for more than 100 killing and Puran Singh also an Army deserter. One IA 7.62 automatic rifle with two magazines, one AK47 rifle with two magazines, one .30 bore pistol, one HE 36 and other arms and ammunition were recovered from the dead.

In this encounter S/Shri T. K. Fadtare, Head Constable and Mahabir Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22nd February, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 40-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force.

Names and Ranks of the Officers

Shri P. Girish
Constable,
76 Battalion,
CRPF.

Shri U. K. Mandal,
Constable,
76 Battalion,
CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 17th March, 1991, three terrorists came through kacha track leading from Pahuwind to Bhikhiwind, with ulterior motive of killing civilians. When they saw four persons of a particular community moving in the fields, the terrorists opened fire on them with automatic weapons injuring one of them seriously. On seeing this, the guard on duty at the residence of Deputy Superintendent of Police, Bhikiwind fired on the terrorists from the roof top. On hearing the sound of firing, Shri Ram Pal Singh, Deputy Supdt. of Police, 76 Bn.. CRPF with his escort party immediately rushed towards the incident site and noticed that the terrorists were running towards village Pahuwind. He rushed towards village Pahuwind from other side to cordon the fleeing terrorists. He also ordered another party to cordon the area from the direction of Khemkaran and Khalra. The terrorists on seeing the approaching police vehicles changed their direction and started running towards village Bhikhiwind. Shri Ram Pal Singh directed the CRPF Battalion located at Rice Sheller, Bhikhiwind to block the route of terrorists from their side. The Officer Commanding immediately deployed his men and cordoned the area from his side. On being cordoned from all sides, the terrorists took positions in the field and started firing on the cordon parties. They also threw stick bombs on the police personnel.

Shri Ram Pal Singh alongwith Constables P. Girish and U. K. Mandal tactically advanced towards the position of one of the terrorists. While all the three were advancing further two Constables formed the covering party and gave covering fire. On reaching near the terrorists, S/Shri Ram Pal Singh, P. Girish and U. K. Mandal fired on the terrorist and killed him in the wheat field. During the exchange of fire one Constable sustained gunshot injury on his right hand near elbow. Although, he did not fire from his weapon but he was the member of the covering party.

There were two more terrorists taking position in the field and the dusk had set-in, Shri Ram Pal Singh directed the assault parties to check the lanes in the wheat field to trace the other terrorists. When Shri Ram Pal Singh with his party was advancing in the field, he noticed some movements. On seeing the police personnel, the terrorists hiding in the

field opened fire on the advancing persons. Again Shri Ram Pal Singh alongwith Constables P. Girish and U. K. Mandal crawled near the terrorists, amidst heavy firing, without caring for their personal safety and fired on the terrorists. Whereas two Constables, who were following the assault party, gave covering fire to facilitate advance of assault group of Shri Ram Pal Singh. S/Shri Ram Pal Singh, P. Girish and U. K. Mandal changed their positions one after the other and fired on the terrorirst. The exchange of fire continued for about one hour. Thereafter, firing from the terrorists side stopped. During the search of the area two more dead bodies of terrorists were recovered. The three dead terrorists were later identified as Gurjap Singh, Gurmej Singh alias Geja and Avtar Singh alias Kala. During search one AK-47 Rifle, one Mouser, 2 magazines of AK-47, 2 stick bombs and large number of live cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri P. Girish and U. K. Mandal, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17th March, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 41-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer

Shri Surinder Singh,
Inspector, 62 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 31st July, 1991, an information was received that a group of terrorists led by the dreaded Yaduvinder Singh 'Yadu' had kidnapped Shri Baj Singh of Saliwala and Shri Kuldeep Singh of Fatehgarh Panjtoor of Mukhu Division. Immediately on receipt of information, CRPF personnel alongwith local police rushed to village Wara Phuwind the likely hideout of the terrorists. The entire area was sugarcane field and it was decided to cordon the area and launch search operations. Shri Surinder Singh, Inspector headed one of the search parties who were given the most difficult task of scanning the 20 acres of sugarcane fields, the possible hide-out of the terrorists. During the search operations, one of the captives managed to escape from the cultches of the terrorists and informed the police about the hide-out of the terrorists, their strength, fire power etc. and guided the police personnel. Under the overall command of SSP, Firozepur, the search operation was given the CRPF while the BSF and local police were given cordon and the entire force was suitably deployed. On 1st August, 1991, the police party headed by Shri Singh came in contact with the terrorists at about 1330 hours and heavy exchange of fire took place between the two parties. The terrorists kept on firing heavily at the police party and made desperate attempts to break the cordon and escape, but all their attempts were foiled by the determined effort of Shri Singh and his party. Shri Singh himself braved the flying bullets from all sides, and with courage and determination led his men. He himself moved from one place to another encouraging his men and in the process succeeded in eliminating one of the terrorists. While Shri Singh was confronting the bullets, moving from place to place encouraging his men, he was unfortunately hit by one of the bullets on his right shoulder. Even in the bleeding condition, he did not leave his position and continued to operate till the firing from the terrorists side stopped. In this encounter of the three terrorists killed, Shri Singh accounted for the death of one. The three killed terrorists were later identified as Harbans Singh, Massa Singh and Lachhman Singh. One AK-47 rifle, one Spring field rifle and one 7.62 BA rifle were recovered from the dead.

In this encounter Shri Surinder Singh, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 31st July, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 42-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer

Shri V. Mohan,
Lance Naik, 64 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 17th January 1992 Shri V. Mohan, Constable of D/Coy. was on duty at M. A. Bridge to Dal Gate Bridge area of Srinagar. At about 1215 hours one taxi bearing registration No. JKT-3268 was signalled to stop by the Sentry. At this moment two men from inside the taxi shouted that they were being kidnapped and that the police party should not fire at the taxi, but the militants in the meantime got alarmed and trapped by the security forces, opened fire on the police party from inside the taxi and taking advantage of the movement of large number of vehicles and civilians, came out of the taxi still firing and ran towards by-lanes along Srinagar Golf Course. At this Shri Mohan seeing the running militant, without a second thought of his personal safety, ran after the militant who was running away firing at the chasing Constable. Shri Mohan undeterred by the fire of the militant ran after the militant and shot him dead with his rifle in a courageous manner. The killed militant was later on identified as Gulam Quadir Baba @ Kada, District Commander of Hizb-Ullah Group who was involved in a number of kidnapping and firing incidents. This brave incident and the killing of the militant resulted in the release of the kidnapped namely Shri Hansraj Kapoor and Shri Rajesh Kumar, Manager and Cashier of the Andhra Bank.

In this encounter Shri V. Mohan, Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17th January 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 43-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Police Force.

Names and rank of the officers

Shri H. S. Negi,
Second-in-Command, 75 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Kashav Bahadur,
Head Constable, 75 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Laxman Ram,
Head Constable, 75 Battalion,
Central Reserve Police Force

Shri Mahavir Prasad,
Lance Naik, 75 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Ram Niwas, *(Posthumous)*
Constable, 75 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri C. R. Manjunath,
Constable, 75 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Zile Singh,
Constable, 84 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the dacoration has been awarded.

Based on special information about hiding of terrorists in some of the behaks of Dhand area it was decided to conduct a special operation on 12th October 1991. The available force after being thoroughly briefed of the plan, left for their respective places and took up positions. One Section of cordon under Shri Laxman Ram, Head Constable spotted some terrorist fleeing towards a behak and observed 3 civilians running towards them. Immediately on seeing the fleeing terrorists, Shri Laxman Ram opened fire and started chasing them, the terrorists terrified by the sudden action entered into a nearby behak. In the meantime Shri H. S. Negi, Commandant reached the spot and Shri Laxman Ram, unmindful of the risk involved moved across in the open and informed Shri Negi about the exact location of the terrorists. Shri Negi alongwith Shri Laxman Ram, Shri Keshav Bahadur, Head Constable and a few other personnel moved very close to the rear side of the behak and warned the terrorists to surrender, but the terrorists opened fire on the police party to which Shri Laxman Ram and Shri Keshav Bahadur returned heavy fire inside the room but as the terrorists were well entrenched no harm could be done. Assessing the situation Shri Negi decided to lob grenades inside the behak by making holes in the roof which involved a great risk. Eventhough the task involved great risk, Shri Mahavir Prasad, Lance Naik, Keshav Bahadur, Head Constable and Zile Singh, Constable undertook the challenge, scaled the rear mud wall and succeeded in making holes in the roof. The brave men undeterred by the firing succeeded in their attempt and lobbed grenades inside the room as a result of which one room caught fire, in the process one terrorist was injured while the other two were shifted to the adjacent room.

In the meantime, taking advantage of the situation Shri Rajan Arora a kidnapped person rushed out with raised hands and confirmed that one terrorist had been injured while the others have shifted to the adjacent room. Immediately Shri Negi alongwith others scaled the mud wall and made holes in four corners of the room and lobbed grenades. The terrorists fired at the Police Party on the roof, but the men evaded the bullets by tactfully changing positions. As anticipated by Shri Negi, the terrorists who could not remain in the room due to the fire suddenly rushed out firing at the police party, only to be confronted by Shri Negi and his men who sprayed bullets on the terrorists and killed them on the spot.

Still two rooms on the right side remained to be cleared. Shri Prasad at great risk to his life scaled the boundry wall from left side and brought out one AK-47 rifle and one .315 bore rifle and two dead bodies of the terrorists who were identified as Amrit Singh alias Gurvel Singh alias Gehla and Ranjeet Singh alias Gurdip Singh. As it was already dark and no additional force was available, it was decided to suspend further operation and the cordon was handed over to the army. Early next morning i.e. on 13th October 1991 the CRPF took over from the army and on search of the behak of Trilochan Singh, half burnt body of Bhai Sardul Singh Havildar along with one AK-47 rifle with ammunition was recovered from the site. As the area was quite big having many paddy sugarcane and cherry fields, the cordon was entrusted to the army, while the police party after thorough briefing was divided into two sections, one from the canal bridge Aima to brick-klin and the other from brick-klin to Dhand. The police party took positions and started search at 0930 hours with Shri Negi leading in the Centre. At about 1125 hours when search/combing parties were moving in extended line, they were suddenly fired upon by the terrorists hiddden in lying position in the paddy field. Immediately the police party took position and returned the fire. At this movement, Shri Ram Niwas who was near the terrorists bought heavy fire on the terrorists, but the terrorists fired sudden burst on Shri Ram Niwas, who was fatally injured, but inspite of the injuries Shri Ram Niwas fought gallantry from point blank range and injured the terrorists. Shri Manjunath who was on the right side of Shri Ram Niwas immediately moved to the left and informed Shri Negi that Shri Ram Niwas was fatally injured. Shri Negi after hearing the death of Shri Ram Niwas gathered courage and together with Shri Manjunath, Keshav Bahadur, tried to reach near (Late) Shri Ram Niwas when the terrorists fired heavily from the weapons snatched from Shri Ram Niwas. Immediately Shri Negi ordered other personnel including Keshav Bahadur and Mahavir Prasad to bring heavy fire on the terrorists as a result of which the terrorists guns fell silent and on search two dead bodies identified as that of Sher Singh alias Shera and Gurpreet Singh alias Harpreet Singh alias Babla were recovered with a large quantity of arms and ammunition. In all five terrorists were killed in the encouter which lasted for almost two days.

In this encounter S/Shri H. S. Negi, Second-in-Command, Keshav Bahadur, Head Constable, Laxman Ram, Head Constable, Mahavir Prasad, Lance Naik, Shri Ram Niwas (Posthumous), Shri C. R Manjunath and Shri Zile Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12th October, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

New Delhi, the 20th February 1993

No. 44-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force.

Names and rank of the officers

Shr Premvir Singh Rajora
Assistant Commandant, 10 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Jai Karan Singh,
Head Constable, 10 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the dacoration has been awarded.

On 25th August, 1991, at about 2000 hours Shri Premvir Singh Rajora, Assistant Commandant, alongwith his personnel laid an ambush on link road between village Ludhar and Nag Khurd. Shri Rajora deployed main ambush party on bridge at aqueduct, Ludhar Minor and cut off group at distributory bridge connecting foot path from village Kaler Mangat. A third group under Shri Jai Karan Singh, Head Constable was deployed for early warning of terrorists arrival. At about 2115 hours the warning group noticed two scooterists coming from Kaler Mangat side and as they reached about 20—25 yards, Shri Jai Karan Singh challenged the scooterists who immediately opened fire with automatic weapons, left their scooter, ran and took position in adjacent paddy field and fired at the police party, but the police party returned the fire effectively. In the meantime Shri Rajora hearing the sound of exchange of fire, under grave risk to his and the lives of his men tactically rushed to the place of encounter, took position, and after taking stock of the situation directed Jai Karan to engage the terrorists while Shri Rajora deployed the other personnel to cordon the paddy field from other sides. After about 10—12 minutes the firing from the terrorists stopped. Shri Rajora immediately appreciated the situation and alongwith Shri Jai Karan planned to chase the terrorists hiding in the paddy field. The terrorists who were silent so far, seeing Shri Rajora and Shri Jai Karan advancing towards them suddenly opened fire. The two brave men immediately took position on the

ground and with full determination and enthusiasm kept the terrorists engaged with intermittent firing, chasing the terrorists continuously and changing position by crawling ahead.

Realising the gravity of the situation Shri Rajora asked for re-enforcement which also reached the spot. Para illuminating boms were fired to locate the position of the terrorists. Having located the exact position of the terrorists, Shri Rajora and Shri Jai Karan crawled ahead to take a better firing position, but as soon as they started moving, the terrorists again opened a volley of fire from automatic weapons, but undeterred the two moved ahead in the face of heavy firing. The two brave men finally reached close to the terrorists position and emptied their magazines on the terrorists. In the meantime bullet proof tractors arrived with the help of which Shri Rajora and Shri Jai Karan went into the field for search, during the search one terrorist was found dead holding an AK-47 rifles, and at about 0330 hours the search was abandoned for day break while the police party kept vigil throughout the night.

At day break with the arrival of more force, the search for the other terrorist started through the paddy field. The terrorist was located hiding at the other end of the paddy field and was challenged to surrender, but instead the terrorist opened fire from his revolver at Shri Jai Karan who was close to the terrorist and he narrowly missed, but before the terrorist could make another move Shri Jai Karan fired from his sten gun and silenced him. In all two terrorists were killed who were identified as Jagtar Singh, Jagga @ Dhamka S. S. Lt. General and Deputy Chief of KLO, next to "Waheye Guru' (carried a reward of Rs. 40,000/-) and Balbir Singh @ Dhera also a dreaded terrorist. One Bajaj Chetak Scooter, one AK-47 rifle, one 12 bore DBBL gun, one .38 bore revolver, one walkman cassette player and other items and ammunition were recovered from the dead.

In this encounter S/Shri P. S. Rajora, Assistant Commandant and Jai Karan Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 25th August, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

New Delhi, the 20th February 1993

No. 45-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and Rank of the Police Officer
Shri Sunil Mochari.
Constable, 10 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 11th September, 1991, a joint operation was organised under Shri Ratti Ram, DC(Ops) in village Bhilowal to apprehend terrorists in suspected hideouts in village Bagga and Ramdiwali where he alongwith Shri Bhanu Pratap Singh, A/C directed the operations. Shri Ratti Ram directed his party to halt at the tri-junction near the behak and split the party into three groups, of which one group was ordered to search the behak, the other was deputed to search the nearby pump house and the third party remained near the vehicles. At this moment it was noticed that an aged Sikh later identified as Santokh Singh Sarpanch running from the tractor towards the nearby Keenu Orchari. Shri Ratti Rama immediately on receipt of this information quickly assessed the situation and after directing Shri Bhanu Pratap Singh to deploy the remaining personnel, he himself without wasting any time rushed in the field in the direction the terrorist had taken position. Shri Ratti Ram and Bhanu Pratap Singh who entered the field found four sets, clothes and cooked food and it was confirmed that the Sital Singh Mattewal Gang had taken food there. Shri Ratti Ram again assessed the situation and moved to northern side where Shri B. P. Singh and Shri N. K. Dass alongwith others have already positioned themselves. Shri Ratti Ram then moved to the south-eastern side, deployed the available personnel and at the same time passed on a message for more force. Shri R. K. Gaur, Commandant who received the message immediately rushed to the spot with available force. In the meantime Shri Ratti Ram had cleverly deployed the available force and cordoned off the entire area which prevented the escape of the terrorists. As the police party in all preparedness lay in wait for any move from the terrorists, Constable N. K. Dass noticed one terrorist coming out of the sugarcane field and tried to escape, but the alert constable with quick reflexes fired and shot dead the terrorist, but the other terrorists hiding in the sugarcane field immediately opened a volley of fire from a numoer automatic weapons. Shri N. K. Dass, Constable couragcously held one flank even at the risk of his own life in the face of bullets while Shri Ratti Ram and Shri Bhanu Pratap Singh held the other two flanks and preven ed the escape of terrorists. In the meantime more reinforcements alongwith bullet proof tractors arrived and Shri Ratti Ram and B. P. Singh without wasting even a single minute mounted on the tractors and started search for the hiding terrorists. During the search they noticed one of the terrorist in position, immediately opened fire and shot him dead. On the arrival of few more tractors Shri Gaur alongwith Shri Ratti Ram and Shri B. P. Singh once again assessed the situation, allotted the tractors to various parties for conducting raid on the hideouts. Shri B. P. Singh leading one of the raid parties went direct into the terrorists position, but his tractor was fired upon, in the course of which one bullet pierced the right thigh of Shri Singh, while his waist and left palm were grased by flying bullets, continued the raid till he was evacuated for medical treatment.

The area was very vast and it started going dark. The entire area was well lit up with search lights and vehicle lights and repreated attempts at the terrorists to escape were prevented and kept them pinned down till day break. At day break of 12th September, 1991 Shri Gaur once again assessed the situation and ordered fresh raids/search of the fields. At about 1400 hours Shri Gaur postiioned on one of the tractors, came under heavy fire, but undeterred, the firing terrorists were countered and silenced by his party. Shri Sunil Mochari, Constable manning one of the flanks on night cordon came under repeated sudden attacks, but undeterred, he stood and prevented the escape of the terrorists and in the process sustained bullet injuries on his chest, but held his ground and kept the terrorists under check.

In the above encounter in all five hardcore terrorists were killed who were identified as Sital Singh Mattewal, Tarsen Singh, Gurnam Singh, Gurdayal Singh and Gurmukh Singh and a large quantity of arms and ammunition were recovered from the spot

In this encounter Shri Sunil Mochari, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11th September, 1991

G. B. PRADHAN,
Direct .

New Delhi, the 20th February 1993

No. 46-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and Rank of the Officer
Shri Jugal Kishore Joshi,
Sub-Inspector, 13 Battalion.
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Jugal Kishore Joshi, Sub-Inspector, with Specail Task Force of 13 Battalion, Central Reserve Police Force was car-

rying out patrolling duty on 27th July, 1991 on the Boulevard—Dal Gate road where at about 1030 hours he noticed two persons in a boat rowing towards Rainwari in a suspicious manner. Immediately, Shri Joshi challenged them to disclose their identity but instead the suspected persons opened fire on the STF group standing on Dal Lake side Shri Joshi displaying quick presence of mind, took position and returned the fire, as a result of which one militant was injured and fell into the boat itself while the other who was also hit jummed off the boat and swam across to the nearby parked house boat. Shri Joshi in order to prevent the escape of the other militant who was injured and still in the boat, took out a small cance parked on the lake and started rowing towards the boat where the militant was lying, but as soon as Shri Joshi neared the boat to his great surprise, the militant with a pistol in hand tried to fire on him. At this moment the reflexes of Shri Joshi was much faster. He fired at the militant and this time shot him dead. The killed militant was later identified as Mehrajuddin Khan @ Saddam Hussain @ Deen Kabli. He was also wanted in many cases of killings etc.

In this encounter Shri Jugal Kishore Joshi, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27th July 1991.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 47-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and of the officer

Shri Satnam Singh,
Constable, 36 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 27th July 1991 at about 1145 hours an information was received that some suspected terrorists have kidnapped one Shri Jasbir Singh, resident of Tehliwala, Amritsar and were hiding in a three storeyed house in Ajit Nagar. Immediately on receipt of information, Central Reserve Police Force personnel alongwith Civil police rushed to the area and chalked out a plan to surround the house for getting released the kidnapped person. After condoning the house from all sides and sealing all possible outlets to prevent the terrorists from escaping, the terrorists were asked to come out and surrender through mike, but instead the terrorists started firing on the police party from inside the house. The police party returned the fire and repeatedly asked the terrorists to surrender, but undeterred they kept on firing at the police party, who were out in the open while the terrorists were well entrenched in the house. The firing from the cordon party was proving ineffective. Realising that the firing was not effective, it was decided to lob grenades to flush out the terrorists and raid the house. As a result of lobbing of grenades, the firing from the terrorists stopped and in order to confirm the elimination of terrorists, it was decided to raid the house. Shri Satnam Singh, Constable with one Punjab Police personnel with an automatic weapon entered the house, picked up great courage, cleared the ground floor room and when he alongwith other personnel started entering the first floor, the terrorists in hiding started firing, but Shri Satnam Singh and his companion took position and shot dead the terrorist. Shri Satnam Singh displayed great courage and at the risk of his own life faced the bullets of the terrorists in the forefront and shot dead the terrorist who was later identified as Nirbair Singh of 'Fauje Khalistan' and one AK-47 rifle alongwith ammunition was recovered from him. The kidnapped person, Jasbir Singh was got released unharmed.

In this encounter Shri Satnam Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries wita it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27th July 1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 48-Pres/93.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and Rank of the officer

Shri Ran Singh,
Head Constable, 70 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 4th October 1991 on receipt of information about the movement of the dreaded S/S Lt. Gen. Karaj Singh of KCF (Zaffarwal) and his gang, a special operation was planned by Shri A. K. Behara, D. C. to raid the farm houses of villages Mari Megna, Mari Udoke and Darjke. The available force together with civil police were divided into three parties. While raid operations were going on at about 1630 hours, the mobile patrolling party received information of terrorists group at Major Baba Rode Shah, who on seeing the patrolling party approaching towards them, fled the scene and took shelter in the farm house of Shri Sharoul Singh near village Chung. Shri Behara conducting operations in another place received above information and reached the spot with his personnel and saw that the terrorists were hiding in the farm house and firing the police party who were returning the fire from nearby roof tops. Although the terrorists were engaged from northern side, there was ample chances for escape from other three sides, while the terrorists were waiting for fall of darkness to make their escape. Shri Behara realising the situation, tightened the cordon and passed on information to Sh. Nand Lal, Commandant for reinforcement, who even though it was dark and there was fear of ambush, took the risk of his life and reached the spot, made a quick assessment of the situation. Shri Lal alongwith Shri Behara in the face of automatic weapon fire went around crawling to tighten the cordon and to ensure perfection to it and to prevent the escape of the terrorists, he placed all bullet proof vehicles on all sides of the house and kept the house well illuminated. In the meantime the terrorists in their desperate attempt to make their escape blew off the transformer, thus rendering the area pitch dark. Shri Lal after assessing the latest situation decided to postpone the raid till next morning, but to keep the cordon intect.

Early next morning Shri Lal after assessing the situation, fully determined to capture the terrorists dead or alive boarded a bullet proof tractor and went to the main gate at great risk to his life, got off the vehicle and made a thorough study of the house. He came under heavy fire from inside the house. Shri Lal called for another bullet proof tractor which on reaching was parked at the parking area a little distance away and any movement to venture towards the vehicle would invite a heavy fire, but Shri Behara unmindful of the risk and the consequences trekked the distance and luckily escaped from the firing, Shri Lal and Shri Behara each boarded a tractor and positioned themselves on the western and North-east corners of the farm house and opened heavy fire on the house, but this did not yield much result. As a second phase it was decided to lob grenades inside the house, but this required courage for someone to climb the roof top dig holes and lob grenades into the rooms. Shri Ran Singh, Head Constable alongwith another police personnel showing a rare sense of bravery and courage climbed the roof and started digging holes on the roof which invited a volley of bullets but the brave policemen tactically evaded the bullets and succeeded in lobbing grenades in each room. This gave the desired result and as anticipated the terrorists came running out firing heavily but they were only to be confronted by Shri Lal and Shri Behara who had already positioned themselves anticipated the terro-

rists next move. Shri Lal shot dead one of the terrorists who came from a room on the western side while Shri Behara shot dead the other terrorist who came from the western side. After making sure that no one was still alive inside, the area was completely searched and four dead bodies were recovered which were later identified to be those of karag Singh Amarjit Singh @ Babbu, Kewal Singh and Gurmail Singh. A large quantity of arms and ammunition was also recovered from their possession.

In this encounter Shri Ran Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5. with effect from 4th October 1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 49-Pres/93.—The President is pleased to award the Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officers

Shri D. A. Dhananjaiah,
Commandant,
66 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri V. V. Singh,
Deputy Commandant,
66 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 2nd September, 1991 Shri V. V. Singh, DC(Ops) received an information that at about 1230 hours a group of 9-10 terrorists wearing police uniform came on a Swaraj Mazda No. PB-02-95113 to the house of Comrade Swaran Singh @ Tuti of village Loke to whom armed guard was provided, on the pretext of inspection of the arms provided and they took away 6 .303 rifles, one 7.62 B.A. Rifle and one sten gun and also took Comrade Swaran Singh along with them. Immediately on receipt of information, Shri V. V. Singh together with his escort and civil police went in hot chase of the terrorists. At about 1600 hours it was learnt that the terrorists had abandoned their vehicle near the farm house of Jaswant Singh. Based on the clue, Shri V. V. Singh decided to search the nearby sugarcane/paddy fields, but as soon as he started search of the fields the terrorists. in hiding, fired at the search party. Shri Singh, undeterred and unmindful of the consequences led his force in the face of heavy fire and kept the terrorists pinned down by return of fire. In the meantime Shri D. S. Dhananjaiah, Commandant reached the spot with reinforcements, immediately took stock of the situation and took control, cordoned the area and ordered Shri Singh to move more closer to the sugarcane field and lob hand grenades the impact of which made the terrorists in hiding run for their lives and in the confusion Comrade Swaran Singh also managed his escape. At about 0345 hours of 3-9-1991, the terrorists suddenly opened fire on the police party under Shri Dhananjaiah and Shri Singh, but the courageous officers fired back at the terrorists while Shri Singh lobbed grenades and foiled their attempt of escape. After a short while the terrorists made another suicidal attempt but this time towards the canal side but again their attempts were foiled by Shri Bairangi Dhar Dubey and his men and in the process Shri Dubey at great risk to his life moved ahead and shot dead one of the terrorists and recovered one .303 rifle from him. At about 0630 hours it was decided to use bullet proof tractors to search the sugarcane field, but the tractors go stuck in the mud, while the terrorists seeing the tractors shifted their position to paddy fields. A search party under Shri Singh was deputed to carry out the search of the paddy fields. While the search was on Shri Singh and Constable Abdul Kalam who were in the front came under heavy fire from two terrorists at point blank range and also threw stick granades, but they miraculously escaped and with full vigour and courage fired at the two terrorists and shot them dead and recovered 2 .303 rifles, one 7.62 rifle and two bags of ammunition. As the troops were out without food for more than 40 hours, they decided to handover night sentry duty to BSF units and return back early next morning with vigour and resume the search of the paddy fields. As the search was resumed, Shri Dhananjaiah alongwith Const. Sudhakaran Nair and party suddenly came under heavy fire, but they tactically crawled and evaded the bullets. In the meantime, Shri V. V. Singh and his party also closed in on the terrorists from the opposite side. Seeing the police party closing in on them, the terrorists started dispersing into the nearby fields as they fired and threw stick granades in the process. Shri Dhananajaiah alongwith Cost. Sudhakaran Nair, Const. Harpal Singh and Const. R. K. Patil confronted one of the terrorists firing from an SLR and shot him dead and recovered the SLR. The dead terrorist was identified as Dr. Satnam Singh @ Satta, S/S Lt. Genl. of BTKP who carried a reward of Rs. 5 lacs on his head. As a final assault it was decided to storm the sugarcane fields and Shri Dhananjaiah, Shri Singh alongwith Constables R. K. Patil, Harpal Singh crawled close to a position from where they were to storm, but the terrorists fired indiscriminately at the police party, but undeterred the police party fired back and hrew a number of grenades and managed to silence the terrorists. When the firing from the terrorists side had subsided a search was carried out. Three dead bodies were found lying at different places. In this encounter which lasted almost three days i.e. from 2-9-1991 to 4-9-1991 in all 7 terrorists had been killed and eight .303 rifles, one 7.62 rifle, one SLR, one wireless set and a huge quantity of ammunition were recovered from them.

In this encounter S/Shri Dhananjaiah, Commandant and V. V. Singh, Deputy Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 2nd September, 1991.

G. B. PRADHAN
Director

New Delhi, the 20th February 1993

No. 50-Pres/93.—The President is pleased to award the Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officers

Shri Harpal Singh,
Constable,
66. Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 6-9-1991 at about 1100 hours information was received that Gurmit Singh Ghariali, a hardcore terrorist and S/S Lt. Gen. alongwith another dreaded terrorist was staying in the farm house of Karam Singh. Immediately on receipt of information Commandant. 66 Bn. together D C (Ops) rushed to the spot with available force including Harpal Singh, Constable and B. N. Yadav, Constable. It was decided to cordone the area and in order to prevent the terrorists from mixing with the civilians, the particular farm house was cordoned off and all possible routes of escape were sealed. One group of the force who were deputed to cordone the suspected house. reached near the house. The terrorists hiding inside the house opened indiscriminate fire at the approaching police force. After

taking quick stock of the situation, it was decided to place LMGs on the top of roofs of adjacent houses to put effective fire on the terrorists. On seeing the advancing troops, the terrorists opened fire, out Constables Singh and Yadav braved the heavy firing, with great determination and at great risk to their lives they advanced towards their target and successfully took position on the top of the roof and put up effective LMG fire on the terrorists and pressurised them to surrender. Instead, the terrorists took safer position along the courtyard wall where the firing from flat trajectory weapons could not produce any result. At this juncture the Comndt. decided to lob grenades to silence the terrorists. Eventhough Constables Singh and Yadav were fully aware of the risk involved, they volunteered and lobbed grenades inside the courtyard wall in quick succession which terrified the terrorists who ran into the house for safety. Seeing the terrorists running inside the house for cover, LMG fire was directed at the terrorists from all sides, but it was responded with heavy fire from the windows. As a last attempt it was decided to storm the house but in the meantime Constables, Singh and Yadav, under the instructions of the Commandant reached the top of the roof under which the terrorists were hiding and dug holes in the roof and managed to lob 6 hand grenades into the house through the hole, but they were fired back by the terrorists. Simultaneously LMG fire and other automatic weapon's fire was directed at the terrorists as a result of which the firing from inside the house subsided. After sometime to ensure complete storming, Constable Singh and Yadav entered the house and in the assault fire both the terrorists were killed and a large number of arms and ammunition were recovered from the dead. The killed terrorists were indentified as Gurmit Singh Ghariali and Harbans Singh @ Karam Singh.

In this encounter Shri Harpal Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th September, 1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 51-Pres/93.—The President is pleased to award the Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer

Shri Rampal Singh,
Assistant Commandant,
76 Battalion,
CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 17th March, 1991, three terrorists came through kacha track leading from Pahuwind to Bhikhiwind, with ulterior motive of killing civilians. When they saw four persons of a particular community moving in the fields, the terrorists opened fire on them with automatic weapons injuring one of them seriously. On seeing this, the guard on duty at the residence of Deputy Superintendent of Police, Bhikhiwind fired on the terrorists from the roof top. On hearing the sound of firing, Shri Ram Pal Singh, Deputy Supdt. of Police, 76 Bn. CRPF with his escort party immediately rushed towards the incident site and noticed that the terrorists were running towards village Pahuwind. He rushed towards village Pahuwind from other side to cordon the fleeing terrorists. He also ordered another party to cordon the area from the direction of Khemkaran and Khalra. The terrorists on seeing the approaching police vehicles changed their direction and started running towards village Bhikhiwind. Shri Ram Pal Singh directed the CRPF Battalion located at Rice Sheller, Bhikhiwind to block the route of terrorists from their side. The Officer Commanding immediately deployed his men and cordoned the area from his side. On being cordoned from all side, the terrorists took positions in the field and started firing on the cordon parties. They also threw stick bombs on the police personnel .

Shri Ram Pal Singh alongwith Constables P. Girish and U. K. Mandal tactically advanced towards the position of one of the terrorists. While all the three were advancing further two Constables formed the covering party and gave covering fire. On reaching near the terrorists, S/Shri Ram Pal Singh, P. Girish and U. K. Mandal fired on the terrorist and killed him in the wheat field. During the exchange of fire one Constable sustained gunshot injury on his right hand near elbow. Although. he did not fire his weapon but he was the member of the covering party.

There were two more terrorists taking position in the field and the dusk had set-in. Shri Ram Pal Singh directed the assault parties to check the lanes in the wheat field to trace the other terrorists. When Shri Ram Pal Singh with his party was advancing in the field, he noticed some movements. On seeing the police personnel, the terrorists hiding in the field opened fire on the advancing persons. Again Shri Ram Pal Singh alongwith Constables P. Girish and U. K. Mandal crawled near the terrorists, amidst heavy firing, without caring for their personal safety and fired on the terrorists. Whereas two Constables, who were following the assault party, gave covering fire to facilitate advance of assault group of Shri Ram Pal Singh. S/Shri Ram Pal Singh, P. Girish and U. K. Mandal changed their positions one after the other and fired on the terrorists. The exchange of fire continued for about one hour. Thereafter, firing from the terrorists side stopped. During the search of the area two more dead bodies of terrorists were recovered. The three dead terrorists were later identified as Gurjap Singh, Gurmej Singh alias Geja and Avtar Singh alias Kala. During search one AK-47 Rifle, one Mouser, 2 magazines of AK-47, 2 stick bombs and large number of live cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Rampal Singh, Assistant Commdt. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17th March, 1991.

G. B. PRADHAN
Director

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 5th February 1993

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/91/38/1.—The Government of India have decided to dissolve the Railway Hindi Salahkar Samiti constituted under Ministry of Railways Resolution No. Hindi/Samiti/90/38/1 dated 8-8-1990 with immediate effect and to reconstitute the same with effect from the date of issue of this resolution. The composition of the reconstituted Railway Hindi Salahkar Samiti will be as under :—

1. *Composition* :

Chairman

1. Minister for Railways.

Dy. Chairman

2. Minister of State for Railways.

Members

3. Chairman, Railway Board.
4. Financial Commissioner (Railways).
5. Member Staff, Railway Board.
6. Member Traffic, Railway Board.
7. Member Engineering, Railway Board.
8. Member Electrical, Railway Board.

9. Secretary, Official Language Department, Ministry of Home Affairs.

10. Joint Secretary, O.L. Department, Ministry of Home Affairs.

11. Secretary, Railway Board.

12. Adviser, Management Services, Railway Board.

Member-Secretary

13. Director (O.L.), Railway Board.

Members of Parliament

Representatives of Parliamentary Committee on Official Language

Members

14. Sh. Nathu Ram Mirdha, M.P. (Lok Sabha)
   (i) 18, Civil Lines, Jaipur (Rajasthan)
   (ii) 3, Safdarjang Road, New Delhi. (Ph. No. 3017168).

15. Sh. Ram Vilas Paswan, M.P. (Lok Sabha)
   (i) Village & Post Office-Sasar Bandi, Police Station & Anchal-"Aluli" Distt. (Vagadia) Bihar.
   (ii) 12, Janpath, New Delhi-110001 (Phone No. 3017681).

Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs
Members

16. Sh. Naresh C. Pugalia, M.P. (Rajya Sabha)
   (i) Gandhi Chowk, Chandrapur, Distt. Chandrapur, Maharashtra (Ph. No. 2800).
   (ii) 35, Meena Bagh, New Delhi (Phone No. 3011590).

17. Smt. Ratan Kumari, M.P. (Rajya Sabha)
   (i) Kotwali Ward, Jabalpur, Madhya Pradesh (Ph. No. 21602).
   (ii) 57, South Avenue, New Delhi (Phone No. 3016605).

18. Dr. Basant Nibarati Pawar, M.P. (Lok Sabha)
   (i) Susharat Hospital, Gautam, New Pandit Colony, Sharanpur Road, Nasik (Maharashtra). (Phone No. 78091, 76481).
   (ii) Room No. 201, Maharashtra Sadan, New Delhi (Ph. No. 3782587).

19. Sh. Narayan Bhai Jamala Bhai Rathwa,
   (i) Palace Road, Chhota Udaipur, Distt. Vadodara (Gujarat).
   (ii) 14, South Avenue, New Delhi-110011. (Ph. 3792659).

Non Official Members

20. Sh. V. S. Radhakrishnan, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras (Tamilnadu).

21. Sh. Sudhakar Pandey, Pradhan Mantri, Nagri Pracharini Sabha, Varanasi (UP)
   Phone No. Residential-54908, Office-331277, 331488.

22. Sh. Kanhaiya Lal Nandan, Journalist/Writer/Poet/ Chief Editor, "Hindi Sunday Mail", B-595, Greater Kailash, New Delhi.

23. Dr. Shiv Prasad Singh, Writer, Former Head of the Hindi Department, Kashi Hindu University, Varanasi (U.P.).

24. Sh. Malick Mohammad, Educationist, Professor, Hindi Department, Calicut University, Calicut (Kerala).

25. Ms. Shivani, Hindi Writer. 66, Gulistan Colony, Lucknow.

26. Sh. Kamaleshwar, Writer/Journalist, Cine-Writer, G-158, Sector-25, NOIDA (U.P.).

27. Sh. S. L. Bhairappa, 1007, Udai Ravi Road, Kuvampu Nagar, Mysore-570023, (KARNATAKA), Phone No. 60604.

28. Sh. Krishan Gopal, 7-Jantar Mantar Road, New Delhi-110001, Phone No. 3328258

29. Prof. Ravindra Nath Ojha, Dak Banglow Road, New Colony, Baitia-845438, Bihar. Ph. No. 2716.

30. Dr. T. G. Prabhashankar, "Premi", Reader & Ex. Head of the Hindi Deptt., Bangalore University, Bangalore-560056 (KARNATAKA). Phone No. Office-3550306/237, Residential-350474.

31. Prof. Sachidanand Sharma, Pracharya & Head of the Hindi & Sanskrit Deptts., S.K.R. College, Barbigha, Munger (Bihar), Tel. No. 27.

32. Dr. Iqbal Ahmed, Professor, Hindi Department, Calicut University, Calicut-673635 (Kerala).

33. Prof. Mumtaz Ali Khan, M.A.B.L., Hindi Ratan, 18, First-C Main Road, Gange Nahali Extn., Bangalore-560032 (Karnataka), Phone 366186.

34. Sh. Valmiki Chowdhary, Former Member of Parliament, Chandmari Road, Patna-20 (Bihar), Phone No. 353610.

35. Sh. B. R. Narayan, Village Kambipur, Post Office Kumbalguddu, Bangalore-560014, Karnataka Present Address 1815-I Main Kengeri Satellite Town, Bangalore-560060.

36. Sh. Balkavi Bairagi, Former Member of Parliament, Manasa, Distt. Mandsaur, (M.P.) Phone. 1819.

37. Smt. Vijay Lakshmi Rambhatt, Advocate, Basant Nagar, Bangalore (Karnataka).

38. Sh. J. C. Bhattacharya, Advocate, 10, Tej Bahadur Sapru Marg, Allahabad (U.P.).

39. Sh. Zafar Ali Naqvi, Former Minister of U.P., 10/3, Dali Bagh Colony, opposite-Ganna Sansthan Lucknow-226001, Phone No. 235837.

40. Dr. Mrs. Massarat Shahid, 32, Niyamat Pura, Shahajahanabad. Bhopal (M.P.).

41. Smt. Manu Hari Pathak, Journalist, D-1/47, Rabindra Nagar, New Delhi-110003, Phone No. 693250.

42. Sh. Pramod Tiwari, Ex. M.L.A., 2, Elgin Road, Allahabad, Phone No. 600421, 600422.

43. Sh. Manoj Kumar, Film Producer/Director/Actor, North-South Road, Juhu Parle Scheme, Bombay-400054.

44. Smt. Varsha Sanghi,
Asstt. Professor, English Deptt.,
Jabalpur University,
1688. Naipiar. Jabalpur-482001 (M.P.).

45. Sh. Premanand Tripathi,
Secretary & O.S.D., Cabinet Secretariat,
Room No. 14, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
(Representative of Kendriya Sachivalya Hindi Parishad).

46. Sh. Shyama Kumar Awasthi "Mayank" Advocate,
94-Jail Road, Police Line, Sitapur (U.P.).

47. Sh. B. K. Rao,
1-1-380/38, Ashok Nagar Extn.
Hyderabad-500020 (A.P.).

48. Sh. Kumaraiyya Mudiraj,
Gokul Nagar, Nanded, Distt. Nanded,
(Maharashtra).

49. Sh. Sunit Vyas,
President, Uttar Pradesh Nagrik Sangh,
12/8, Nyaya Marg, Allahabad (U.P.).

50. Dr. Gopal Sharma,
Former Director,
Kendriya Hindi Sansthan,
C-8/C, MIG Flats, Mayapuri, New Delhi.

II. *FUNCTIONS*

The functions of the Samiti will be to advise Railway Ministry on matters relating to progressive use of Hindi for Official purposes in accordance with the policy laid down by the Central Hindi Committee and Department of Official Language.

III. *TENURE*

The term of the Samiti will normally be three years from the date of its notification provided that :—

(a) A member, who is Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be Member of Parliament.

(b) The Members of Parliament who are members of the Samiti by virtue of their being members of Parliamentary Committee on Official Language, will cease to be the Members of the Railway Hindi Salahkar Samiti.

(c) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as Members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Samiti.

(d) If, a vacancy arises in the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that vacancy, shall hold office for the residual term of three years.

IV. *GENERAL*

(i) The Samiti may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint Sub-Committees as may be considered necessary.

(ii) The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. *TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES*

The Non-official members will be paid Travelling and Daily Allowances for attending the meetings of the Samiti and its Sub-Committees as per the rate fixed by the Government of India (Ministry of Railways) from time to time. For rail journeys connected with authorised work and meetings of the Committee, first class/2nd A.C. Railway passes, will be issued.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts. and all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MASIHUZZAMAN
Secy, Railway Board
&
Ex-officio Addl. Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 11th January 1993

RESOLUTION

No. E-11015/3/90-Hindi.—In supersession of this Ministry's resolution No. E-11015/30/88-Hindi dated 16th May, 1989, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Urban Development as under :—

Official Members

Chairman

1. Minister of Urban Development.

Vice-Chairman

2. Minister of State for Urban Development.

Members

3. Secretary, M/o Urban Development.

4. Additional Secretary (UD), M/o UD.

5. Additional Secretary (WH), M/o UD.

6. Secretary, Deptt. of Official Language.

Member-Secretary

7. Joint Secretary (WA), M/o UD.

Members

8. Joint Secretary (F), M/o UD.

9. Joint Secretary (UD), M/o UD.

10. Joint Secretary (HD), M/o UD.

11. Director General (Works), CPWD.

12. Director, Directorate of Printing.

13. Director, Directorate of Estates.

14. Director, National Building Organisation.

15. Controller, Deptt. of Publication.

16. Controller, Govt. of India
Stationery Office.

17. L&DO, Land & Development Office.

18. Chief Planner, Town and Country Planning Organisation.

19. Managing Director, National Building Construction Corporation.

20. Managing Director, HUDEO.

21. CMD, Hindustan Prefeb Ltd

22. Vice-Chairman, D.D.A.

23. Executive Secretary, Delhi Urban Art Commission.
24. Member Secretary, NCR Planning Board.
25. Chief Executive Officer, C.G.E.W.H.O.
26. Director, National Institute of Urban Affairs.
27. Chairman, Rajghat Samadhi Samiti.
28. Executive Director, Building Materials and Technology Promotion Council.
29. Managing Director, National Cooperative Housing Federation.

Non-Official Members

Members

1. Shri N. Sunder Rajan, M.P., Lok Sabha.
2. Shri Mohan Rawale, M.P., Lok Sabha.
3. Shri Sharja Mohanti M.P., Rajya Sabha.
4. Smt. Satya Bahin, M.P., Rajya Sabha.
5. Shri G. Swaminathan, M.P., Rajya Sabha
6. Shri Parasram Bhardwaj, M.P., Lok Sabha.
7. Prof. Ramlal Parikh, President, Akhil Bharatiya Hindi Sansthan Sangh.
8. Shri R. S. Gupta (Retd. Chief Engineer and Member Consultative Committee), Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68. Sarojini Nagar, New Delhi.
9. Shri Mishri Lal Nain, V. & P.O. Bachhrawa, Distt. Raibareilly (UP).
10. Shri K. L. Mahindroo Ex-MLA, Lucknow (UP).
11. Dr. Arun Sethi, Chander Nagar, Alam Bagh, Lucknow (UP).
12. Shri N. Kanakasabhapathy, Advocate, Main Road, 57-Melagram, Post, Tenkashi Taluk, Tamil Nadu-627818.
13. Dr. Sambhu Nath Shah, Hindi Deptt., Calcutta University, Calcutta-700073.
14. Shri Abdul Salam, Yadva Wari Street, Lalapet, Guntoor-522003 (Tamil Nadu).
15. Shri Rajender Ojha, V. & P.O. Jaina, Maharashtra.

2. The functions of the Samiti will be to render advice in regard to implementation of the policy laid-down by the Central Hindi Committee and the Department of Official Language for the use of Hindi in official work and also in regard to progressive use of Hindi in the official work of the Ministry of Urban Development and its Deptts. and offices.

3. The term of the Samiti will be 3 years from the date of its constitution. Members of Parliament, who are also the members of the Samiti shall cease to be members of Samiti on dissolution of the House or on expiry of their term or on otherwise ceasing to be members of the House.

4. The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

5. The Non-official members will be paid T.A. & D.A. for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Samiti, all State Governments, Administrations of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Sectt., Prime Minister's Sectt., Cabinet Sectt., Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India. the Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

INDRANI SEN,
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1993